प्रा क्क थ न

1. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य वित्त पर यह प्रतिवेदन मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में इस वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ शामिल है।

3. अध्याय III ''वित्तीय रिपोर्टिंग'' वर्ष के दौरान वित्तीय रिर्पोटिंग पद्धत्ति और विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों के साथ दुर्विनियोजन, हानि तथा गबन का उदाहरण समाविष्ट करते हुए राज्य सरकार के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

कार्यापालक सारांश

पृष्ठभूमि

द्वादस वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में बिहार सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम बनाया जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा0उ0ब0प्र0) अधिनियम, 2006 का गठन किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राजकोषीय स्थायित्व एवं वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व घाटा के उतरोत्तर समापन, राजकोषीय घाटे में कमी, वित्तीय वहनीयता से संगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिकाधिक पारदर्शिता एवं मध्यकालीन राजकोषीय रूपरेखा के आलोक में राजकोषीय नीति का संचालन करना है। राज्य सरकार द्वारा इन सुधारों के लिए की गई वचनबद्धता को विस्तृत रूप से आगामी बजटों की घोषित नीति में दर्शाया गया । चूँकि रा0उ0ब0प्र0 अधिनियम का लाभ बहुत हद तक यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा चालू वित्तीय वर्ष छोड़कर जबकि यह भी पुनरीक्षित प्राक्कलन के भीतर है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के अन्दर रहा ।

राज्य सरकार ने वर्ष-दर-वर्ष राज्य वित्त पर साक्ष्य के रूप में दिये गए आंकड़े राजकोषीय पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व पर एक संस्थागत क्रियाविधि को स्थापित कर अच्छा कार्य किया है। हालांकि, यह आंकड़ा ऋण की स्थिति सहित वित्तीय प्रबंधन आदि की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा राज्य विधान मंडल एवं अन्य जोखिम धारकों के लाभ के लिए प्रस्तुत नही करता है।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित, इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गई है एवं यह तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-**I** वित्त लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2010 तक के सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है । यह राजकोषीय प्रतिबद्ध व्यय एवं उधार-प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने एवं बजट से इतर मार्ग से राज्य के कार्यवाहक एजेंसियों को सीधे स्थानांतरित केन्द्रीय निधियों की संक्षिप्त लेखा उपलब्ध कराता है।

अध्याय-**II** विनियोग लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदान वार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का प्रबंध किस ढंग से किया है, का वर्णन करता है।

अध्याय-**III** विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ सरकार के अनुपालन की एक सूची है । लेखा परीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित किये गए अतिरिक्त आँकड़ा भी इस अध्याय में होता है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय अनुशासन– राज्य की वित्तीय स्थिति को घाटा सूचक प्रवृत्ति की नजर से देखने पर प्रकट हुआ कि वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 की तुलना में वर्ष 2009–10 में ह्रास हुआ है। यद्यपि राज्य ने इन वर्षों के दौरान राजस्व की अतिरिक्त बचत को बनाये रखा और राजस्व घाटे को दूर करने संबंधी बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के लक्ष्य को पूर्व में ही प्राप्त कर चुका था तथापि चालू वर्ष के दौरान राजस्व बचत में कमी आई। वित्तीय घाटा जो अच्छी तरह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के भीतर था, वर्ष के दौरान 3.40 प्रतिशत बढ़ गया, वह भी 3.5 प्रतिशत की पुनरीक्षित अनुशंसा के भीतर था।

गैर योजना व्यय को कम करने की आवश्यकता– कुल व्यय का 80 प्रतिशत राजस्व–व्यय था जिसमें से 74 प्रतिशत गैर योजनांतर्गत शीर्ष में था। इसमें वेतन, पेंशन भुगतान, ब्याज देयताएँ एवं आर्थिक सहायता पर व्यय भी शामिल थे, जो 77 प्रतिशत गैर योजना राजस्व व्यय है।

सरकारी निवेश की समीक्षा–सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों सहकारी–बैंकों एवं समितियों में सरकारी निवेशों पर विगत तीन वर्षों के दौरान औसत प्रतिलाभ 0.24 से 0.38 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि उधारों पर भुगतान किए गए सरकारी औसत ब्याज दरें 6.48 से 7.93 प्रतिशत तक के पास में थी। स्पष्टतः यह योजना असह्य थी। अतः सरकार को अपने निवेश के बदले अधिक मौद्रिक–मूल्य प्राप्त करने हेतु कदम उठाना चाहिए। अन्यथा उच्च लागत पर उधार ली गई निधियों को परियोजनाओं में निवेशित कर कम वित्तीय प्रतिलाभों के कारण आर्थिक क्षति उठानी जारी रहेगी।

राजकोषीय देयताओं की वृद्धि के साथ सरकारी निवेश पर नगण्य दरों के प्रतिलाभ तथा ऋणों एवं अग्रिमों पर अपर्याप्त ब्याज लागत की वसूली के कारण मध्यम से दीर्घ अवधि के असह्य ऋण की स्थिति उत्पन्न होगी जब तक कि गैर योजना राजस्व व्यय को कम करने के लिए उपर्युक्त उपाय न कि जाएँ तथा कर एवं गैर–कर दोनो स्त्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को न जुटाए जाएँ।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण– 2009–10 के दौरान ₹ 10546 करोड़ की बचत जो ₹ 10644 करोड़ के कुल बचतों के परिणाम स्वरूप थी और ₹ 98 करोड़ से ज्यादा हो रही थी। इस अधिकाई व्यय को संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमित करने की आवश्यकता है। लेखा परीक्षा जाँच के दौरान यह भी प्रकट हुआ कि जिनमें अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचतों से अधिक थी, जो बजटीय नियंत्रण के अभाव एवं अपर्याप्त होना दर्शाता है आठ मामलों में ₹ 462 करोड़ के बचत के विरूद्ध अभ्यर्पित की गई कुल राशि ₹ 483 करोड़ थी, परिणामस्वरूप ₹ 21 करोड़ अधिक अभ्यर्पित किये गए। अनुदानों/विनियोजनों के 25 मामलें जिनमें ₹ 5861 करोड़ की बचत हुई परन्तु ₹ 3182 करोड़ (बचत का 54.30 प्रतिशत) संबंधित विभागों द्वारा अभ्यर्पित नही किये गए थे। इसी प्रकार 43 मामलों में बचत के ₹ 6063 करोड़ मार्च 2010 के अंतिम दो कार्य दिवसों में अभ्यर्पित किये गए। अधिक व्यय के ₹ 7081 करोड़ नियमन के लिए 1977 से 2009 तक लंबित थे। 69 योजनाओं में 100 प्रतिशत निधियों के अभ्यर्पण की राशि ₹ 522 करोड़ थी। इस प्रकार राज्य सरकार को वित्तीय प्रबंधन में ऐसी कमियों (त्रुटियों) को दूर करने के लिए बजटीय

नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना होगा। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान और अनावश्यक/आधिक्य पुनर्विनियोजन के उदाहरण भी थे। वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंतिम माह में 18 मुख्य शीर्षो में सघन व्यय हुआ जो कुल व्यय का 67 प्रतिशत था।

वित्तीय प्रतिवेदन- विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार का कार्य असंतोषजनक था, जैसा कि विभिन्न संस्थाओं के अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र अधिक मात्रा में लंबित दर्शाया गया है। सरकार ने विभिन्न निकायों/संस्थानों को नियत उद्देश्यों की उचित उपयोगिता सुनिश्चित किये बिना सहायता अनुदान दे दिया था। पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए अनुशंसा की जाती है कि उन संस्थानों को अनुदान/माँगे नहीं दी जानी चाहिए जो निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल हैं। राज्य सरकार के सामने विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का बड़े पैमाने पर लंबित होना एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए डी0सी0 विपत्र को समय पर प्रस्तुत करने हेतु मजबूत कदम उठाने एवं सभी शेष डी0सी0 विपत्र को निबटाने हेतु प्रभावकारी कदम की शीघ्र आवश्यकता है।

चूँकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अपने वार्षिक प्रोफार्मा लेखा को अंतिम रूप देकर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार को नियमित एवं समय पर लेखा प्रस्तुत करने के लिए उन्हें निदेश अवश्य दिया जाना चाहिए। बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/प्राप्ति के परिचालन को भविष्य में टालना चाहिए जिससे कि वास्तविक लेखा संबंधित मुख्य शीर्ष में परिलक्षित हो सके। हानि एवं दुर्विनियोजन के बहुत से मामले प्रकाश में आए एवं सरकार को इन सभी मामलों में समय से अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्याय–I

राज्य सरकार का वित्त

1.1 प्रस्तावना

बिहार भू-भाग से घिरा एक ऐसा राज्य है, जिसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखण्ड तथा उत्तर में नेपाल से सटे लम्बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भौगोलिक आकार (94163 वर्ग किमी0) के दृष्टिकोण से यह भारत का बारहवाँ तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 के सं0 30) के अंतर्गत संयुक्त बिहार को पुनर्गठित किया गया तथा संयुक्त बिहार के 18 जिलों[1] से बने एक नवीन राज्य झारखण्ड को 15 नवम्बर 2000 में गठित किया गया। वर्त्तमान समय में बिहार में 38 जिले[2] हैं। इस द्विभाजन के फलस्वरूप, पहले बिहार की सम्पत्ति तथा देयता का अनुभाजन उक्त दिन से ही प्रभावी होना था क्योंकि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के संदर्भ में अन्य आर्थिक समायोजन भी किये जाने थे। तथापि जैसा कि 2009–10 के आर्थिक लेखों के परिशिष्ट XII में दर्शाया गया कि 31 मार्च 2010 तक के सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र के पूंजी लेखा समेत नौ मद तथा ऋण एवं अग्रिम राशि का समायोजन लंबित था।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है, तथा राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज सम्पदा नहीं है। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है कि बिहार की गरीबी रेखा (41.4 प्रतिशत) संपूर्ण भारत के औसत (27.5 प्रतिशत) से अधिक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व (880 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0) संपूर्ण भारत के जनसंख्या घनत्व (325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0) से अधिक थी। विगत दशक में इस राज्य में निम्न आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है जैसे कि इसका वर्ष 2000–01 से 2008–09 तक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मिश्रित वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) 12.08 रहा है जबकि इसकी तुलना में अन्य सामान्य दर्जे के राज्यों का विकास दर 12.54 प्रतिशत रहा। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या में 15.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अन्य सामान्य दर्जे के राज्यों का वृद्धि प्रतिशत दर 13.42 था, जो यह प्रदर्शित करता है कि वर्त्तमान दशक में बिहार का प्रति व्यक्ति आय दूसरे सामान्य दर्जे के राज्यों से अत्यंत निम्न रहा है।

1.1.1 चालू वर्ष का वित्तीय लेन-देन का सारांश

तालिका 1.1 में चालू वर्ष (2009–10) तथा विगत वर्ष के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय क्षेत्र लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत किया गया है। **परिशिष्ट 1.2** में चालू वर्ष के दौरान विस्तृत प्राप्तियों एवं संवितरणों तथा संपूर्ण वित्तीय स्थिति को दिखाया गया है।

[1] बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरीडीह, गोडा, गुमला, हजारीबाग,कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रॉची, साहेबगंज, सिंहभूमि (पूर्व) एवं सिंहभूमि (पश्चिम)

[2] अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुज्जफरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपूरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिम चंपारण

तालिका 1.1 : चालू वर्ष का वित्तीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

2008-09	प्राप्तियाँ	2009-10	2008-09	संवितरण	2009-10		
खण्ड-क राजस्व					गैर योजना	योजना	कुल
32980.69	राजस्व प्राप्तियाँ	**35526.83**	28511.58	राजस्व व्यय	**24145.38**	**8438.79**	**32584.17**
6172.74	कर राजस्व	8089.67	10529.51	सामान्य	11850.99	351.36	12202.35
1153.32	करेत्तर	1670.42	12252.10	सामाजिक	8046.11	5140.30	13186.41
17692.51	संघीय कर/शुल्कों का अंश	18202.58	5726.01	आर्थिक सेवाएँ	4140.82	2947.13	7087.95
7962.12	भारत सरकार से अनुदान	7564.16	3.96	सहायता अनुदान अंशदान	107.46	0.00	107.46
खण्ड-ख पूँजीगत							
0.00	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	6436.35	पूँजीगत परिव्यय	63.97	7268.12	7332.09
11.32	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	13.20	551.05	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	409.51	487.27	896.78
5927.89	लोक ऋण प्राप्तियाँ*	6134.39	1682.28	लोक ऋण की अदायगियाँ	**	**	1982.99
0.00	आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	आकस्मिकता	**	**	0.00
16941.02	लोक लेखा प्राप्तियाँ	15303.39	17310.63	लोक लेखा संवितरण	**	**	15447.74
2188.06	आरंभिक नकद शेष	3557.09	3557.09	अंतिम नकद शेष	*	*	2291.13
58048.98	कुल	**60534.90**	**58048.98**	कुल			**60534.90**

(स्त्रोतः बिहार सरकार के वित्तीय लेखा 2008-09 एवं 2009-10)

*अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट शुद्ध लेन-देन को छोड़कर

**योजना एवं गैर योजना के द्विभाजन संधारित नहीं।

वर्ष 2009-10 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्त्तन हुए जो निम्नांकित हैः-

- पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2546 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई, यह वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 1917 करोड़), करेत्तर राजस्व (₹ 517 करोड़), एवं संघीय करों का अंशदान (₹ 510 करोड़) तथा भारत सरकार से अनुदान ₹398 करोड़ के कारण हुई।

- वर्ष 2008-09 से 2009-10 तक राज्य के कर राजस्व में ₹ 6173 करोड़ से ₹ 8090 करोड़ की वृद्धि (31 प्रतिशत) हुई। वर्ष के दौरान कर प्राप्तियों से राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता में 2008-09 के 19 से 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में ₹4073 करोड़ की वृद्धि हुई जो मुख्यतः सामान्य सेवाएँ (₹1673 करोड़), सामाजिक सेवाएँ (₹934 करोड़)

आर्थिक सेवाएँ (₹1362 करोड़) तथा सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹104 करोड़) के व्यय में वृद्धि के कारण हुई।

- योजना एवं गैर योजना व्यय के संदर्भ में इस वर्ष के दौरान गैर योजना व्यय में (राजस्व एवं पूँजी) ₹2934 करोड़ तथा योजना व्यय में ₹2380 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय का 87.05 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों तथा शेष पूंजीगत प्राप्ति एवं ग्रहीत निधि से किया गया ।

- जबकि सामाजिक सेवाओं में वृद्धि आठ प्रतिशत दर्ज की गई, आर्थिक सेवाओं में 24 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

- पूर्व वर्ष की तुलना में परिसम्पतियों के निर्माण में पूँजीगत व्यय में ₹896 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरण में क्रमशः ₹1638 करोड़ (10 प्रतिशत) तथा ₹1863 करोड़ (11 प्रतिशत) की कमी आई जिसके कारण लोक लेखा के निवल प्राप्तियों में इस वर्ष के दौरान ₹144 करोड़ की कमी आई।

- इन लेन–देनों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में नगद शेष के रूप में पूर्व वर्ष से ₹1266 करोड़ की क्षति हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

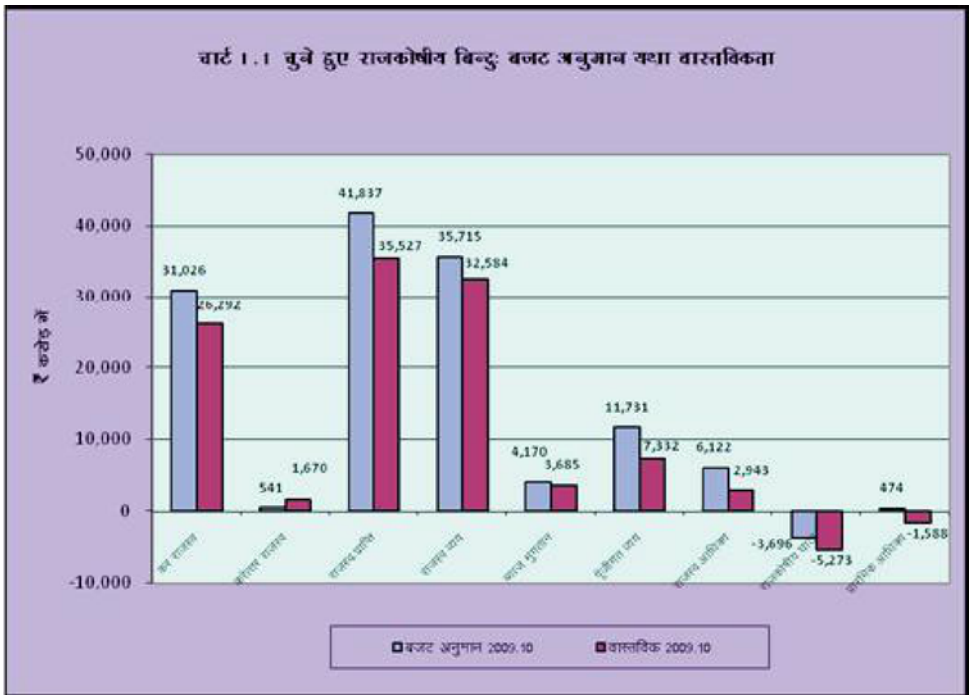
बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्व घाटा राज्य सरकार को वर्ष 2008–09 के अंत तक समाप्त करना था और राजकोषीय घाटा को वर्ष 2008–09 तक राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के तीन प्रतिशत के अंतर्गत रखना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है । तथापि राजकोषीय घाटा निर्धारित मानक से वित्तीय वर्ष 2008–10 में जी.एस.डी.पी. का 3.5 प्रतिशत बढ़ा था ।

राज्य के वित्तीय लेखाओं की लेखा परीक्षा यह प्रदर्शित करती है कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार राजस्व घाटा की समाप्ति को प्राप्त किया तथा राज्य के राजस्व में वर्ष 2005–10 के दौरान वृद्धि हुई। वर्ष 2009–10 के दौरान वित्तीय घाटा 3.40 प्रतिशत रहा जो कि बारहवें वित्त आयोग के संशोधित मानक के अंतर्गत था।

1.1.3 बजट विश्लेषण

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट राजस्व प्राप्ति अनुमान एवं वित्तीय वर्ष के अंतर्गत होने वाले व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण साधन है। अतः यह आवश्यक है कि समुचित एवं प्रभावी आर्थिक प्रबंधन के लिए बजट दस्तावेज राज्य के राजस्व एवं व्यय का सही आकलन प्रस्तुत करे। बजट अनुमान से विचलन राजकोषीय उद्देश्यों को नहीं प्राप्त करने एवं आशा के विपरीत परिणामों की ओर इंगित करता है। ऐसा विभिन्न कारणों से होता है, जिसमें कुछ सरकार के नियंत्रणाधीन और कुछ सरकार के नियंत्रण के बाहर होते हैं।

चार्ट 1.1 बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 के चुने हुए राजकोषीय बिन्दु के वास्तविक व्यय को प्रदर्शित करता है।



चार्ट 1.1 के आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि करेत्तर राजस्व के अलावा वास्तविकता अनुमान से काफी नीचे था जो यह इंगित करता है कि या तो असंगत ये अथवा वित्तीय वर्ष में किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने समुचित कदम नहीं उठाये। यह भी प्रदर्शित होता है कि उपलब्धता होने के बावजूद भी सरकार द्वारा निधि के समुचित व्यय करने में अपर्याप्त प्रयास किये गये। यह भी देखा गया कि:-

- करेत्तर राजस्व अनुमान से 309 प्रतिशत बढ़कर था। यह मुख्यतः सामान्य सेवाएँ-विविध-सामान्य सचिवालय अन्य सेवाएं एवं ब्याज भुगतान के अंतर्गत था जहाँ वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 807 करोड़ तथा ₹ 355 करोड़ था जबकि अनुमान क्रमशः ₹ 159 करोड़ तथा ₹ 54 करोड़ था।
- राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय अनुमान की तुलना में क्रमशः ₹ 6310 करोड़ तथा ₹ 3131 करोड़ कम थे। पूँजीगत व्यय अनुमान से ₹ 4399 करोड़ (37 प्रतिशत) कम रहा जो पूँजीगत कार्यों के लिए निधि के संविलियन में कठिनाई दर्शाता है।
- राजस्व अधिशेष तथा आरंभिक अधिशेष[3] बजट अनुमान से कम थे। राजस्व अधिशेष बजट अनुमान से ₹ 3179 करोड़ (52 प्रतिशत) कम था; राजकोषीय घाटा ₹ 1577 करोड़ (43 प्रतिशत) बढ़ा जहाँ आरंभिक अधिशेष में अनुमान के विरूद्ध ₹ 2062 करोड़ (435 प्रतिशत) की कमी आयी जिससे ₹ 1588 करोड़ का प्रारंभिक घाटा हुआ।

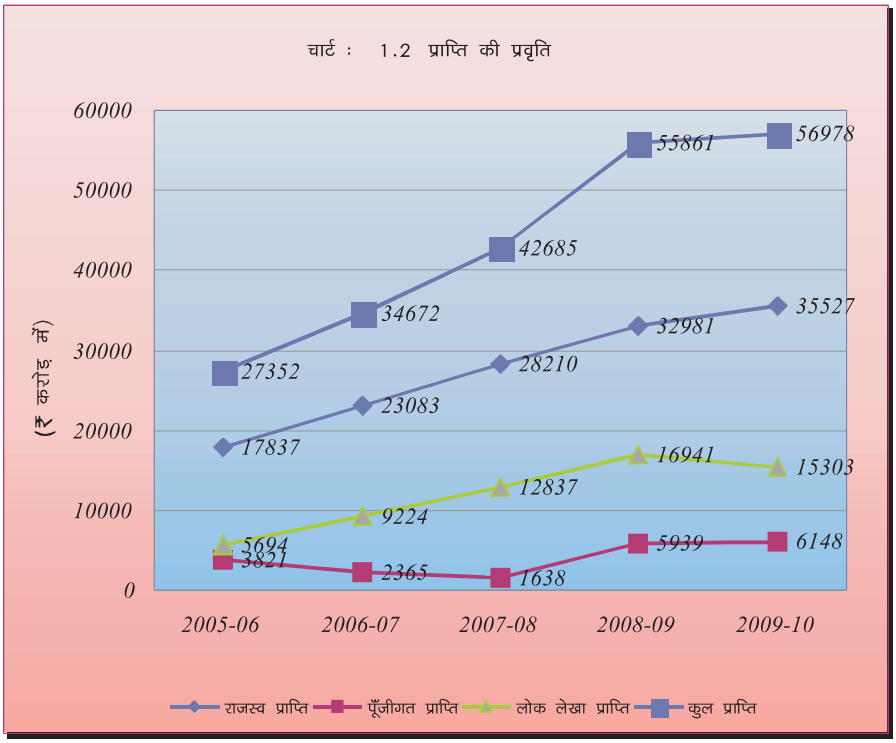
[3] आरंभिक आधिक्य = राजकोषीय घाटा/आधिक्य - ब्याज की अदायगी

1.2 राज्य का स्त्रोत

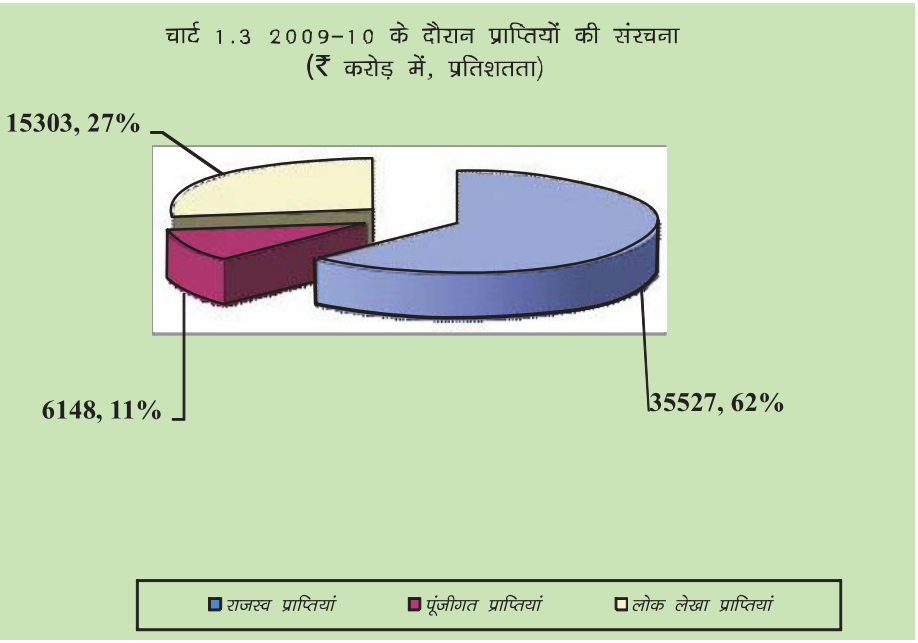
1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के स्त्रोत

राज्य सरकार के राजस्व स्त्रोत के दो भाग हैः पूँजी तथा राजस्व। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि निवेश से प्राप्ति, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्त्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/व्यवसायिक बैंको से कर्ज) से प्राप्तियाँ वाणिज्यिक एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा से संभूति द्वारा प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। दूसरी ओर राजस्व प्राप्तियाँ में राज्य सरकार के अपने कर एवं करेत्तर राजस्व, संघीय कर में राज्य की भागीदारी एवं भारत सरकार से प्राप्त कर एवं अनुदान शामिल हैं।

चार्ट **1.2** वर्ष 2005–10 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के विभिन्न अव्यवों प्रवृत्ति और चार्ट 1.3 2009–2010 के दौरान राज्य के इन प्राप्तियों के संरचना को प्रदर्शित करता है।



चार्ट 1.3 2009-10 के दौरान प्राप्तियों की संरचना
(₹ करोड़ में, प्रतिशतता)



चार्ट संख्या 1.2 तथा 1.3 प्रदर्शित करते हैं कि:

- पिछले वर्ष की अपेक्षा राज्य के कुल स्त्रोत में ₹ 1117 करोड़ (दो प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण ₹ 2546 करोड़ (आठ प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियाँ एवं ₹ 209 करोड़ (चार प्रतिशत) पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि थी। हालाँकि लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 1638 करोड़ (दस प्रतिशत) की कमी थी।

- केन्द्र सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम राशि में पिछले वर्ष ₹ 614 करोड़ बढ़ोतरी के कारण इस वर्ष के दौरान आंतरिक कर्ज में ₹ 408 करोड़ की कमी हुई। जिस कारण पिछले वर्ष से लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 207 करोड़ (3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का हस्तांतरण

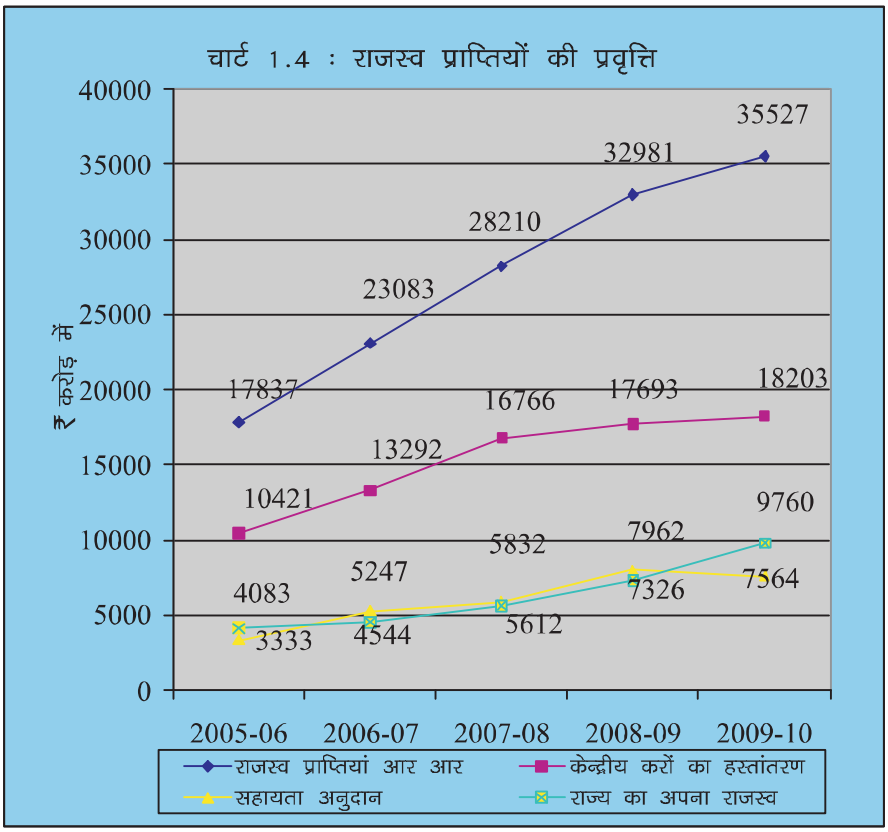
भारत सरकार द्वारा वर्ष के दौरान निधियों का बड़ा अंश विभिन्न जटिल सामजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों[4] को हस्तांतरण कर दिया जाता है । चूँकि ये निधियाँ राज्य बजट एवं कोषागार से होकर व्यय नहीं की जाती हैं अतः वार्षिक वित्त लेखा इन निधियों के प्रवाह को नहीं दर्शाता है इस प्रकार राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय, अन्य वित्तीय परिवर्त्तनशीलता तथा साथ-साथ उससे निकलकर आने वाले परिचालिका को कम कर आंका जाता है। कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का हस्तांतरण **परिशिष्ट 1.3** में दिखलाया गया है।

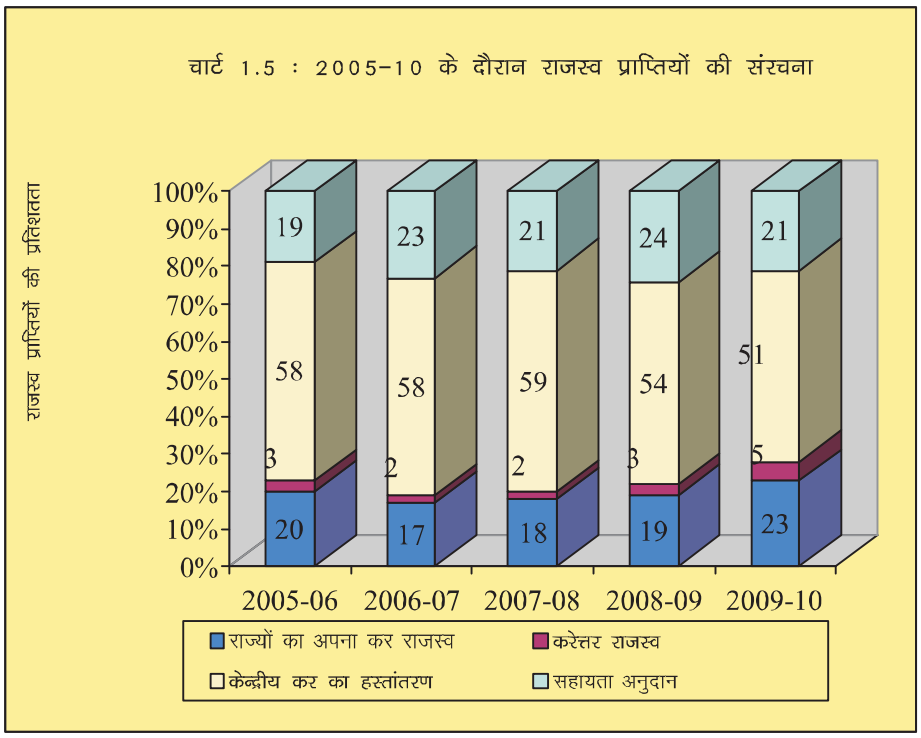
[4] राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों में कोई भी संगठन/संस्थाएं, वैसे अर्ध सरकारी संस्थाएं शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से, राज्य में विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति आदि निधि प्राप्त करने के लिए मान्य है ।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.3** से प्रमाणिक है कि राज्य बजट के बाहर केन्द्रीय निधि प्राप्तियाँ ₹ 5182.20 थी जिसके विरूद्ध पिछले वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ ₹ 6435 करोड़ थी। राज्य बजट के बाहर केन्द्रीय निधि (प्राप्ति एवं व्यय) की प्रतिशतता में चालू वर्ष के 12.43 प्रतिशत तथा 12.11 प्रतिशत से क्रमशः गत वर्ष 2008-09 के 16.53 तथा 17.31 प्रतिशत की कमी आई।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखा का विवरण-11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर एवं करेत्तर राजस्व केन्द्रीय कर का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2005-10 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्ति को **परिशिष्ट 1.4** एवं क्रमशः **चार्ट 1.4** एवं **1.5** में भी दर्शाया गया है।





राज्यों के अपने कर/करेत्तर राजस्व में वृद्धि के उत्तरदायी कारक चार्ट 1.4 तथा 1.5 में प्रदर्शित किये गए।

- राज्य के अपने कर राजस्व में 1917 करोड़ वृद्धि, पिछले वर्ष की तुलना में मूलतः बिक्री एवं व्यापार कर आदि ₹ 823 करोड़ (27 प्रतिशत), राज्य उत्पाद ₹ 403 करोड़ (59 प्रतिशत), माल एवं यात्री कर ₹ 334 करोड़ (26 प्रतिशत) और मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क ₹ 282 करोड़ (39 प्रतिशत) मदों में हुई।
- करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 517 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण विविध सामान्य सेवाएँ ₹ 384 करोड़ (100 प्रतिशत), अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग ₹ 75 करोड़ (31 प्रतिशत) तथा ऋण ₹ 49 करोड़ (16 प्रतिशत) थी।

प्रवृत्ति को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों को तालिका 1.2 में दिखलाया गया है।

तालिका 1.2 राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
राजस्व प्राप्तियाँ (आर आर) (₹ करोड़ में)	**17837**	**23083**	**28210**	**32981**	**35527**
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.51	29.41	22.21	16.91	7.72
आर आर/जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	22.47	23.18	24.61	23.14	22.91
उत्पलवता अनुपात[5]					
राजस्व उत्पलवता संदर्भ में जी0एस0डी0पी0	1.74	1.16	1.47	0.70	0.88
राज्य के निजी कर उत्पलबता जी0एस0डी0पी0 के संदर्भ में	0.82	0.52	1.73	0.88	3.53

(स्त्रोतः बिहार सरकार का वित्त लेखा)

तालिका 1.2 से यह स्पष्ट है कि जी एस पी डी के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों की उत्पलवता में वर्ष 2005-06 में 1.74 प्रतिशत से वर्ष 2009-10 में 0.88 तक की कमी आई, वह भी गत वर्ष के 0.18 प्रतिशत वृद्धि के बाद।

वर्ष 2005-09 की अवधि के दौरान जी0 एस0 डी0 पी0 के संदर्भ में राज्य का अपना कर उत्पलवता 0.52 से 1.73 प्रतिशत के बीच रहा परन्तु 2009-10 के दौरान 3.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का मुख्य कारण कर अनुवृति में सुधार तथा राज्य सरकार द्वारा राजस्व क्षति होने के कारणों को चिन्हित करने हेतु उठाये गये ठोस कदम थे।

1.3.1 राज्य का निजी स्त्रोत

टी एफ सी द्वारा बनाये गए विनियामक परियोजना के विरूद्ध, हालाँकि टी एफ सी की परियोजना (₹ 1618 करोड़) में करेत्तर कर में 52 करोड़ की वृद्धि हुई, टीएफसी के ₹ 8240 करोड़ के परियोजना के विरूद्ध राज्य का अपना कर वसूली ₹ 8090 करोड़ था जिससे ₹ 150 करोड़ की क्षति हुई। अधिनिर्णय अवधि (2005-10) के दौरान राज्य का अपना कर राजस्व वसूली केवल ₹ 26943 करोड़ था जबकि प्रयोजित ₹ 32648 करोड़ था तथा करेत्तर राजस्व ₹ 4382 करोड़ था जबकि प्रयोजित ₹ 5890 करोड़ था। परिणामस्वरूप राज्य का अपना राजस्व वसूली टी एफ सी प्रेक्षण मानक के विरूद्ध ₹ 7213 करोड़ कम था हालाँकि इसमें राज्य के निजी प्रक्षेपण राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) को बढ़ाया।

1.3.2 संग्रहण की लागत

तालिका 1.3 वर्ष 2008-09 से 2009-10 के दौरान वृहद कर राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण में व्यय तथा ऐसे व्यय के प्रतिशतता से सकल संग्रहण साथ ही 2008-09 के प्रासंगिक संपूर्ण भारत औसत को प्रदर्शित करता है।

[5] उत्पलवता अनुपात आधार परिवर्तनीयता में परिवर्तन के आधार पर वित्तीय परिवर्तनीयता के सापेक्षता एवं अवस्था के प्रतिकियाशीलता को दर्शाता है उदाहरण के लिए राजस्व उत्पलावकता 0.6 हो तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है यदि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है ।

तालिका 1.3: संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य राजस्व	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण में व्यय	सकल संग्रहण व्यय की प्रतिशतता	2008-09 की संपूर्ण भारत औसत प्रतिशतता
1.	वाणिज्यिक कर*	2008-09	4,377.92	46.67	1.07	0.88
		2009-10	5,541.00	48.84	0.88	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2008-09	679.14	24.15	3.56	3.66
		2009-10	1,081.68	44.02	4.07	
3.	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2008-09	716.19	37.68	5.26	2.77
		2009-10	997.90	45.90	4.60	
4.	वाहन कर	2008-09	297.74	6.95	2.33	2.93
		2009-10	345.13	10.41	3.02	

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता हैं कि वर्ष 2008-09 के दौरान सम्पूर्ण भारत औसत प्रतिशतता की तुलना में राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर के अलावा सभी कर संग्रहण में अधिक व्यय किया ।

1.3.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक वसूली में भिन्नता

कर एवं करेत्तर राजस्व बजट अनुमान एवं वास्तविक वसूली राशि में वृहद भिन्नता थी जो यह प्रदर्शित करती है कि बजट अनुमान की तैयारी सामान्य ढंग से बिना किसी यथार्थ विचार के की गई। **परिशिष्ट 1.5** में बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता में वृद्धि/कमी को दिखाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में वर्ष के प्रारंभ एवं अंत में वापसी के लंबित मामले की स्थिति तालिका 1.4 में दिखलायी गई है।

* वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सकल संग्रहण में बिक्री कर/वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) माल तथा यात्री पर कर, स्थानीय क्षेत्रों में माल प्रवेश कर, विद्युत कर तथा शुल्क एवं अन्य वस्तु एवं सेवा कर व शुल्क

तालिका 1.4: विभागवार वापसी के लंबित मामले की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	बिक्री कर		स्थानीय क्षेत्र में मालों के प्रवेश पर कर		मनोरंजन कर	
		मामलों की सं0	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की सं0	राशि
1.	वर्ष 2008-09 के अंत में बकाया दावा	2030	48.18	6	0.50	5	नगण्य
2.	वर्ष 2009-10 के प्रारंभ में बकाया दावा	1803	45.87	1	0.29	शून्य	शून्य
3.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावा	475	67.56	100	1.80	4	0.03
4.	वर्ष के दौरान वापसी	165	19.85	3	1.12	3	0.01
5.	वर्ष के अंत में शेष बकाया	2113	93.58	98	0.97	1	0.02

(स्त्रोतः वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार) * ₹ 0.12 लाख

यह भी अवलोकन किया गया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि बिक्री कर, स्थानीय क्षेत्र में मालों के प्रवेश पर कर तथा मनोरंजन कर के संबध में सूचित आरंभिक शेष, विभाग तथा वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) द्वारा सूचित अंतिम शेष से भिन्न थे।

1.3.4 राजस्व बकाया

राजस्व के मुख्य शीर्ष में (सात विभागों द्वारा सूचित) 31 मार्च 2010 को राजस्व बकाया ₹ 1922.69 करोड़ थे जिसमें ₹ 396.59 करोड़ पाँच वर्ष से ज्यादा समय से लंबित थे **(परिशिष्ट 1.6)**। 31 मार्च 2010 के अंत तक अन्य विभागों (भूमि राजस्व, राज्य उत्पाद इत्यादि) से संबंधित राजस्व बकाया की स्थिति (अक्टूबर 2010) नहीं दिये गये । मई एवं अगस्त 2010 के बीच बार-बार इसके लिए आग्रह किया गया था ।

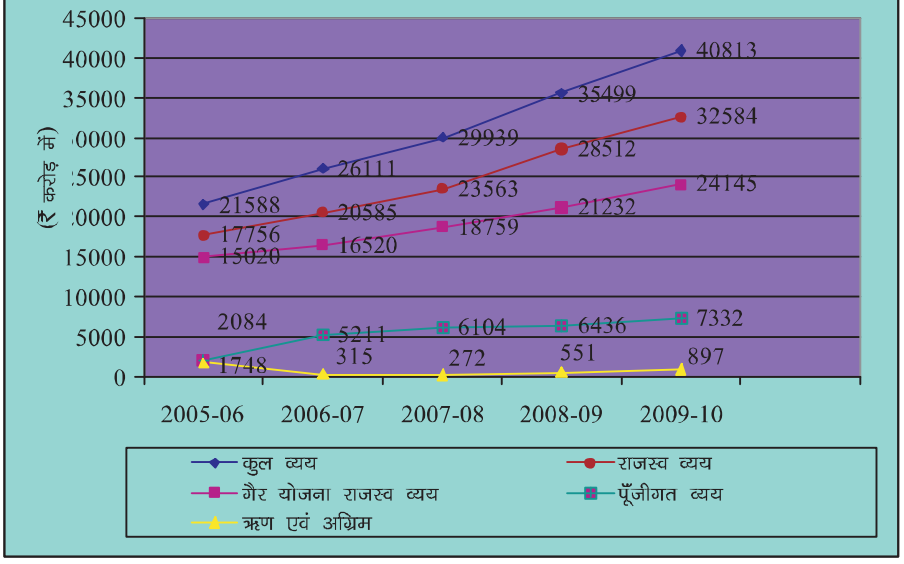
1.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य स्तर पर व्यय के विनिधान का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें ही सुपुर्द है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य स्तर पर जारी वित्तीय सुधार एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया सरकारी स्तर पर किये जाने वाले व्यय की कीमत पर न हो विशेष कर वैसा जो विकास एवं सामाजिक क्षेत्र में होने वाले व्यय से हो।

1.4.1 व्यय की संरचना एवं विकास

चार्ट 1.6 वर्ष 2005-10 के दौरान कुल व्यय को प्रदर्शित करता है। आर्थिक वर्गीकरण एवं क्रियाकलापों के आधार पर व्यय के संबंध में उसकी संरचना को क्रमशः चार्ट 1.7 तथा 1.8 में दिखलाया गया है।

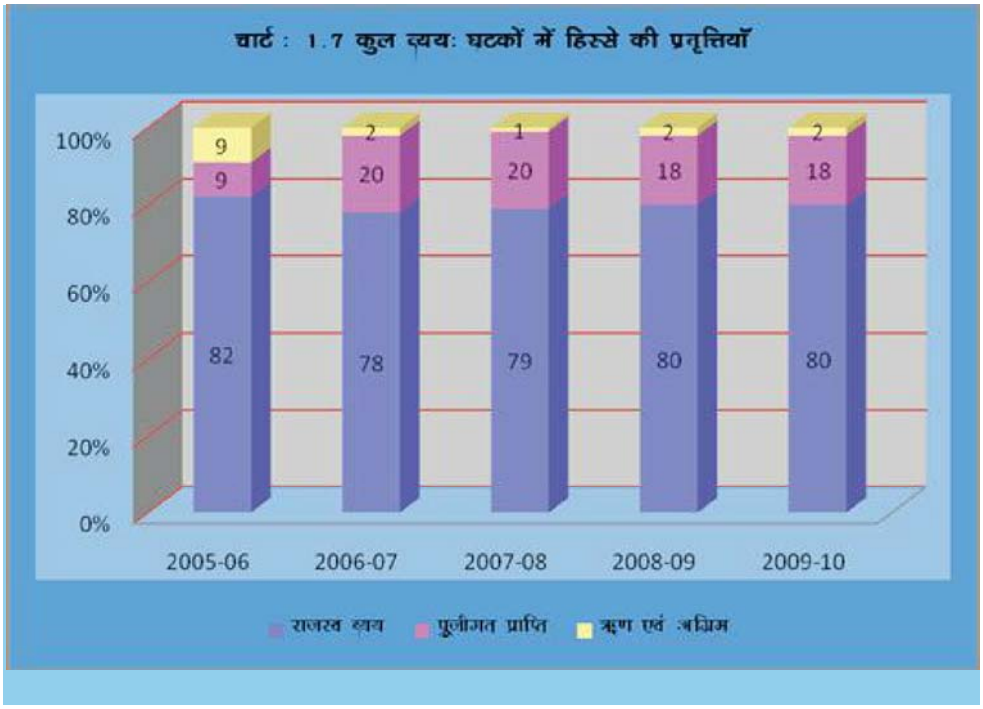
चार्ट 1.6 : कुल व्ययः प्रवृत्ति एवं संरचना



- चार्ट 1.6 प्रदर्शित करता है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2005-06 के ₹21588 करोड़ की तुलना में बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹40813 करोड़ हो गया। चालू वर्ष में कुल व्यय में पूर्व वर्ष की अपेक्षा ₹5314 करोड़ की वृद्धि हुई जिससे राजस्व व्यय ₹4073 करोड़ (14 प्रतिशत) एवं पूँजीगत व्यय, ऋण एवं अग्रिमों के संवितरणों को मिलाकर ₹1242 करोड़ (18 प्रतिशत) था ।

- हाल के वर्षों में, बिहार के जी एस डी पी का विकास दर काफी ऊँचा रहा, जिसके चलते चालू वर्ष में कुल व्यय से जी एस डी पी का उत्पलवता 0.59 रहा।

- गैर योजना राजस्व व्यय (एन पी आर ई) जो ₹24145 करोड़ था न सिर्फ बारहवें वित्त आयोग के मानक प्रक्षेपण (₹19989 करोड़) से ₹4156 करोड़ (21 प्रतिशत) ज्यादा था बल्कि राजकोषीय सुधार पथ (₹22357 करोड़) से ₹1788 करोड़ (8 प्रतिशत) अधिक था। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष में बजट अनुमान ₹28019 करोड़ से ₹3874 करोड़ (14 प्रतिशत) कम था।

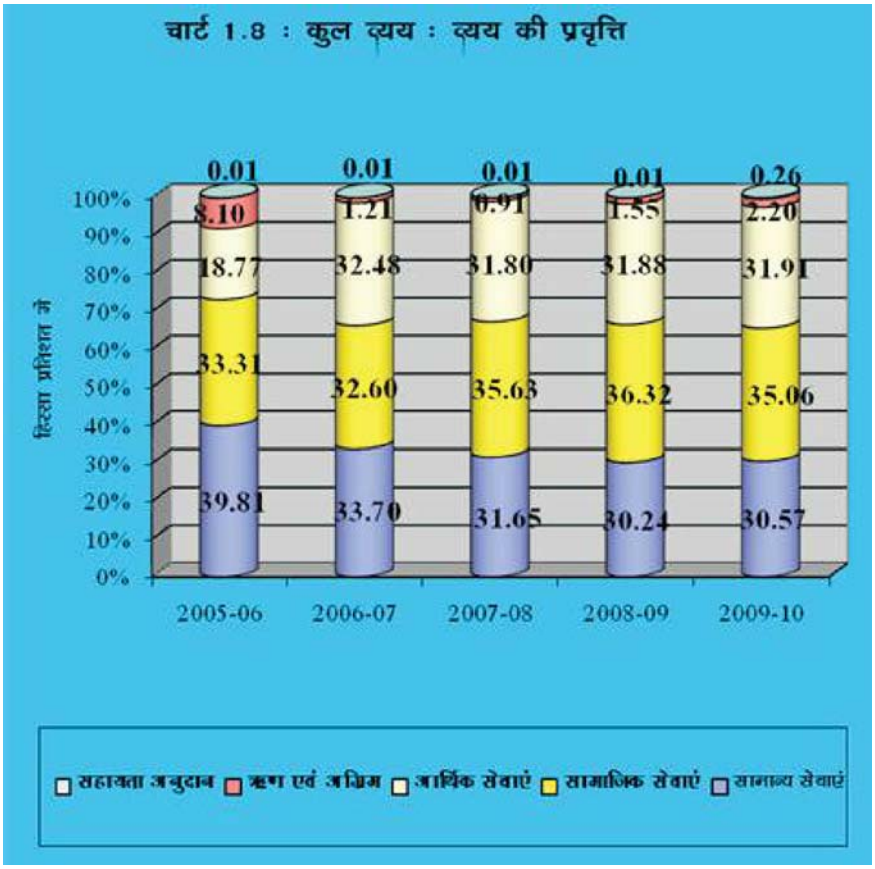


चार्ट 1.7 एवं लेखा परीक्षा जाँच के क्रम में पाया गया कि:

- मुख्य रूप से राजस्व व्यय में वृद्धि शिक्षा, खेल–कूद, कला एवं संस्कृति (₹ 710 करोड़), ग्रामीण विकास (₹571 करोड़) कृषि एवं उससे संबंधित कार्यक्रम (₹231 करोड़), यातायात(₹197 करोड़), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (₹195 करोड़), सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण (₹193 करोड़) एवं अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण (₹172 करोड़), सामान्य सेवाओं में ₹1673 करोड़ के अतिरिक्त हुई।

- मुख्य रूप से पूँजीगत व्यय में वृद्धि यातायात (₹595 करोड़), जलापूर्त्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास (₹278 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹208 करोड़) तथा शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति (₹157 करोड़) में हुई।

- कुल व्यय में राजस्व तथा पूँजीगत व्यय के हिस्से क्रमशः 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत थे, जो गत वर्ष के समान ही था। चालू वर्ष में राजस्व व्यय में वृद्धि राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से अधिक था।



कार्यकलाप के संदर्भ में, कुल व्यय की संरचना में सामान्य सेवाओं पर ब्याज भुगतान सहित व्यय, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायतानुदान तथा ऋणों एवं अग्रिमों को समायुक्त माना जा सकता है। व्यय के इन घटकों के पारस्परिक अंश का संचालन चार्ट 1.8 यह प्रदर्शित करता है कि कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं के अंश 2005-06 के 33 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 36 प्रतिशत हो गया, यह वर्ष 2009-10 के दौरान 35 प्रतिशत कम हो गया था।

कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं का अंश 19 प्रतिशत (2005-06) से बढ़कर 2006-07 में 32 प्रतिशत हो गया और 2009-10 तक स्थिर रहा। इन वर्षों के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों की अदायगी आठ प्रतिशत से घटकर दो प्रतिशत रह गयी। जबकि सहायतानुदान के पारस्परिक अंश में इस वर्ष के दौरान 0.01 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, सामान्य सेवाओं में कुल व्यय (2005-06) की 40 प्रतिशत से वर्ष 2008-09 के दौरान 30 प्रतिशत की कमी आयी, परन्तु वर्ष 2009-10 के दौरान 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं रियायतों पर व्यय सम्मिलित होते हैं। तालिका 1.5 में वर्ष 2005-10 के दौरान इन अवयवों पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 1.5. प्रतिबद्ध व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी जिसमें से	**5783.35** (32.42)	**6061.21** (26.06)	**6469.53** (22.93)	**7545.61** (22.88)	**9654**	**9658.74** (27.18)
गैर योजना शीर्ष	*5152.79*	*5538.57*	*5914.81*	*6996*	अनुपलब्ध	*9001.42*
योजना शीर्ष*	*630.56*	*477.64*	*554.72*	*550*	अनुपलब्ध	*657.32*
ब्याज अदायगियाँ	3649 (20.46)	3416 (14.80)	3707 (13.14)	3753 (11.38)	4170	3685.48 (10.37)
पेंशन पर व्यय	2456 (13.77)	2497 (10.82)	2789 (9.89)	3479.03 (10.55)	3782	4318.70 (12.16)
रियायतें	-	-	-	861.58 (2.61)	-	944.39 (2.66)

कोष्टक में दिये गये आंकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता दिखलाते है।
*योजना शीर्ष में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर किया गया व्यय शामिल है।

स्त्रोतः बिहार सरकार के वित्त लेखे एवं बजट 2009-10

तालिका 1.5 तथा वित्तीय लेखों/बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आँकड़ो का विश्लेषण निम्नांकित हैः

- गैर योजना शीर्ष के अंतर्गत गैर योजना राजस्व व्यय में निवल ब्याज भुगतान एवं पेंशन को कुल वेतन का 55.77 प्रतिशत था। यह बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा मानक 35 प्रतिशत से अधिक था।
- हालाँकि वर्ष 2009-10 में ब्याज भुगतान प्रक्षेपित व्यय ₹5324 करोड़ के अंतर्गत था, राजकोषीय सुधार पथ के प्रक्षेपित व्यय ₹3794 करोड़ से पेंशन भुगतान ₹4318.70 करोड़ पर अधिक था।
- ₹944.39 करोड़ राहत अनुदान दी गयी, जिसमें ₹840 करोड़ राहत अनुदान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को संसाधनों के आभाव की प्रतिपूर्त्ति के लिए दी गई। यह राशि वर्ष 2008-09 में दी गई राशि की तुलना में ₹120 करोड़ अधिक थी।
- वेतन वृद्धि का मुख्य कारण जनवरी 2010 से छठें वेतन आयोग की अनुशंसा का क्रियान्वयन था।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

जीवन स्तर सुधारने हेतु कोई व्यय, चाहे वह आधारभूत संरचना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में सुधार हो, राज्य में सामान्यतः साकारात्मक व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। यह व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन अवयवों पर निर्भर करती है जैसे व्यय की पर्याप्तता, व्यय के उपयोग की दक्षता एवं व्यय की प्रभावकारिता/उपर्युक्त आधार पर व्यय गुणवत्ता का लेखा परीक्षा मूल्यांकन निम्नांकित हैः

1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

ज्योंहि राज्य सकल घरेलु उत्पाद में वृद्धि होती है, राज्य सरकार अपना कर तथा करेत्तर आधार/दर बढ़ा सकती है जिससे वार्षिक बजट के निधि में वृद्धि हो सके।

अतः वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक के बिहार के लोक व्यय की तुलना अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से करना प्रासंगिक होगा। ऐसी तुलना यह प्रदर्शित करती है कि बिहार ने विचाराधीन दोनों वर्ष 2005-06 (बारहवें वित्त आयोग पुरस्कार अवधि का प्रथम वर्ष) की तुलना में 2009-10 (पुरस्कार अवधि का अंतिम वर्ष) में राज्य सकल घरेलू उत्पाद का अधिक मात्रा समस्त व्यय पर खर्च किया है। विकास व्यय, जिसमें आर्थिक क्षेत्र व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र व्यय समाहित है, में मानव पूँजी संरचना में वृद्धि करने की क्षमता है जिससे भविष्य में अच्छा विकास होगी। सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्वों को बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को सौंपा जाता है। मानवीय विकास स्तरों में वृद्धि हेतु राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सदृश सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। तथापि, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किये गए निम्न स्तर के व्यय के कारण निम्न राजकोषीय प्राथमिकता अथवा राज्य सरकार की निम्न राजकोषीय क्षमता के अथवा एक साथ दोनों कारणों से हो सकता है।

तालिका 1 .6 राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं क्षमता 2005-06 एवं 2009-10 में

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	एई/ जीएसडीपी	डीई/ एई	एसएसई एई	सीई/ एई	शिक्षा/ एई	स्वास्थ्य/ एई
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2005-06	17.75	61.76	30.76	13.97	14.95	4.05
बिहार राज्य का औसत (अनुपात) 2005-06	27.20	60.15	33.31	9.65	20.49	4.70
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2009-10	18.24	66.05	35.76	14.85	16.21	4.28
बिहार राज्य का औसत (अनुपात) 2009-10	26.32	69.15	35.06	17.96	18.99	3.70

एईः कुल व्यय, डी ईः विकास व्यय, एस एस ईः सामाजिक क्षेत्र व्यय
सी ईः पूँजीगत व्यय
व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय तथा वितरित किये गये ऋण एवं अग्रिम शामिल है।
स्त्रोतः जी एस डी पी के लिए राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से सूचना संग्रहित की गई थी।

तलिका 1.6 वर्ष 2005-06 (बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के पुरस्कार अवधि का प्रथम वर्ष) तथा चालू वर्ष 2009-10 (बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) पुरस्कार अवधि का अंतिम वर्ष) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय प्राथमिकता के विभिन्न वर्गो के व्यय को प्रदर्शित करता है।

- 2005-06 से 2009-10 में, बिहार सरकार ने कुल व्यय (एई) एवं सामाजिक क्षेत्र को देश में अन्य राज्यों की तुलना में पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता दी क्योंकि कुल व्यय/जी एस डी पी एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय/कुल व्यय बिहार के मामले में सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था। डी ई/ए ई अनुपात जो कि वर्ष 2005-06 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के अनुपात से निम्न था, वर्ष 2009-10 में ठोस वृद्धि हुई। इसी प्रकार वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य द्वारा जो कुल व्यय की पूँजीगत व्यय पर प्राथमिकता दी गई वह केवल 9.65 प्रतिशत था, जिसके विरुद्ध सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत 13.97 प्रतिशत था परन्तु इसमें 2009-10 में 17.96 प्रतिशत की ठोस वृद्धि हुई, जिसके विरुद्ध सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत 14.85 प्रतिशत था। पूँजीगत व्यय पर बढ़ी प्राथमिकता के फलस्वरूप

संपत्ति सृजन तथा बिहार का द्रुत विकास हो सकता था बशर्ते दिये गये वांछित समय में आर्थिक लागत को भौतिक परिणाम में बदला जाता।

- वर्ष 2009-10 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावे राज्य ने सामाजिक क्षेत्र व्यय (एस एस ई) शिक्षा क्षेत्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्र को पर्याप्त प्राथमिकता दी है। 2009-10 के दौरान राज्य का स्वास्थ्य पर औसत व्यय मात्र 3.70 प्रतिशत था जबकि इसके विरूद्ध सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत 4.28 प्रतिशत था। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार सामाजिक, शिक्षा, एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में वृहद राजकोषीय प्राथमिकता दें, क्योंकि यह विचारणीय है कि बिहार का विकास स्तर इन क्षेत्रों में काफी नीचे है (परिशिष्ट 1.1) ।

1.5.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

चूँकि राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए विकासात्मक शीर्षो पर व्यय बहुत महत्वपूर्ण है, यह आवश्यक है कि राज्य सरकार सचेत, प्राथमिकता पर आधारित तथा तर्कसंगत उपाय लोक व्यय के लिए करें। उपर्युक्त व्यय के तर्कसंगत एवं कोर पब्लिक गुड्स एवं मेरिट गुड्स[6] के प्रावधानों पर जोर देना महत्वपूर्ण होगा। इसके बदले में, यह विकास व्यय[7] की ओर आवंटन को सुधारेगा, विशेषकर हाल के वर्षो में ऋण वितरण में कमी से विशेष रूप से राजकोषीय अंतर बढ़ जाने के कारण ।

पूँजीगत व्यय के अनुपात से कुल व्यय (और/या जी एस डी पी) तथा वर्त्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण पर राजस्व व्यय के अनुपात के द्वारा व्यय उपयोग की दक्षता भी प्रतिबिंबित होती है। इन अवयवों और कुल व्यय (एवं/या जी एस डी पी) का अनुपात के उच्चतर होने से व्यय की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

तालिका **1.7** 2005-10 के दौरान राज्य के कुल व्यय की अपेक्षा विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है जबकि तालिका 1.8 2009-10 के दौरान चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर किये गए राजस्व व्यय के अवयवों तथा पूँजीगत व्यय का ब्योरा प्रदान करता है।

[6] कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते है कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस के उपयोग से कोई अन्तर नहीं पड़ता है जैसे विधि-व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सड़क संचरना आदि।
मेरिट गुड्स वे सौदा है जिन्हे सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा सोसाइटी को उन्हें अपनी आवश्यकता क्षमता और इच्छा के आधार पर लेना होगा जबकि सरकार को इसके लिए भुगतान करना होगा और इसलिए भुगतान करना होगा जब वह इनके उपयोग को बढ़ाना चाहती है। ऐसे सामानों में गरीबों के लिए मुफ्त या अनुदानित दरों पर पौष्टिक आहार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बिमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुपुर्दगी, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेय जल एवं स्वक्ष्छता आदि शामिल है।

[7] व्यय के आंकड़ो का विश्लेषण विकास एवं गैर - विकास व्यय के रूप में अलग - अलग किया गया है। राजस्व लेखा से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है। विस्तृत रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास संबंधी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय माना गया है।

तालिका-1.7: कुल व्यय से संबंधित विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के अवयव	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
विकास व्यय (क से ग तक)					
क. विकास राजस्व व्यय	9229 (42.75)	11938 (45.72)	14306 (47.78)	17978 (50.64)	20274 (49.68)
ख. विकास पूँजीगत व्यय	2012 (9.32)	5056 (19.36)	5881 (19.64)	6230 (17.55)	7058 (17.29)
ग. विकास ऋण एवं अग्रिम	1744 (8.08)	308 (1.18)	265 (0.89)	544 (1.53)	890 (2.18)
कोष्ठकों में दिया गया आँकड़ा कुल व्यय की प्रतिशतता इंगित करता है ।					

(श्रोतः बिहार सरकार का वित्त लेखे)

विकासात्मक राजस्व व्यय वर्ष 2005-06 में 43 प्रतिशत से वर्ष 2008-09 में 51 प्रतिशत की लगातार वृद्धि हुई, परन्तु इसमें वर्ष 2009-10 के दौरान 50 प्रतिशत की कमी आई। विकासात्मक पूँजीगत व्यय 2005-06 में नौ प्रतिशत से 2007-08 में 20 प्रतिशत तक वृद्धि प्रदर्शित करती है, परन्तु इसमें वर्ष 2009-10 के दौरान 17 प्रतिशत की गिरावट रही। ऋण तथा अग्रिम पर विकास व्यय में 2005-06 में आठ प्रतिशत से 2006-08 में एक प्रतिशत तक की गिरावट रही फिर इसमें 2008-09 तथा 2009-10 में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका 1.8 : चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशतता)

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2008-09		2009-10	
	पूँजीगत व्यय से कुल व्यय का अंश	राजस्व व्यय में अंश	पूँजीगत व्यय से कुल व्यय का अंश	राजस्व व्यय में अंश
		वेतन एवं मजदूरी का		वेतन एवं मजदूरी का
सामाजिक सेवाएं (एस एस)				
सामान्य शिक्षा	01	67.64	3.88	73.33
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	08	61.23	7.99	66.21
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	12	9.85	24.42	11.28
कुल (एस एस)	05	32.46	7.85	38.67
आर्थिक सेवाएं (ई एस)				
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	01	20.42	0.07	26.19
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	62	58.61	60.05	68.80
विद्युत एवं उर्जा	36	-	30.23	-
परिवहन	83	27.83	81.59	22.55
योग (ई एस)	**52**	**21.27**	**49.08**	**22.87**
योग (एस एस+ई एस)	**28**	**28.89**	**28.18**	**33.14**
टी ई: कुल व्यय, सी ई: पूँजीगत व्यय, आर ई: राजस्व व्यय एस एवं डब्लू: वेतन एवं मजदूरी				

(श्रोतः बिहार सरकार का वित्त लेखा)

तालिका 1.8 : प्रदर्शित करती है कि सामाजिक सेवाएँ क्षेत्र पूँजीगत व्यय से कुल व्यय की प्रतिशतता में वृद्धि हुई। इस तथ्य के आलोक में कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है, कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, विद्युत एवं ऊर्जा तथा यातायात के पूँजीगत व्यय में कमी होना स्वस्थ लक्षण नहीं है। वेतन तथा मजदूरी के मामलों में परिवहन क्षेत्र के अलावा वर्ष 2009-10 के

दौरान राजस्व व्यय में वेतन तथा मजदूरी के प्रतिशतता में वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण छठें वेतन आयोग का क्रियान्वयन था।

1.6 सरकारी व्यय एवं निवेश का विश्लेषण

वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लागू होने के बाद राज्य से यह आशा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (और उधार) को न केवल न्यून स्तर पर रखे बल्कि अपना पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं अग्रिमों के साथ) को भी पूरा करें। इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त लाभ अर्जित करने के लिए एवं उधार निधि के अपने व्यय की वापसी के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है न कि उसे अपने बजट में निहित आर्थिक सहायता के रूप में ढोने और वित्तीय कार्यवाही में पारदर्शिता दर्शाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। यह भाग चालू वर्ष यथा पूर्व वर्षो के दौरान राज्य सरकार के निवेशों एवं अन्य पूँजी व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.6.1 अपूर्ण परियोजनाएं

तालिका 1.9 में विभाग वार 31 मार्च 2010 तक के अपूर्ण परियोजनाओं की सूचना दी गई है। सम्मिलित रूप से, 288 योजना/परियोजना[8] (अनुमानित लागत ₹ 2433.34 करोड़) मार्च 2010 तक पूर्ण होना था परन्तु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 940.81 करोड़ अवरूद्ध हो गया। साथ ही, जल संसाधन परियोजना के अधीन चार पूर्ण योजना/परियोजना[8] में लागत की अधिकता वास्तविक अनुमान से ₹ 2.67 करोड़ की सीमा को पार कर गई।

तालिका 1.9: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	31.03.2010 को संचित वास्तविक व्यय
भवन निर्माण विभाग	8	66.29	30.21
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	62	191.24	116.02
पथ निर्माण विभाग	93	617.21	355.66
ग्रामीण कार्य विभाग	20	150.40	97.35
जल संसाधन विभाग	105	1408.20	341.57
कुल	**288**	**2433.34**	**940.81**

(श्रोतः बिहार सरकार के वित्त लेखे)

1.6.2 निवेश एवं वापसी

31 मार्च 2010 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹ 856.18 करोड़ का निवेश किया था, जो कि तालिका 1.10 में प्रदर्शित किया गया है।

8

1. बागमती तटबंध का विस्तार, सीतामढ़ी (₹ 18.31 करोड़) ₹ 20.19 करोड़
2. पश्चिमी कोशी मुख्य नहर नेपाल अंश, सुपौल (₹ 5.33 करोड़) ₹ 5.75 करोड़ का जीर्णोद्धार
3. पश्चिमी कोशी मुख्य नहर नेपाल अंश, सुपौल (₹ 4.12 करोड़) ₹ 4.15 करोड़ का जीर्णोद्धार
4. बुढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर के बाँए तटबंध को उँचा करना तथा मजबूत बनाना (₹ 16.17 करोड़) ₹ 6.51 करोड़

(कोष्टक में दिए गए आंकड़ें अनुमानित व्यय को दर्शाते है ।)

तालिका 1.10 : निवेश पर वापसी

(₹ करोड़ में)

निवेश/वापसी/ऋणों पर लागत	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	805.64	821.10	828.68	832.18	856.18
वापसी (₹ करोड़ में)	0.04	0.04	3.19	2.14	2.06
वापसी (प्रतिशत)	0.00	0.00	0.38	0.26	0.24
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.20	7.15	7.15	7.93	6.48
ब्याज दर और वापसी का अंतर (प्रतिशत)	8.20	7.15	6.77	7.67	6.24

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

राज्य सरकार ने ₹ 856.18 करोड़ का निवेश किया था यथा तीन सांविधिक निगमों में ₹ 105.63 करोड़, सरकारी कम्पनी/ग्रामीण बैंक में ₹ 374.17 करोड़, संयुक्त पूँजी कम्पनियों में ₹ 3.88 करोड़ तथा सहकारी संस्थानों/समितियों में ₹ 372.50 करोड़ का निवेश किया गया था। सरकार द्वारा ₹ 24.00 करोड़ का निवेश इस वर्ष किया गया जिसमें ₹ 23.00 करोड़ सरकारी कम्पनियों/ग्रामीण बैंक में किया गया ।

वर्ष 2005-07 में ₹ 805.64 करोड़ तथा ₹ 821.10 करोड़ के बीच के निवेश के विरूद्ध मात्र ₹ 0.04 करोड़ प्रति वर्ष की वापसी थी। वर्ष 2007-08 में यह वापसी ₹ 3.19 करोड़ (निवेश ₹ 828.68 करोड़ तक बढ़ गई), परन्तु वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान इसमें ₹ 832.18 करोड़ तथा ₹ 856.18 करोड़ के निवेश के विरूद्ध क्रमशः ₹ 2.14 करोड़ तथा ₹ 2.06 करोड़ की गिरावट हुई।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश करने के अतिरिक्त सरकार कई संस्थानों एवं संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम धन राशि दे रही है। तलिका 1.11 बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति को तथा विगत तीन वर्षो के दौरान ब्याज प्राप्तियाँ यथा ब्याज के भुगतानों को दर्शाती है।

तलिका 1.11 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ऋण लागत की मात्रा	2007-08	2008-09	2009-10
पूर्व शेष	13881.56	14128.10	14667.83
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	272.70	551.05	896.78
वर्ष के दौरान वापसी राशि	26.16	11.32	13.20
अंत शेष	**14128.10**	**14667.83**	**15551.41**
जिसमें से बकाया जिनकी शर्तें नियत की गई है			
निवल योग	246.54	539.73	883.58
ब्याज प्राप्ति	170.71	304.57	353.27
बकाये ऋण एवं अग्रिम के ब्याज प्राप्ति की प्रतिशतता	1.21	2.08	2.27
राज्य सरकार के बकाया वित्तीय दायित्व ब्याज के भुगतान की प्रतिशतता	7.27	6.83	6.28
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्ति का अंतर (प्रतिशत)	6.06	4.75	4.01

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 896.78 करोड़ के कुल सरकारी ऋण का वृहत प्राप्तकर्त्ता [₹ 626.25 करोड़ (69.83 प्रतिशत)], विद्युत परियोजनाएँ थी। साथ ही, इस क्षेत्र के कुल ₹ 15551 करोड़ बकाया ऋण में ₹ 12916 करोड़ ऋण लंबित थे। इसका कारण यह था कि सरकार उर्जा क्षेत्र को ऋण एवं अग्रिम बिना उसके वापसी और भुगतान क्षमता (मूलधन और ब्याज) के दे रही थी। इन ऋणों एवं अग्रिमों के अलावा, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 840 करोड़ की सब्सिडी (अनुदान) दी गई।

1.6.4 नगद शेष एवं नकद शेष का निवेश

तालिका 1.12 में नकद शेष तथा राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के दौरान उपलब्ध नकद शेष का निवेश चित्रित है।

तालिका 1.12: नकद शेष एवं नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2009 को	31 मार्च 2010 को	वृद्धि/कमी
नकद शेष	-740.06	-2536.45	-1796.39
नकद शेष से निवेश (क से घ)	3978.90	4347.04	368.14
क. भारत सरकार के ट्रेजरी बिल	0.00	0.00	0.00
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियॉ	3974.24	4342.39	368.15
ग. अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.66	4.65	-0.01
घ. अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
तारांकित शेष (क से ग) से निवेश का निधिवार विखण्डन	140.0961	280.10	140.00
क. अकाल राहत कोष	0.10*	0.10*	0.00
ख. निक्षेप निधि	140.00	280.00	140.00
ब्याज प्राप्ति	249.64	327.48	77.84
* वृद्धि नहीं, 0.0961 पूर्णांक ऑकड़ा स्वीकार्य			

(श्रोतः बिहार सरकार के वित्त लेखे)

भारत का रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित अर्थोपाय अग्रिम सीमा के अंतर्गत एक अप्रैल 2006 से बिहार सरकार के लिए ₹ 425 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई। साथ ही रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के प्रतिभूति पर राज्य सरकार को विशेष अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराये थे। वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य सरकार का शेष न्यूनतम कायम रहा तथा वर्ष भर कोई अग्रिम सहायता नहीं दी गई। सरकार ने कोई भी अर्थोपाय अग्रिम 2006 से उपलब्ध नहीं कराई है, जो राज्य स्तर पर प्रभावकारी नकद व्यवस्था को दर्शाती है।

साथ ही, राज्य सरकार ने भारत सरकार प्रतिभूतियों (₹ 4342.39 करोड़) तथा अन्य राज्य सरकार (₹ 4.65 करोड़) प्रतिभूतियों पर 31.03.2010 को निवेश किया।

1.7 परिसंपत्ति एवं देनदारी

1.7.1 परिसंपत्ति एवं देनदारी की रचना एवं वृद्धि

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में सरकार की भूमि और भवन जैसी निर्धारित परिसंपत्ति के विस्तृत लेखा को शामिल नहीं किया जाता है । फिर भी सरकारी लेखे में सरकार की वित्तीय देनदारी तथा खर्च करके परिसंपत्ति सृजित करने का व्यय

शामिल होता ही है । **परिशिष्ट 1.7** में 31 मार्च 2010 तक की ऐसी परिसंपत्ति एवं देनदारी का सार दिया गया है । हालांकि इस परिशिष्ट में दर्शायी गई देनदारी में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम राशि लोक लेखा से प्राप्तियॉ तथा आरक्षित निधि शामिल है, जबकि परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूँजी परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम धन तथा रोकड़ शेष शामिल होता है ।

बिहार राजकोषीय दायित्व अधिनियम, (एफ आर बी एम) 2006, यह परिभाषित करता है कि राज्य की समग्र देनदारी की परिभाषा राज्य की संचित निधि एवं लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देनदारी के रूप में दी गई जिसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम धन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के ऋण और विशेष उद्देश्य हेतु विशिष्ट उद्देशीय परिवहन (स्पेशल पर्पस वेहिकल्स) गारंटी जिनके मूलधन या ब्याज की देनदारी राज्य के बजट से ही की जाती हो, सम्मिलित है । राज्य की परिसम्पत्ति एवं देनदारी का लेखा परीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि राज्य के ₹ 2707 करोड़ की परिसम्पत्ति सृजन के विरूद्ध ₹ 5650 करोड़ की देनदारी में वृद्धि हुई जो राज्य की उधारियों पर विश्वास का सूचक है ।

1.7.2 राजकोषीय दायित्व

वर्ष 2005-10 के दौरान राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्वों के प्रवृत्ति को तालिका 1.13 में दर्शाया गया है ।

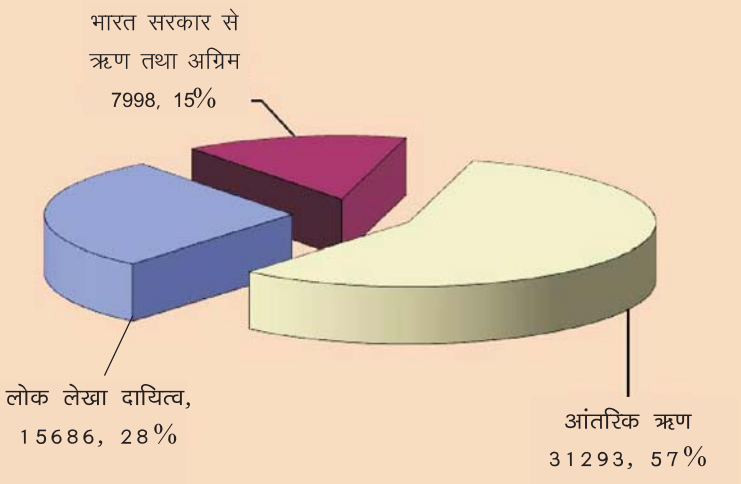
तालिका 1.13 : बकाया राजकोषीय दायित्व[9]

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
वर्ष (₹ करोड़ में)	46495	49089	50989	54977	58690
विकास दर	9.44	5.58	3.87	7.82	6.75

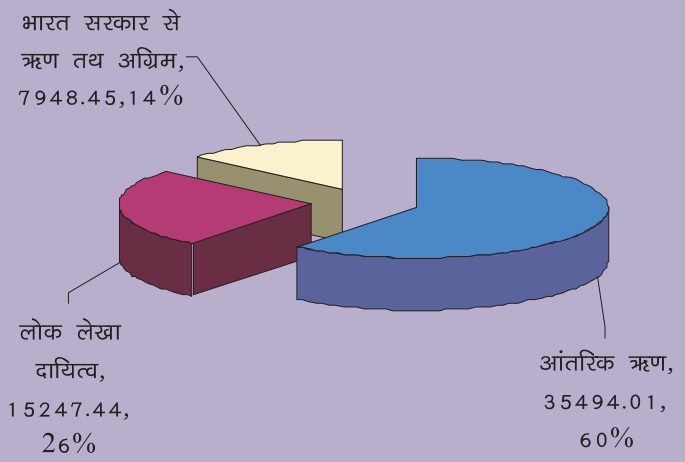
साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष यथा पूर्व के वर्षों के राजकोषीय दायित्वों की संरचना को चार्ट 1.9 तथा 1.10 में दर्शाया गया है ।

[9] बाजार ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत भविष्य निधि से प्राप्त ऋण तथा अन्य बाध्यता ।

चार्ट 1.9 : 01.04.2009 को राजकोषीय दायित्वों की संरचना
(₹ *करोड़ में*)



चार्ट 1.10: 31.03.2010 को राजकोषीय दायित्वों की संरचना
(₹ *करोड़ मे*)



जैसा कि परिशिष्ट 1.4 प्रदर्शित करता है कि राजकोषीय दायित्व का विकास दर में 7.82 प्रतिशत (2008-09) से 6.75 प्रतिशत (2009-10) की गिरावट रही तथा जी एस डी पी के प्रति राजकोषीय दायित्व को अनुपात में वर्ष 2009-10 के

दौरान 58.57 प्रतिशत (2005-06) से 37.85 प्रतिशत की कमी आ गई। वर्ष 2009-10 के अंत तक राज्य का दायित्व राजस्व प्राप्ति के 1.65 गुणा तथा राज्य के निजी संसाधन के 6.01 गुणा तक स्थिर रही। वर्ष के दौरान जी एस डी पी के संबंध में इन दायित्वों की उत्प्लावकता 0.77 थी। राजकोषीय देनदारी 2005-06 में ₹ 46495 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 58690 करोड़ हो गई जिसमें आंतरिक ऋण वर्ष 2005-10 के दौरान 54 से 60 प्रतिशत के बीच रहा। सरकार द्वारा बढ़ाये गए ऋण के परिशमन के लिए राज्य सरकार ने एक निक्षेप निधि (2008-09) का गठन किया।

1.7.3 गारंटी की स्थिति-आकस्मिक देनदारी

आकस्मिक दायित्व प्रतिवर्ष राज्य सरकार सांविधिक निगम तथा बोर्डो, स्वायत्त निकायों सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों तथा सहकारी बैंक तथा समितियों को संप्रभु गारंटी प्रदान करती है। यदि उधार लेने वाले द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है एवं गारंटी का विस्तार किया जाता है, गारंटी राज्य के संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होते है। तालिका 1.14 में विगत तीन वर्षो के दौरान राज्य के द्वारा दी गई गारंटी की स्थिति दर्शायी गई है।

तलिका 1.14 सरकार द्वारा दी गई गारंटी

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2007-08	2008-09	2009-10
गारंटी की अधिकतम राशि	1537.73	1547.73	1547.73
गारंटी की लंबित राशि (पूंजी)	516.31	704.24	898.83
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम गारंटी राशि की प्रतिशतता	5.45 (28210)	4.69 (32981)	4.36 (35527)
कोष्ठक में आंकड़े राजस्व प्राप्तियां इंगित करते है ।			

(श्रोतः बिहार सरकार के वित्त लेखे)

तलिका 1.14 प्रदर्शित करती है कि 31 मार्च 2010 को ₹ 1547.73 करोड़ के कुल गारंटी के विरूद्ध लागू ब्याज समेत बकाया ₹ 898.83 करोड़ था। इस वर्ष के दौरान गारंटी राशि में ₹ 194.59 करोड़ की वृद्धि का कारण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को अतिरिक्त गारंटी दिया जाना था। किसी दायित्व से मुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा तारांकित गारंटी शुल्क के जरिये गारंटी रेडेम्पशन फंड (गारंटी मोचन निधि) की स्थापना किया जाना अभी बाकी है।

1.8 ऋण निर्वाहता

ऋण निर्वाहता किसी राज्य सरकार के संपूर्ण आर्थिक स्थिति के निर्धारण एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक है। ऋण निर्वाहता [10] के निर्धारण में ऋण का महत्व, ऋण

[10] किसी समयावधि तक ऋण और जीएसडीपी अनुपात को स्थिर रखने की सरकार की सामर्थ्य को निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसमें ऋण चुकाने की सामर्थ्य भी शामिल है । ऋण की निर्वाहता इसलिए चालू या प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपत्ति की पर्याप्तता का भी जिक करता है एवं अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश की बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है । इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण को चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होनी चाहिए ।

स्थिरता[11] गैर ऋण प्राप्ति की यथेष्टता[12], उधार कोष की निवल उपलब्धता[13], ब्याज भुगतान का बोझ (राजस्व प्राप्ति अनुपात ब्याज भुगतान) तथा बिहार सरकार के प्रतिभूति की परिपक्वता सम्मिलित है। इन सूचकों के आधार पर राज्य सरकार के ऋण की निर्वाहता वर्ष 2007-08 से तीन वर्षों के अवधि को तालिका 1.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: ऋण निर्वाहता : सूचक और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचक	2007-08	2008-09	2009-10
ऋण स्थिरता (परिमाण विस्तार+प्रारंभिक अधिशेष)	5925.05	10729.53	-226.39
गैर ऋण प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	1318.00	-804.00	-1524
उधार निधियों की शुद्ध उपलब्धता	-1496.00	93	28
ब्याज भुगतान का भार (सूद भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.13	0.11	0.10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)			
शून्य से एक वर्ष	27	23	7
एक से तीन वर्ष	12	12	12
तीन से पॉच वर्ष	14	14	10
पॉच से सात वर्ष	02	02	2
सात वर्ष से अधिक	-	05	9

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

वर्ष 2007-09 की अवधि में बढ़ते प्रारंभिक अधिशेष के विरूद्ध वर्ष 2009-10 के अवधि में राज्य को प्रारंभिक घाटे का सामना करना पड़ा। साथ ही वर्ष 2009-10 के दौरान चालू वर्ष में बढ़ती हुई गैर ऋण प्राप्ति बढ़ते हुए व्यय को पूरा नहीं कर सकी। अतः यदि आगामी वर्षों में यह अंतर बढ़ता है तो ऋण भुगतान एक समस्या बन सकती है। तथापि अन्य सूचक जैसे निवल उपलब्ध उधार निधि का धनात्मक होने एवं संचालनीय ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात भी यह दर्शाता है कि राज्य के ऋणों का पुर्नभुगतान कोई समस्या नहीं हो सकती है, बशर्ते कि प्रारंभिक घाटा तथा स्त्रोत अंतर में कमी लाने हेतु प्रभावकारी कदम उठाये जाए।

1.9 राजकोषीय असंतुलन

सरकारी लेखे में हानि इसके प्राप्ति और व्यय के बीच की दूरी दर्शाता है। एक बार यदि घाटा अस्तित्व में आये तो तीन मुख्य राजकोषीय मानक-राजस्व घाटा,

[11] स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो, ऋण जी डी पी अनुपात स्थिर होने की संभावना है बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो । दिये गए दर विस्तार (जी एस डी पी वृद्धि दर-ब्याज दर एवं परिणाम विस्तार (ऋण * दर विस्तार), ऋण निर्वाहता की स्थिति दर्शाता है कि यदि आरंभिक घाटा के साथ परिमाण विस्तार शून्य है तो ऋण – जी एस डी पी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर रहेगा । दूसरी ओर यदि आरंभिक घाटा के साथ परिमाण विस्तार ऋणात्मक हो तो ऋण – जी एस डी पी अनुपात बढ़ेगा एवं धनात्मक मामले में ऋण जी एस डी पी अनुपात अंततः धटेगा ।

[12] राज्य के बढ़ते हुए गैर ऋण प्राप्तियों को तभी पर्याप्त माना जाएगा यदि बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों एवं बढ़ते हुए व्यय को पूरा कर सके । यदि आरंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आसानी हो सकती है ।

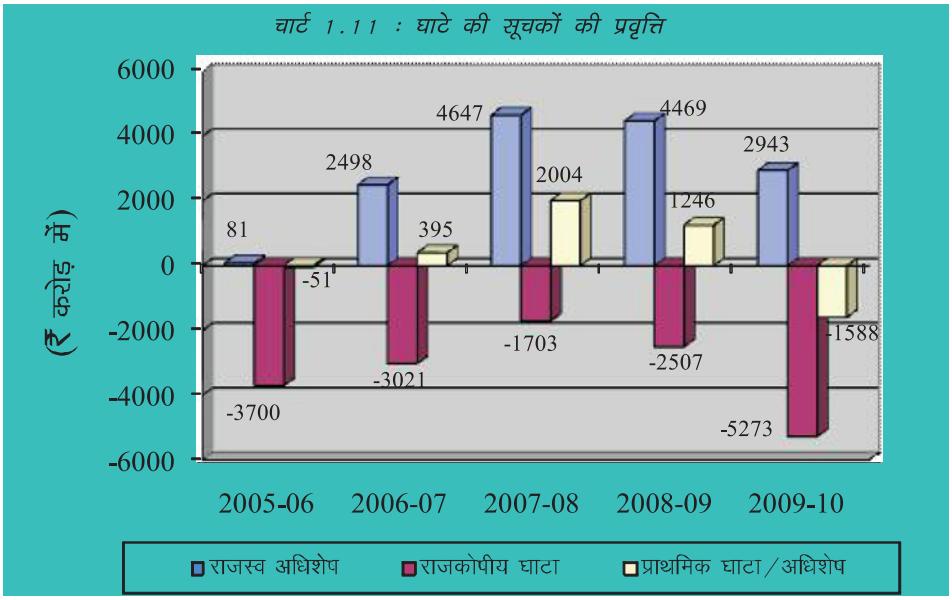
[13] उधार निधियों की निवल उपलब्धता – इस कुल ऋण प्राप्तियों के ऋणमोचन अनुपात (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्ध उधार निधियों को दर्शाते हुए किस मात्रा में ऋण विमोचन में ऋण प्राप्तियों का उपभोग किया जाता है ।

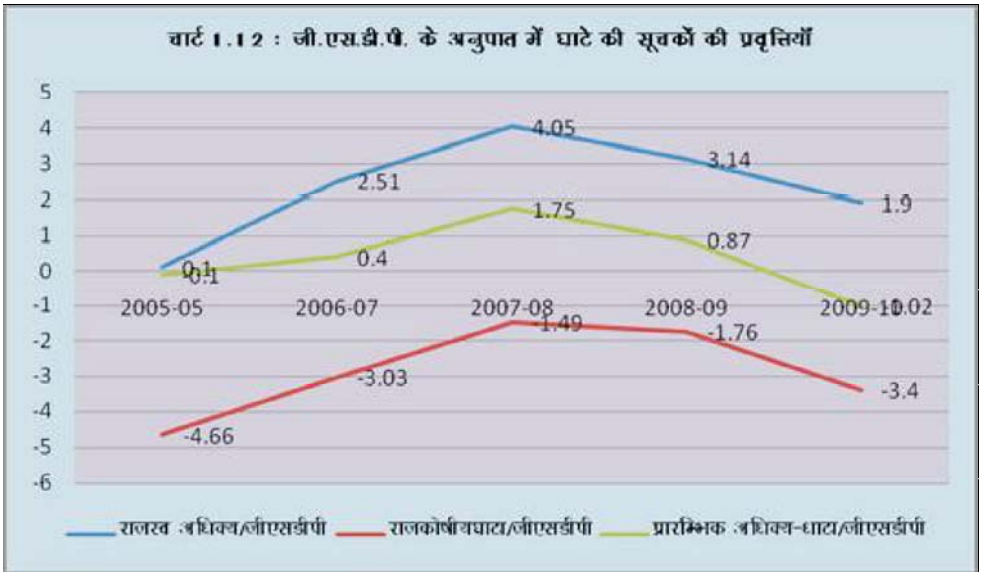
राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा-निर्धारित अवधि में राज्य सरकार के वित्त की संपूर्ण राजकोषीय असंतुलन को दर्शाते है। घाटा की प्रकृति सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का संकेतक है। आगे वे तरीके जिनके द्वारा घाटे का वित्त पोषण किया जाता है तथा स्रोत बनाए तथा प्रयोग में लाए जाते हैं, राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक होते है। यह भाग इन घाटे की प्रवृत्ति, विस्तार तथा वित्त पोषण के तरीके को व्यक्त करता है तथा राजस्व के वास्तविक स्तर के निर्धारण तथा राजकोषीय घाटा की तुलना में एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित निम्नांकित लक्ष्य को व्यक्त करता है :

1.9.1 घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.11 तथा 1.12 वर्ष 2005-10 की अवधि में घाटे सूचक की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 1.11 : घाटे की सूचकों की प्रवृत्ति





राज्य को वर्ष 2005-06 से राजस्व अधिशेष का सामना करना पड़ रहा है। चार्ट 1.11 यह प्रदर्शित करता है कि वास्तविक अधिशेष में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 178 करोड़ तथा ₹ 1526 करोड़ की कमी आई। राज्य एफ0आर0बी0एम0/बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के बहुत पहले ही वास्तविक घाटा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। राजकोषीय घाटा वर्ष 2008-09 में ₹ 2507 करोड़ से वर्ष 2009-10 में बढ़कर ₹ 5273 करोड़ हो गया तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद से इसका अनुपात बढ़कर 1.76 प्रतिशत से 3.40 प्रतिशत हो गया, जैसा कि चार्ट 1.12 में दर्शाया गया है। हालांकि राजकोषीय घाटा में वृद्धि 3.5 प्रतिशत के संशोधित सीमा के अंतर्गत था, तथापि यह एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम मानक के विरूद्ध था जिसके अनुसार राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद अनुपात प्रति वर्ष 0.3 प्रतिशत कम होना चाहिए। इस वर्ष के दौरान ₹ 1246 करोड़ (2008-09) का प्रारंभिक अधिशेष, ₹ 1588 का प्रारंभिक घाटे के रूप में परिवर्तित हुआ।

1.9.2 राजकोषीय घाटा तथा इसके वित्तपोषण प्रतिमान के घटक

चार्ट 1.11 प्रदर्शित करता है कि राज्य के राजस्व अधिशेष में वर्ष 2008-09 में ₹ 4469 करोड़ से वर्ष 2009-10 मे ₹ 2943 की भारी गिरावट हुई। इसका मुख्य कारण गत वर्ष के मुकाबले राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2546 करोड़ (7.72 प्रतिशत) तथा राजस्व व्यय में ₹ 4072 करोड़ (14.28 प्रतिशत) वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व अधिशेष में ₹ 1526 करोड़ की गिरावट आई।

राजकोषीय घाटा का वित्तपोषण प्रतिमान के घटक तालिका 1.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16 राजकोषीय घाटा तथा इसके वित्तपोषण प्रतिमान के घटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
राजकोषीय घाटा का उपघटन		**-3700.15**	**-3020.91**	**-1703.46**	**-2506.97**	**-5273.01**
1	राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष	80.71	2498.14	4646.85	4469.11	2942.66
2	निवल पूंजीगत व्यय	-2083.90	-5211.13	-6103.78	-6436.35	-7332.09
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	-1696.96	-307.92	-246.53	-539.73	-883.58
राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण प्रतिमान*						
1	बाजार ऋण	343.13	-412.72	-779.56	3757.12	2501.91
2	भारत सरकार से ऋण	-486.04	-314.15	39.75	-278.81	-49.35
3	एन एस एस एफ की विशेष प्रतिभूति	2446.59	2040.69	661.59	529.08	1472.52
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	485.92	-314.15	58.26	238.22	226.32
5	छोटी बचत, भविष्य निधि इत्यादि	365.02	395.05	268.40	144.41	-262.86
6	जमा और अग्रिम	414.56	869.48	1700.04	-690.52	-134.15
7	उचंत तथा विविध	-39.91	583.65	-2190.35	395.96	-290.89
8	प्रेषण	11.34	-63.14	618.30	-221.57	-54.82
9	अन्य	439.62	शून्य	-44.60	293.24	-41.69
	संपूर्ण अधिशेष/घाटा	**298.88**	**97.01**	**-1371.62**	**1660.14**	**-1906.02**

*ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान निवल से वितरण/वहिगमन

(श्रोतः बिहार सरकार के वित्त लेखे)

1.9.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटा से राजस्व घाटा का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में अपघटन तथा पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) राज्य वित्त के घाटे की गुणवत्ता इंगित करता है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात चालू संघटन के लिए उधार नीति के उपयोग का प्रसार इंगित करता है। पुनः राजकोषीय घाटे राजस्व घाटों का लगातार उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार सिकुड़ती जा रही है तथा ऋण एक भाग (राजकोषीय दायित्व) किसी भी परिसंपत्ति से समर्थित नहीं था।

तालिका 1.17: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-कारकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा (-) अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (3-6)	8 (2-6)
2005-06	17888	14107	2084 (12)	1748	17939	-3832	-51
2006-07	23090	17169	5211 (23)	315	22695	-5526	+395
2007-08	28236	19856	6104 (23)	272	26232	-6376	+2004
2008-09	32992	24759	6436 (20)	551	31746	-6987	+1246
2009-10	35540	28899	7332 (21)	897	37128	-8229	-1588

(श्रोतः बिहार सरकार के वित्त लेखे)

तालिका 1.17 प्राथमिक घाटे के विभाजन को प्रस्तुत करता है, जो पूंजीगत व्यय के कारण हुई घाटे के विस्तार को इंगित करता है, जो राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पाद क्षमता सुधारनें हेतु वांछनीय है।

राजस्व लेखा के प्राथमिक व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य की गैर ऋण प्राप्ति पर्याप्त थी तथा वस्तुतः पूंजीगत लेखा के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए कुछ प्राप्ति बची रहती है। गैर ऋण प्राप्ति अधिशेष पूंजीगत लेखा के अंतर्गत आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था फलतः वर्ष 2005-06 तथा वर्ष 2009-10 में प्राथमिक घाटा हुआ। वर्ष 2006-09 के दौरान गैर ऋण प्राप्ति प्राथमिक व्यय से अधिक था फलतः इन वर्षों में प्राथमिक अधिशेष हुआ। तथापि वर्ष 2009-10 के दौरान पूंजी तथा ऋण एवं अग्रिम में हुई व्यय में वृद्धि के कारण ₹1588 करोड़ का प्रारंभिक घाटा हुआ।

1.10 टी एफ सी अधिनिर्णय के अवधि के दौरान राज्य का प्रदर्शन

टी एफ सी अधिनिर्णय वर्ष 2005-10 के दौरान राज्य के आर्थिक प्रदर्शन के कुछ मुख्य बिन्दु निम्नांकित हैः

- बारहवें वित्त आयोग के 17.60 प्रतिशत अनुशंसा के विरूद्ध संयुक्त रूप से केन्द्र तथा राज्य के कर का अनुपात का परास सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति वर्ष 2005-10 के दौरान 16.75 तथा 17.61 प्रतिशत के बीच रहा।

- जी0एस0डी0पी0 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 23 प्रतिशत प्रारंभिक व्यय के अनुशांसित लक्ष्य के विरूद्ध, राज्य की उपलब्धि संतोषजनक थी तथा वर्ष 2005-10 के दौरान इसका परास 22.28 प्रतिशत से 23.95 प्रतिशत रहा।

- राज्य का पूँजीगत व्यय का वर्ष 2005–10 के दौरान 2.63 तथा 5.32 प्रतिशत के बीच रहा, परन्तु यह जी एस डी पी द्वारा अनुशांसित सात प्रतिशत् के लक्ष्य को न प्राप्त कर सका।

- राज्य का ऋण (राजकोषीय दायित्व)– जी एस डी पी अनुपात पतन प्रवृति दर्शाया, जिसमें 58.57 प्रतिशत् (2005–06) से 37.85 प्रतिशत (2009–10) की गिरावट हुई। तेरहवें वित्तीय आयोग ने यह अनुशांसा दिया है कि सभी राज्य 2014–15 तक अपने राजकोषीय दायित्व जी एस डी पी के 25 प्रतिशत् तक कम करें। बिहार सरकार को ऋण प्रबंध कौशल रणनीति आश्वस्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने होगें ताकि इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

- राज्य का राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 4.66 प्रतिशत् से 1.76 प्रतिशत की कमी वर्ष 2005–09 के दौरान आई, परन्तु 2009–10 के दौरान यह 3.40 प्रतिशत बढ़ गया जो कि वर्ष 2008–10 के संशोधित सीमा 3.5 प्रतिशत के अंतर्गत था।

- राज्य का ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति के अनुपात में वर्ष 2005–06 के 20.46 प्रतिशत से वर्ष 2009–10 के दौरान 10.73 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कि वर्ष 2009–10 के अनुशंसित सीमा 15 प्रतिशत के अंतर्गत था।

- पूरे टी एफ सी अधिनिर्णय के अवधि वर्ष 2005–10 के दौरान राज्य ने अधिशेष का लाभ लिया।

- राज्य सरकार पर सभी केन्द्रीय ऋण जो कि 31.03.2004 तक अनुबंधित थे तथा 31.03.2005 तक के बकाये को 20 वर्ष के नये अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर सम्मिलित एवं पुनः अनुसूचित कर लिया गया। राज्य ने 'ऋण समाप्ति योजना' का भी लाभ लिया बशर्ते एफ आर बी एम अधिनियम का अधिनियमन हो तथा अधिनिर्णय अवधि के दौरान राजस्व घाटे में कमी लायी जाए। वर्ष 2007–08 तथा 2009–10 के दौरान प्रत्येक वर्ष ₹ 384.933 करोड़ की प्रति वर्ष छूट देते हुए दो चरणों में कुल राशि ₹ 769.87 करोड़ की ऋण समाप्ति कर दी गई।

- यद्यपि अधिनियम अवधि वर्ष 2005–10 के दौरान टी एफ सी के दौरान विभिन्न विशेष क्षेत्रों[14] के लिए राज्य को ₹ 7531 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ, तथापि राज्य को वास्तविक मुक्त (प्राप्त) राशि मात्र ₹ 6794 करोड़ था। इसका कारण उन विशेष क्षेत्रों में गैर योजना राजस्व व्यय को निम्न विस्तार में लाने की शर्त को पूरा न करना था।

- साथ ही, अधिनिर्णय वर्ष 2005–10 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों (वन, विरासत संरक्षण तथा राज्य–विशेष आवश्यकताएँ) के अंतर्गत ₹ 446 करोड़ का अनुदान अनुशांसित किया गया जिसके विरूद्ध राज्य को केवल ₹ 339 करोड़ प्राप्त हुआ।

[14] पंचायती राज, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य सड़क एवं पुल तथा भवन विभाग

- टी एफ सी के द्वारा राज्य के निजी कर राजस्व (₹ 32648 करोड़) तथा गैर कर राजस्व (₹ 5890 करोड़) के प्रक्षेपण के विरूद्ध वास्तविक प्राप्तियां ₹ 26943 करोड़ तथा ₹ 4382 करोड़ हुई जिसके फलस्वरूप अधिनिर्णय वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 5707 करोड़ तथा ₹ 1508 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।
- अधिनिर्णय वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 18210 करोड़ तथा ₹ 15540 करोड़ का ब्याज तथा पेंशन भुगतान टी एफ सी मूल्यांकन क्रमशः ₹ 22799 करोड़ तथा ₹ 16347 करोड़ के अंतर्गत था।.
- सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर गैर योजना राजस्व व्यय ₹ 27114 करोड़ तथा ₹ 7012 करोड़ के अनुशंसा के विरूद्ध वास्तविक ₹ 33987 करोड़ तथा ₹ 14186 करोड़ थे जो कि क्रमशः ₹ 6873 करोड़ तथा ₹ 6712 करोड़ ज्यादा थे जिससे यह प्रदर्शित होता है कि सरकार का विकास कार्य पर बल ज्यादा था।

1.11 निष्कर्ष

चालू वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष ₹ 1526 करोड़ कम रहा क्योंकि राजस्व प्राप्ति का विकास 8 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष राजस्व व्यय का विकास 14 प्रतिशत था। यद्यपि राज्य के कर राजस्व में पिछले वर्ष के मुकाबले 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तथापि यह टी0एफ0सी0 (₹ 8240 करोड़) के मानक मूल्यांकन से ₹ 150 करोड़ कम था। तथापि गैर कर राजस्व प्राप्ति टी0एफ0सी0 द्वारा बनाये प्रक्षेपण से ₹ 52 करोड़ ज्यादा था। सभी राज्य करों के संदर्भ में संग्रहण का मूल्य वाणिज्यिक करों को छोड़कर सम्पूर्ण भारत के औसत से ज्यादा था। टी0एफ0सी0 अधिनिर्णय के दौरान राज्य के निजी कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के प्राप्ति में क्रमशः 17 एवं 26 प्रतिशत की कमी आई।

गैर योजना राजस्व व्यय में गत वर्ष से 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा टी0एफ0सी0 द्वारा किये गये प्रक्षेपण (₹ 19989 करोड़) से ₹ 4156 करोड़ अधिक था। योजना राजस्व व्यय में भी गत वर्ष से 16 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। गैर योजना शीर्ष के अंतर्गत वेतन तथा मजदूरी पर व्यय, ब्याज, भुगतान तथा पेंशन के एन0पी0आर0ई0 निवल की तुलना में 56 प्रतिशत था जो कि टी0एफ0सी0 द्वारा अनुशंसित 35 प्रतिशत से बहुत ज्यादा था। पूँजीगत व्यय मे पिछले वर्ष से इस वर्ष के दौरान 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का पूँजीगत व्यय का परास टी0एफ0सी0 अधिनिर्णय अवधि के दौरान 2.63 से 4.73 प्रतिशत के बीच रहा तथा यह अनुशंसित जी0एस0डी0पी0 के सात प्रतिशत को प्राप्त नहीं कर पाई।

वर्ष 2005-10 के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई निवेश की वापसी का परास ₹ 0.04 करोड़ से ₹ 3.19 करोड़ के बीच रहा। ऋण तथा अग्रिम का वितरण वापसी तथा ब्याज सुनिश्चित किए बगैर किया गया जिसके फलस्वरूप मार्च 2010 तक ₹ 15551 करोड़ बकाया था।

इस वर्ष के दौरान भारत सरकार सीधे ₹ 5182 करोड़ राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को हस्तानान्तरित किया। राज्य बजट से अधिक ऐसे निधि का हस्तानान्तरण से क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा असंगत प्रयोग का खतरा था, क्योंकि ऐसे व्यय राज्य वित्त कोष द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किये गए के मासिक लेखों में प्रदर्शित नहीं हुए।

1.12 अनुशंसाएँ

- यद्यपि राजकोषीय घाटे में वृद्धि संशोधित सीमा 3.5 प्रतिशत के अंतर्गत था, तथापि यह एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, जिसके अनुसार जी0एस0डी0पी0 के प्रति राजकोषीय घाटा प्रतिवर्ष 0.3 प्रतिवर्ष कम होना चाहिए के मानक के विरूद्ध है। सरकार को इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कदम बढ़ाने चाहिए।

- गारण्टी शुल्क द्वारा वित्तपोषित एक गारण्टी रेडेम्पशन फंड की स्थापना तुरंत सरकार द्वारा की जानी चाहिए। यह इस निधि से प्रत्याभूत राशि के समय पर पुर्नभुगतान को आश्वस्त करेगा।

- इस वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे विमुक्त की गई निधि से एक महत्त्वपूर्ण व्यय राशि की स्थापना हुई। तथापि, राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों के पास समरूप लेखा प्रक्रिया अथवा इन निधि के प्रयोग संबंधी प्रतिवेदित विज्ञप्ति का अभाव था। चूँकि वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से प्रयोग में लाई गई निधि के राशि के संबंध में कोई निश्चितता नहीं है, आवश्यक है कि राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा ऐसे व्यय का समय–समय पर अनुश्रवण कराई जाए।

- यह अति आवश्यक है कि राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय निधि के सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों मे स्थानान्तरण के बेहतर अनुश्रवण हेतु पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता संस्थापित की जाए।

- राज्य सरकार को यह आश्वस्त करना चाहिए कि केन्द्र सरकार अथवा अन्य सोत से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम का मूलधन तथा ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध हो।

- परिसम्पत्ति के ह्रास को रोकने हेतु यह आवश्यक है कि ऋण पर विश्वास को कम किया जाए।

अध्याय–II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 यह अध्याय बिहार सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय संव्यवहारों के पहलुओं का उचित ध्यान रखते हुए उनके विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा के परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखा सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दत्तमत और भारित व्ययों का लेखा है जो विनियोग अधिनियम की उल्लेखित अनुसूची में विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशियों के अनुरूप है। ये लेखे मूल अनुदानों/विनियोगों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों और पुनर्विनियोगों की स्पष्ट सूची बनाते हैं तथा विभिन्न उल्लेखित सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय के साथ–साथ विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट के दोनों भारित एवं दत्तमत मदों को बताते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी को आसान बनाते हैं, इसलिए वे वित्त लेखे के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध अनुदानों में किया गया वास्तविक व्यय विनियोग अधिनियम की प्राधिकृत राशि के अन्तर्गत है तथा भारत के संविधान के अनुरूप भारित है। लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि किया गया व्यय विधिसम्मत नियम, कानून, विनियम और निर्देशों के अनुरूप हैं।

2.2 विनियोजन लेखाओं का सारांश

वर्ष 2009–10 की अवधि में 51 अनुदानों/विनियोजनों के विरूद्ध किये गये वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति तालिका 2.1 में दर्शित है ।

तालिका 2.1 वास्तविक व्यय यथा मूल/पूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	31647.48	4091.88	35739.36	29021.73	(-)6717.63
	II पूँजीगत	9417.03	1243.78	10660.81	7334.54	(-)3326.27
	III ऋण एवं अग्रिम	430.16	568.02	998.18	896.78	(-)101.40
कुल दत्तमत		**41494.67**	**5903.68**	**47398.35**	**37253.05**	**10145.30**
भारित	IV राजस्व	*4235.51*	*15.51*	*4251.02*	*3751.98*	*(-)499.04*
	V पूँजीगत	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	VI लोक ऋण एवं पुनर्भुगतान	*1884.11*	*0.50*	*1884.61*	*1982.99*	*(+)98.38*
कुल भारित		***6119.62***	***16.01***	***6135.63***	***5734.97***	***400.66***
आकस्मिकता निधि में विनियोजन (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग		**47614.29**	**5919.69**	**53533.98**	**42988.02**	**(-)10545.96**

(श्रोतः राज्य का विनियोजन लेखा)

नोटः कुल व्यय में, राजस्व व्यय में ₹ 189.50 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय में ₹ 2.44 करोड़ की वसूली, व्यय में कमी का समायोजन सम्मिलित है ।

बजट में वर्ष 2009-10 के लिए कुल ₹ 53533.98 करोड़ का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया था जिनमें से ₹ 42988.02 करोड़ का वर्ष के दौरान उपयोग किया गया तथा ₹ 10545.96 करोड़ अनुप्रयुक्त शेष रह गए।

अनुपूरक प्रावधान पूर्णतया अविवेकपूर्ण था, क्योंकि बचत की राशि ₹ 10545.96 करोड़ अनुपूरक प्रावधान के ₹ 5919.69 करोड़ से कहीं अधिक था। अनुपूरक प्रावधान के ₹ 4091.88 करोड़ के विरूद्ध राजस्व दत्तमत के अन्तर्गत बचत ₹ 6717.63 करोड़ थी और राजस्व भारित के अंतर्गत, अनुपूरक प्रावधान के ₹ 15.51 करोड़ के विरूद्ध बचत ₹ 499.04 करोड़ थी। पूँजीगत (ऋण और अग्रिम को लेते हुए) दत्तमत के अंतर्गत, अनुपूरक प्रावधान के ₹ 1811.80 करोड़ के विरूद्ध ₹ 3427.67 करोड़ की बचत थी। 46 अनुदानों और चार विनियोजनों में ₹ 10644.34 करोड़ की बचत थी। ऋण भाग के अंतर्गत एक विनियोजन में ₹ 98.38 करोड़ के आधिक्य की क्षतिपूर्ति के पश्चात ₹ 10545.96 करोड़ की शुद्ध बचत थी।

विस्तृत विनियोग लेखे के अनुसार बचत/आधिक्य की सूचना नियंत्री अधिकारियों को महालेखाकार (ले0 एवं ह0) के द्वारा दी गई थी (मई 2010) और उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करें। संबंधित विभागों ने सारभूत बचत या आधिक्य के कारणों की सूचना नहीं दी थी (नवम्बर 2010)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 विनियोजन यथा आवंटन प्राथमिकता

विगत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय, अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति, आदि जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर सरकार के समस्त विभागों को अपने प्राक्कलन तैयार करने की आवश्यकता थी। लेकिन, बजट के निर्माण तथा बजट प्रबंधन के सिद्धान्तों को लागू नहीं करने के कारण निधियों का अविवेकपूर्ण विनियोजन हुआ। विनियोजनों की लेखापरीक्षा के परिणाम से जाहिर होता है कि 38 अनुदानों के प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक बचत कुल ₹ 10589.32 करोड़ वर्ष 2009-10 के दौरान हुई **(परिशिष्ट 2.1)**।

कुल बचत के ₹ 10644.34 करोड़ में से, ₹ 10028.49 करोड़ (94.21 प्रतिशत) की बचत (**परिशिष्ट 2.2** में) (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ एवं उससे ज्यादा) दर्शाये गये 25 अनुदानों/विनियोजनो से संबंधित 30 मामलों में हुई। बृहत बचत हुई इन विभागों में जैसे मानव संसाधन विकास विभाग (₹ 2277.25 करोड़), जल संसाधन विभाग (₹ 1622.84 करोड़), शहरी विकास एवं आवास विभाग (₹ 652.08 करोड़) ग्रामीण कार्य विभाग (₹ 621.57 करोड़) और योजना एवं विकास विभाग (₹ 549.68 करोड़)। बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (नवम्बर 2010)।

2.3.2 सतत् बचत

विगत पाँच वर्षों के दौरान 11 मामलों के प्रत्येक मामले में 20 करोड़ से अधिक की सतत बचत हुई जो कुल अनुदानों का 10 से 100 प्रतिशत थी **(परिशिष्ट 2.3)**। सतत बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गई है (नवम्बर 2010)।

2.3.3 बिना प्रावधान के किया गया व्यय

बिहार बजट नियमावली के अनुसार बिना निधियों के प्रावधान के किसी भी योजना या सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए । तथापि, यह देखा गया कि ₹ 498.10 करोड़ गैर-योजना, बिहार राज्य विकास ऋण 2009 और बिहार राज्य विकास ऋण 2010 के अंतर्गत विनियोजन सं0-14-शीर्ष 6003- आंतरिक ऋण, राज्य सरकार 101-बाजार ऋण के दो मामलों में व्यय किये गये। जबकि मूल विनियोजन में कोई प्रावधान नहीं था, इसके लिए वित्त विभाग से अनुपूरक माँग या पुनर्विनियोजन व्यय की माँग नही की गयी थी, परिणामस्वरूप अनियमित व्यय हुआ। निधियों के गैर-प्रावधान के कारणों की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गई है (नवम्बर 2010)। वित्तीय अनियमितताओं की संभावना, जो विभाग के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं देने के कारण बिना जाँच के रह गई, को रोका नहीं जा सकता है।

तालिका 2.2: वर्ष 2009-10 में बिना प्रावधान के किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

संख्या और नाम		बिना प्रावधान के किये गये व्यय की राशि	कारण/टिप्पणी
विनियोजन सं.	विनियोजन		
14	बिहार राज्य विकास ऋण, 2009 6003-00-101-0011	199.30	कोई कारण सूचित नहीं किया गया है ।
	बिहार राज्य विकास ऋण, 2010 6003-00-101-0012	298.80	कोई कारण सूचित नहीं किया गया है ।
	कुल	**498.10**	

(श्रोतः बिहार सरकार के विनियोजन लेखे)

2.3.4 नियमन हेतु आधिक्य व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार किसी राज्य सरकार के लिए यह आदेशात्मक है कि वह अनुदान/विनियोजन के आधिक्य को लोक लेखा समिति की अनुशंसा की प्राप्ति के पश्चात राज्य के विधानमंडल द्वारा नियमित कराए। तथापि, वर्ष (1977-2009) तक ₹ 7081.27 करोड़ की राशि का आधिक्य व्यय नियमन हेतु लंबित थे जैसा कि **परिशिष्ट 2.4** मे दिखलाया गया है । इसमें से, वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक ₹ 5111.06[1] करोड़ का लोक लेखा समिति में विचार-विमर्श किया जा चुका है (सितम्बर 2010) लेकिन इसकी अनुशंसा प्रतिवेदन तथा गजट अधिसूचना अप्राप्त है ।

पुनः, वर्ष 2009-10 में "विनियोजन सं0-14-ऋणों का पुर्नभुगतान'' भारित पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1982.99 करोड़ की राशि ₹ 1884.61 करोड़ के कुल विनियोजन के विरूद्ध व्यय की गई जिसके फलस्वरूप कुल ₹ 98.38 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ जिसे नियमित किया जाना आवश्यक था।

अधिकांश अनुदानों में, अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्ति से आधिक्य व्यय हुआ जो नियंत्री अधिकारियों के समुचित वित्तीय प्रबंधन में कमी को दर्शाता है। आधिक्य व्यय के स्पष्टीकरण में विलंब/नहीं किये जाने से वित्तीय अनियमितता की मौजूदगी से इंकार नहीं किया जा सकता ।

[1] मांग संख्या 5,10,13,14,15,32,47 एवं 50 (₹ 5111.06 करोड़)

2.3.5 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 37 मामलों में (33 अनुदान/विनियोजन) प्राप्त कुल ₹ 1879.53 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख और अधिक) अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में दिखाया गया है। ₹ 1879.53 करोड़ के कुल वांछित अनुपूरक प्रावधान में से ₹ 862.62 करोड़ अनुदान संख्या 21 से संबंधित था (मानव संसाधन विभाग) (राजस्व दत्तमत भाग के तहत) जहाँ बचत ₹ 1251 करोड़ के विस्तार में थी।

उसी प्रकार, अनुदान संख्या-49 के पूँजीगत दत्तमत खंड के अन्तर्गत (जल संसाधन विभाग) जिसमें मूल प्रावधान में से ₹ 1210.77 करोड़ की बचत हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 204.51 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
एक मामले में (विनियोजन सं0-14), जुलाई 2009 में प्राप्त ₹ 0.50 करोड़ का पूरक प्रावधान कुल ₹ 98.38 करोड़ का अरक्षित अधिक व्यय को छोड़ते हुए अपर्याप्त साबित हुआ।

विनियोजन सं0-14 की जाँच दर्शाती है कि ₹ 0.50 करोड़ का अनुपूरक अनुदान और 31 मार्च 2010 को ₹ 1.66 करोड़ का अभ्यर्पण भी अविवेक पूर्ण साबित हुआ।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकताओं के मूल्यांकन किए बगैर बनाये गये थे। यह नियंत्री अधिकारियों के व्यय के पुनर्निरीक्षण पर नियंत्रण की कमी को भी दर्शाता है।

2.3.6 अत्यधिक/अनावश्यक निधि पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन किसी अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से, जहां बचत पुर्वानुमानित होती है, दूसरी इकाई में, जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, निधियों का हस्तांतरण होता है। ऐसे मामले देखे गये जहां ₹ 499.28 करोड़ के पुनर्विनियोजन द्वारा दी गई अतिरिक्त निधियां अत्यधिक साबित हुई और 11 अनुदानों के तहत 46 उप-शीर्षो में ₹ 162.59 करोड़ की बचत में फलित हुई जिन्हें **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है। उसी प्रकार, छः मामलों में जिनमें छः अनुदान शामिल हैं, वहां पुर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 280.10 करोड़ की निकासी, जहां इन अनुदानों में ₹ 407.95 करोड़ का अधिक व्यय था, वह अविवेकपूर्ण था। इन अनुदानों को तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अनावश्यक निकासी

(₹ करोड़ में)

कम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	पुनर्विनियोजन	अंतिम अधिक(+)/ बचत (-)
1	14	6004-02-105-0001-समेकित ऋण	384.93	-0.50	+385.43
2	17	2040-00-101-0001-जिला व्यय	51.37	-11.17	+2.72
3	21	2202-02-196-0001-समेकित अनुदान-जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षक को	163.92	-99.37	+4.61
4	22	2056-00-101-0001-केन्द्रीय कारा	41.63	-6.29	+0.80
5	23	2851-00-107-0001-रेशम कीड़ा पालन का विकास	7.51	-6.94	+2.20
6	49	4700-03-800-0101-सोन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना	186.95	-155.83	+12.19
		कुल	**836.31**	**-280.10**	+407. 95

(श्रोतः अनुदान पंजी और विस्तृत विनियोग लेखे, बिहार सरकार)

अनुदान सं0- 14 के शीर्ष 6004- '' आंतरिक ऋण, राज्य सरकार 0001- संकलित ऋण'' के अंतर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50 लाख की निकासी की गई जबकि ₹ 385.43 करोड़ तक का अधिक व्यय किया गया था।

इसी तरह, अनुदान सं0 49 के शीर्ष 4700- ''वृहत सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य व्यय- 0101- सोन बेसिन हेतु सिंचाई परियोजना'' के अंतर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 155.83 करोड़ की निकासी की गई जबकि ₹ 12.19 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त निधि देने के बदले निधियों की निकासी करना कमजोर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

पुनः, 37 मामलों में ₹ 1212.51 करोड़ की पुनर्विनियोजन द्वारा की गई निकासी अपर्याप्त थी, क्योंकि निकासी के बावजूद ₹ 294.62 करोड़ की बचत हुई थी जिसे **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया गया है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि नियंत्री पदाधिकारी इन शीर्षों के तहत वास्तविक आवश्यकताओं/निधियों की बचत के पूर्वानुमान लगाने में विफल रहे।

2.3.7 वास्तविक अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार व्यय करने वाले विभागों को चाहिए कि वे वित्त विभाग को अनुदान/विनियोजन अथवा उसके अंश को अभ्यर्पित कर दें ज्यों ही उन्हें बचत का पूर्वानुमान होता हो। उन्हें इसके लिए वर्ष की समाप्ति तक की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए बशर्ते कि उनकी आवश्यकता किसी अन्य यूनिट/यूनिटों के अंतर्गत अधिक व्यय की पूर्ति के लिए हो जिनका उसी समय पूर्वज्ञान हो ताकि निधियों का अन्य विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके।

26 अनुदानों/विनियोजनों और 126 उप शीर्षों में, ₹ 5500.46 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 3673.56 करोड़ (₹ 50 लाख और अधिक प्रत्येक मामला में) की निधियों का अभ्यर्पण कर दिया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.8** में बताया गया है। ऐसा या तो योजना/कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं हो पाने के कारण या उनके धीमे क्रियान्वयन के कारण हुआ। योजनाओं के लागू नहीं होने के कारण 25 अनुदानों/ विनियोजनों के अंतर्गत 69 योजनाओं में शत्-प्रतिशत अभ्यर्पण (₹522.15 करोड़) हुआ **(परिशिष्ट 2.9)** ।

2.3.8 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

आठ मामलों में अभ्यर्पण की गई राशि (₹ 50 लाख और अधिक प्रत्येक मामला में) वास्तविक बचत से अधिक थी जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी या अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाती है। बचत की राशि ₹ 462.46 करोड़ के विरूद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 483.40 करोड़ थी, फलतः ₹ 20.94 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण किया गया। **(परिशिष्ट 2.10)**में इसका विवरण दिया गया है।

2.3.9 अनुमानित बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया जाना

25 अनुदानों/विनियोजनों में, वर्ष 2009–10 के अंत में, ₹ 5860.54 करोड़ की बचत हुई (₹ एक करोड़ और अधिक तथा प्रत्येक मामलों में प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक) जिनमें से ₹ 3182.17 करोड़ (कुल बचत का 54.30 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.11** में दिखाया गया है।

अनुदान संख्या 8 में (कला, संस्कृति और युवा विभाग) ₹ 11.13 करोड़ की बचत हुई, लेकिन इसमें से कुछ अंश भी संबंधित विभाग के द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया गया।

इसके अलावे, 43 मामलों में ₹ 6063.33 करोड़ (प्रत्येक मामला में ₹ 10 करोड़ से अधिक) का अभ्यर्पण मार्च 2010 के अंतिम दो कार्य दिवस में किया गया **(परिशिष्ट 2.12)**।

इससे पता चलता है कि नियंत्री पदाधिकारी बजटीय नियंत्रण के लिए जवाबदेह होने की मौलिक जिम्मेदारी के निर्वाह में विफल रहे और इन निधियों का उपयोग उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिनके लिए ये आवंटित की गई थी तथा राज्य के अन्य विकास कार्यों के लिए नहीं किया जा सका।

2.3.10 सघन व्यय

बिहार बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय के समरूप प्रवाह का होना बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है । खासकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में सघन व्यय करना वित्तीय नियमों का उलंघन समझा जाता है । गत तिमाही के व्यय (राजस्व और पूँजीगत) की स्थिति **परिशिष्ट 2.13** में चित्रित की गई है जो दर्शाती है कि मार्च 2010 की तिमाही में किया गया व्यय 63 से 100 प्रतिशत था तथा मार्च 2010 के माह में यह अकेले कुल व्यय के 51 से 100 प्रतिशत था । यह नियंत्री पदाधिकारियों के वित्तीय प्रबंधन में दोष, व्यय पर उनके प्रभावकारी नियंत्रण का आभाव तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम क्षणों में बजट के उपयोग करने की मनोवृत्ति को दर्शाता है ।

2.4 बिना मिलान किया हुआ व्यय

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii) के अनुसार यह आवश्यक है कि विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को व्यय के विभागीय आंकड़ें का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखाओं में दर्ज किए गए आंकड़ों से करना चाहिए । यद्यपि बिना मिलान किये गये विभागीय आंकड़ों का नियमित रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था, फिर भी 103 मुख्य शीर्षो में से 80 में, विभागाध्यक्षों ने वर्ष 2009-10 के दौरान, जैसा कि **परिशिष्ट 2.14** में दिखाया गया है, कुल ₹ 39916.27 करोड़ के विरूद्ध ₹ 37571.49 करोड़ (प्रत्येक मामला में ₹ 10 करोड़ से अधिक) के व्यय का मिलान नहीं किया था । उन 80 मुख्य शीर्षो में से ₹ 25113.91 करोड़ (66.84 प्रतिशत) नौ मुख्य शीर्षो[2] से संबंधित थे ।

2.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधान के अंतर्गत बिहार आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के द्वारा आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई । आकस्मिकता एवं अप्रत्याशित तरह का व्यय, जिसे विधानमंडल की स्वीकृति तक टाला नहीं जा सकता, के लिए इस निधि से अग्रिम दिया जा सकता है । यद्यपि, ये सभी व्यय प्रत्याशित थे जिसे राज्य के आकस्मिकता निधि से अग्रिम में लिए गए और वर्ष के दौरान पूरी राशि की पूर्ति कर दी गई थी । वर्ष

[2] 2049-ब्याज की अदायगी, 2055-पुलिस, 2071 –पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ, 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2217-शहरी विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम और 5054-सड़क एवं सेतु पर पूंजीगत परिव्यय

2009-10 के दौरान सरकार ने ₹ 1175.52 करोड़ के 197 आहरणों को स्वीकृत किया (कुल बजटीय प्रावधान का 2.20 प्रतिशत) जिनमें से ₹ 1015.78 करोड़ **(परिशिष्ट 2.15)** की 66 आहरण सामान्य उद्देश्यों जैसे मोटरगाड़ी का क्रय, कार्यालय व्यय, वेतन एवं भत्ते, किसानों को सहायता, फसल प्रीमियम इत्यादि के लिए थे ।

2.6 बजटीय त्रुटि

अनुदान सं0-26 के मुख्य शीर्ष 2210-01-102-0101 के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था और राशि को गलती से अनुदान सं0-20 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2210-01-102-0101 में शामिल कर लिया गया था।

इस भूल के पता चलने पर (अगस्त 2010) वित्त विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2010) कि व्यय को शीर्ष 2210-01-102-0101 के अंतर्गत लिया जा रहा है और महालेखाकार (ले0 एवं ह0) से ₹ 10 करोड़ की राशि का हस्तांतरण अनुदान सं0-26 में कर देने का अनुरोध किया।

यह तथ्य केवल बजटिंग में भूल को इंगित नहीं करता है बल्कि बिना प्रावधान के व्यय पर नियंत्रण की कमी को भी प्रदर्शित करता है । बिना बजट प्रावधान के आहरण पर रोक के लिए राज्य को पद्धति विकसित करना चाहिए ।

चयनित अनुदान की समीक्षा

अनुदान सं0- 35 योजना एवं विकास विभाग तथा अनुदान संख्या- 39- आपदा प्रबंधन विभाग के संदर्भ में व्यय पर बजटीय प्रक्रिया एवं नियंत्रण की समीक्षा की गई (सितम्बर/अक्टूबर 2010) जिसमें वर्ष 2009-10 के दौरान महत्त्वपूर्ण बचत देखा गया। इस समीक्षा के महत्त्वपूर्ण बिन्दु नीचे दर्शाया गया है:

2.7 अनुदान संख्या 35 'योजना एवं विकास विभाग' की समीक्षा

2.7.1 अधिक बचत

तालिका 2.4 में यह वर्णित है कि ₹ 787.34 करोड़ (मूल ₹ 785.93 करोड़ तथा पूरक ₹ 1.41 करोड़) के प्रावधान के विरूद्ध संपूर्ण बचत/अभ्यपूर्ण ₹ 549.68 करोड़ (69.81 प्रतिशत) था। ऐसे वृहत बचत अपने आप में बजट अनुमान का अवास्तविक मूल्यांकन तथा बजटीय नियंत्रण प्रक्रिया की शिथिलता का सूचक है ।

तालिका 2.4 : बचत का विवरण

(₹ लाख में)

राजस्व शीर्ष	वास्तविक	पूरक	कुल	व्यय	अभ्यर्पण	बचत
2052	1253.23	26.06	1279.29	654.05	297.99	327.25
2053	74263.30	60.50	74323.80	21066.92	1596.60	51660.28
3451	188.39	20.05	208.44	200.50	7.94	शून्य
3454	2888.22	34.00	2922.22	1844.63	1047.02	30.57
कुल	**78593.14**	**140.61**	**78733.75**	**26336.10**	**2949.55**	**52018.10**

(श्रोतः बिहार सरकार के विस्तृत विनियोजन लेखे)

नोट : संपूर्ण बचत, बचत तथा अभ्यर्पण राशि के योग के बराबर है । इस प्रकार संपूर्ण बचत = ₹ 52018.10 + ₹ 2949.55 = ₹ 54967.65 लाख = ₹ 549.68 करोड़

2.7.2 प्रावधान का उपयोग न होना

बिहार बजट नियमावली के संदर्भ में, विधायिका द्वारा दिया गया अनुदान उन उद्धेश्यों के लिए प्रयोग की जानी चाहिए जो कि नियम/ कानून एवं विनियमन के अनुसार लक्षित किए गए हो। तथापि यह देखा गया कि मुख्य शीर्ष '3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के अंतर्गत चार उप–शीर्ष में वास्तविक प्रावधान ₹ 1.45 करोड़ **(तालिका 2.5)** सम्पूर्ण राशि बिना व्यय तथा पुनर्विनियोजन के शेष रह गया। इससे यह प्रकट होता है कि इन उप–शीर्षो के अंतर्गत व्यय का समय–समय पर समीक्षा नहीं की गई जिसकी आवश्यकता थी।

इस संबंध में पूछे जाने पर (अक्टूबर 2010), योजना एवं विकास विभाग ने कहा (अक्टूबर 2010) कि ज्यादातर मामलों में, योजनाओं का अनुमोदन न होने के कारण राशि का अभ्यर्पण किया गया, केवल एक मामले में भारत सरकार द्वारा आवंटित निधि को अवरूद्ध करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

तालिका 2.5: संपूर्ण प्रावधान का अनुपयोग

(₹ लाख में)

क्रम सं.	लेखों का शीर्ष	उद्देश्य	राशि	व्यय	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण का विवरण
1.	3454-02-204-0103	सांख्यिकीय कार्मिक का प्रशिक्षण	35.00	शून्य	35.00	पत्रांक सं../दि: 32/31.03.10
2.	3454-02-204-0107	सांख्यिकीय यंत्र का कप्यूटीकरण	20.00	शून्य	20.00	31/31.03.10
3.	3454-02-204-0111	जिला/मंडलीय ईकाइ की रचना	40.00	शून्य	40.00	29/31.03.10
4.	3454-02-204-0401	आर्थिक जनगणना	50.00	शून्य	50.00	22/31.03.10
	कुल		**145.00**		**145.00**	

(श्रोत: बिहार सरकार के विनियोजन लेखे)

2.7.3 विलंबित अभ्यर्पण के परिणामस्वरूप पुनर्विनियोजन द्वारा निधि का उपयोग न होना

बिहार बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार नियंत्रण अधिकारियों को वित्त विभाग के समक्ष उनके नियंत्रण के अंतर्गत बजट में पूर्वानुमानित सभी बचतों को यथाशीघ्र अभ्यर्पण कर देना चाहिए ज्योंहि उन्हें वित्त विभाग द्वारा निधि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की अनावश्यकता की निश्चितता ज्ञात हो जाए । वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पण आदेश निर्गमन के प्रचालन से बचना चाहिए।

तथापि, इन निर्देशों के उल्लंघन में, ₹ 357.42 करोड़ **(तालिका 2.6)** 31 मार्च 2010 को अभ्यर्पण किया गया, परिणामतः अन्य विकासकारी क्रियाकलापों के लिए निधि का उपयोग नही हुआ।

इस संबंध में पूछे जाने पर (अक्टूबर 2010) योजना तथा विकास विभाग ने कहा (अक्टूबर 2010) कि जहाँ तक संभव थी, ₹ 1.38 करोड़ का निधि का पुनर्विनियोजन किया गया (अक्टूबर 2009) । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण नियम के विरूद्ध थी तथा पुनर्विनियोजन की कुल राशि (₹1.38 करोड़), 31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित की गई कुल राशि (₹357.42 करोड़) मात्र 0.39 प्रतिशत था।

तालिका 2.6: विलंबित अभ्यर्पण के परिणामस्वरूप निधि का उपयोग न किया जाना

(₹ लाख में)

कम सं.	लेखा शीर्ष	उद्देश्य	वास्तविक प्रावधान	पूरक प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण का विवरण
1.	2052-00-090-0103	योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण	865.00	20.00	302.76	327.24	255.00	पत्रांक सं./दि. 1192/ 31.03.10
2.	2053-00-800-0102	योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण	52563.15	35.00	12159.56	40438.59	35427.27	1196/ 31.03.10
3.	3454-02-204-0114	सिविल निबंधन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	107.00	शून्य	25.06	22.36	59.58	28/ 31.03.10
							35741.85	

(श्रोतः बिहार सरकार के विनियोजन लेखे)

2.7.4 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

व्यय, जिसके लिए वास्तविक प्रावधान पर्याप्त नहीं हो, की प्रतिपूर्ति हेतु अनुपूरक प्रावधान की जाती है । तथापि, योजना तथा विकास विभाग ने तीन उप-शीर्षों हेतु अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया यद्यपि इनकी आवश्यकता नहीं थी, **(तालिका 2.7)** परिणामतः अनुपूरक प्रावधान से अधिक बचत हुई । इस प्रकार, राजस्व शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त ₹ 80.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनुचित साबित हुई । विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

तालिका 2.7: आनावश्यक पूरक प्रावधान

(₹ लाख में)

कम सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान (वास्तविक)	पूरक प्रावधान दिनांक	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण विवरण
1.	2052-00-090-0103	865.00	20.00 (05.01.10)	885.00	255.00	पत्रांक सं./दि. 1192/ 31.03.10
2.	2053-00-094-0007	700.15	25.50 (05.01.10)	725.65	96.60	1193/ 31.03.10
3.	2053-00-800-0102	52563.15	35.00 (05.01.10)	52598.15	35427.27	1196/ 31.03.10
			80.50			

2.7.5 मिलान न होने के कारण अभ्यर्पण तथा व्यय के आंकड़े में अंतर

बिहार बजट नियमावली के नियम 122 तथा 134 के प्रावधानों के अंतर्गत, विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान, पुनर्विनियोजन, व्यय, अभ्यर्पण तथा बचत के आंकड़ों का मिलान/समाशोधन वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा तैयार किये गए 'विस्तृत विनियोजन लेखा' से हो जाए । इस प्रकिया को समयबद्ध सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2009-10 से संबंधित आंकड़ों का मिलान/समाशोधन करने के लिए 28 जून 2010 को अंतिम तिथि निश्चित किया । तथापि विभाग द्वारा उपयुक्त मिलान/समाशोधन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप अधिकांश मामलों में अभ्यर्पण तथा व्यय के आंकड़ों में भिन्नता थी, जैसा कि नीचे दिखाया गया है । जिसके फलस्वरूप ₹ 522.09 करोड़ **(तालिका 2.8)** की अभ्यर्पण की गई राशि का विस्तृत विनियोजन लेखा में प्रदर्शन कम हुआ ।

तालिका 2.8: व्यय आंकड़ों का मिलान न होने के कारण 'विस्तृत विनियोजन लेखा' में अभ्यर्पण न प्रदर्शित होना

(₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	पत्र संख्या जिसके द्वारा अभ्यर्पण किया गया	उद्देश्य	अभ्यर्पण की राशि
2052-00-090-0103	3922/3.12.09	योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण	550.00
2053-00-800-0102	1196/31.3.10	योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण	35427.27
2053-00-800-0102	3923/3.12.09	योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण	5698.00
2053-00-800-0104	3924/3.12.09	राष्ट्रीय समविकास योजना (पिछड़े जिलों के लिए प्रयास)	10500.00
3454-02-204-0114	1963/23.9.09	सिविल अनुबंध प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	34.00
		कुल	**52209.27**

जहाँ तक व्यय का संबंध है, पाँच मामलों में विभागीय व्यय आंकड़ों के विरूद्ध विस्तृत विनियोजन लेखे में ₹ 10.13 करोड़ का अधिक व्यय दिखाया गया, जबकि अन्य तीन मामलों में विभागीय व्यय आंकड़ों की तुलना में विस्तृत विनियोजन लेखा में ₹ 8 लाख कम दिखाया गया **(तालिका 2.9)** ।

तालिका 2.9: मिलान न होने के कारण व्यय के आंकड़ों में भिन्नता

(₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	विभाग वार व्यय	विस्तृत विनियोजन लेखा वार व्यय	अंतर
2052-00-090-0103	59.999	302.755	(+)242.756
2053-00-800-0102	11437.875	12159.555	(+)721.680
3454-02-204-0002	828.691	828.694	(+)0.003
3454-02-204-0114	13.421	25.05	(+)11.629
3454-02-204-0409	53.293	90.563	(+)37.270
3454-02-111-0001	444.384	439.511	(-)4.873
3454-02-204-0001	241.694	241.334	(-)0.360
3454-02-204-0605	29.328	26.223	(-)3.105
कुल	**13108.685**	**14113.685**	

नोटः (1) स्तम्भ अंतर में धन (+) चिन्ह विभागीय व्यय आंकड़ों के संदर्भ में 'विस्तृत विनियोजन लेखा' में अधिक दिखाया गया । अधिक व्यय के पाँच मामले थे जिनमें सन्निहित राशि ₹ 10.13 करोड़ थी ।

(11) स्तम्भ में ऋण (–) चिह विभागीय व्यय आंकड़ों के संदर्भ में 'विस्तृत विनियोजन लेखा' में कम प्रदर्शन प्रकट करता है कम व्यय के तीन मामलें थे जिनमें सन्निहित राशि ₹ 8.338 लाख थी ।

2.8 अनुदान संख्या 39 "आपदा प्रबंधन विभाग" की समीक्षा

2.8.1 अधिक बचत

₹ 670.12 करोड़ के प्रावधान (वास्तविक ₹ 422.63 करोड़ तथा पूरक ₹ 247.49 करोड़) के विरूद्ध संपूर्ण बचत ₹ 504.10 करोड़ (75.22 प्रतिशत) था **(तालिका 2.10)** । ऐसे वृहत बचत अपने आप में बजट अनुमान का अवास्तविक मूल्यांकन तथा बजटीय नियंत्रण प्रक्रिया की शिथिलता दर्शाता है ।

तालिका 2.10: बचत का विवरण

(₹ लाख में)

राजस्व शीर्ष	वास्तविक	पूरक	कुल	व्यय	अभ्यर्पण	बचत
2070	128.35	73.28	201.63	133.71	64.15	3.77
2235	427.00	48.00	475.00	345.64	शून्य	129.36
2245	41523.08	24568.12	66091.20	15888.58	शून्य	50202.62
2251	184.39	60.50	244.89	234.53	शून्य	10.36
कुल	**42262.82**	**24749.9**	**67012.72**	**16602.46**	**64.15**	**50346.11**

(श्रोतः बिहार सरकार के विस्तृत विनियोजन लेखे)

नोटः संपूर्ण बचत, बचत तथा अभ्यर्पण राशि के योग के बराबर है । इस प्रकार संपूर्ण बचत = ₹ 50346.11 + ₹ 64.15 = ₹ 50410.26 लाख = ₹ 504.10 करोड़

2.8.2 बिलंबित अभ्यर्पण कारण निधि का व्यपगत हो जाना

बिहार बजट नियमावली के नियम 112 का उल्लंधन करते हुए, आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 252.56 करोड़ **(तालिका 2.11)** अभ्यर्पण करने का निर्णय लिया । तथापि, वित्त विभाग द्वारा पूर्वोक्त अभ्यर्पण स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि अभ्यर्पण दस्तावेजों को विलंब (16 अप्रैल 2010 को पेश किया गया) से पेश किया गया था इसके कारण बचत राशि व्यपगत हो गई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर (अक्टूबर 2010), आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा (दिसंबर 2010) कि वे 31 मार्च 2010 को निधि का अभ्यर्पण कर चुके थे । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभ्यर्पण का विभागीय प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा अस्वीकृत किया गया था क्योंकि इसकी प्राप्ति विलंब से 16 अप्रैल 2010 को हुई जो कि वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के 16 दिन पश्चात थीं ।

तालिका 2.11: वित्त विभाग द्वारा अस्वीकृत व्यपगत/अभ्यर्पित राशि

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	पत्र संख्या जिसके द्वारा अभ्यर्पण किया गया	राशि
2245 प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 01-सूखा एवं उसके राहत 02-बाढ़, चकवात इत्यादि	952/31.3.10	{69.724 180.934} कुल 250.658
2245-08-001-0002	--	0.256
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 60-200-0008-आपदा में मृत/घायल व्यक्ति/परिवार को अनुदान	947/31.3.10	0.261
2235-01-200-0003 शीतलहरी के कारण राहत	948/31.3.10	0.017
2235-01-200-0004 भूक्षरण के कारण विस्थापित लोगों को भूमि अनुकम्पा हेतु सहायतानुदान	956/31.3.10	0.783
2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं 00090-0017 राहत एवं पुर्नवास विभाग	950/31.3.10	0.562
2049- 0008 ब्याज/ऋण की वसूली (N2049012000008)	958/31.3.10	0.019
कुल		**252.556**

2.8.3 प्रावधानों का अनुपयोग

बिहार बजट नियमावली के अनुसार विधायिका द्वारा प्रदत्त अनुदान का प्रयोग विनियम एवं कानून के अंतर्गत उद्देश्य के लिए की जाती है । तथापि यह देखा गया कि प्राकृतिक आपदा राहत से संबंधित 29 उप शीर्ष ₹ 54.97 करोड़ का प्रावधान (वास्तविक ₹ 17.97 करोड़ तथा अनुपूरक ₹ 37.00 करोड़) पूर्णतः बिना खर्च किये रह गए **(परिशिष्ट 2.16)** ।

इस संबंध में पूछे जाने पर (अक्टूबर 2010) आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा (दिसम्बर 2010) कि आपदा तथा राहत संदर्भित वास्तविक व्यय का सही-सही मूल्यांकन/अनुमानित करना कठिन है अतः आपदा के लिए प्रावधानों को काल्पनिक तौर पर निर्धारित किया जाता रहा है ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कुल प्रावधान राशि को बिना किसी पुनर्विनियोजन तथा अभ्यर्पण के बचत किया गया था । इससे यह प्रकट होता है कि इन उप शीर्षो के अंतर्गत व्यय की समय-समय पर समीक्षा, जो आवश्यक थी, नहीं की गई ।

2.8.4 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

पूरक प्रावधान व्यय के उन अतिरिक्त निधि की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिनके लिए वास्तविक प्रावधान अपर्याप्त है । तथापि आपदा प्रबंधन विभाग ने सात उप शीर्षो के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया **(तालिका 2.12)** परिणामतः अनुपूरक प्रावधान से अधिक बचत हुई थी। राजस्व शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त ₹ 105.40 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनुचित साबित हुआ ।

इस संबंध में पूछे जाने पर (अक्टूबर 2010) आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा (दिसम्बर 2010) कि आपदा से संबंधित सभी प्रावधान अनुमान पर आधारित किये गए थे।

तालिका 2.12 : अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ लाख में)

कम सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान (मूल)	अनुपूरक प्रावधान दिनांक	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण/व्यपगत
1.	2245-01-282-0001	25.00	200.00 (05.01.10)	225.00	225.00
2.	2245-01-800-0001	200.00	500.00 (05.01.10)	700.00	700.00
3	2245-01-800-0002	10.00	3000.00 (05.01.10)	3010.00	3010.00
4	2245-02-101-0004	100.00	313.63 (04.08.09)	413.63	379.80
5	2245-02-107-0001	50.00	1893.90 (04.08.09)	1943.90	1943.88
6	2245-02-117-0001	200.00	2416.74 (04.08.09)	2616.74	2063.80
7	2245-02-112-0001	5286.00	2216.00 (04.08.09)	7502.00	3296.10
	कुल	**5871.00**	**10540.27**	**16411.27**	**11618.58**

2.8.5 विभाग के द्वारा मिलान/समाशोधन न किये जाने के कारण व्यय आंकड़ों में अंतर

बिहार बजट नियमावली के नियम 122 तथा 134 के प्रावधानों के अंतर्गत विभाग द्वारा समुचित मिलान/समाशोधन नहीं किये जाने के कारण अधिकांश मामलों में जैसा कि **परिशिष्ट 2.17** में दर्शाया गया है, व्यय के आंकड़ों में अंतर था । अतः 12 मामलों में विस्तृत विनियोजन लेखा में ₹ 9.68 करोड़ अधिक व्यय, विभागीय व्यय आंकड़ों की तुलना में अधिक थी तथा अन्य 18 मामलों में विस्तृत विनियोजन लेखे से विभागीय व्यय आंकड़ें ₹ 27.75 करोड़ कम दर्शाये गए थे।

इस संबंध में पूछे जाने पर (अक्टूबर 2010) आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि (दिसम्बर 2010) मुख्य शीर्ष "2251" जुड़ी राशि ही केवल आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निकाली जा रही थी तथा उस शीर्ष से जुड़े आंकड़े नियमित रूप से मिलान किये जा रहे थे ।

2.9 निष्कर्ष

विभाग ने प्रासंगिक कारक जैसे अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति, विगत तीन वर्षो के वास्तविक व्यय तथा अन्य कारकों को ध्यान रखे वगैर अपना प्राक्कलन तैयार किया। वृहत तथा सतत बचत, प्रावधानों से अधिक, अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त, पूरक प्रावधान/पुनर्विनियोजन तथा प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं किया जाना अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है। अनुदान/विनियोग से ₹ 98.38 करोड़ की अधिक व्यय को भारत के संविधान की धारा 205 के तहत विनियमित किया जाना आवश्यक था।

2.10 अनुशंसाएँ

- विभाग को विश्वस्त कारकों जैसे अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति, निधि की वास्तविक आवश्यकता, विगत तीन वर्षो से व्यय तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखकर अधिक वास्तविक बजट प्राक्कलन तैयार करना चाहिए।
- सरकारी विभागों में प्रावधानों के विरूद्ध व्यय के सूक्ष्म अनुश्रवण द्वारा बजटीय नियंत्रण को सुदृढ़ करना चाहिए ।
- संभावित बचतों को समय पर अभ्यर्पण किया जाना चाहिए एवं वर्ष के अंत में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण आदेश निर्गत करने से बचना चाहिए।
- अनुदान/विनियोजन से अधिक सभी व्यय को संविधान के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए।

अध्याय–III

वित्तीय रिपोर्टिंग

एक अच्छी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली जो प्रासंगिक एवं विश्वसनीय आँकड़ा तथा सूचना देती हो, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावकारी संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियम के अनुपालन के साथ प्रक्रिया एवं निर्देश, समयपरता एवं गुणवत्ता के साथ की गई रिपोर्टिंग एवं उसका अनुपालन अच्छे शासन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में है। नियंत्रण एवं अनुपालन पर रिपोर्ट यदि प्रभावकारी एवं क्रियात्मक हो तो चुस्त योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को उनके प्रबंधात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता मिलती है। यह अध्याय राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करती है।

3.1 लंबित विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र

बिहार कोषागार संहिता (नियम 322 (2) के नीचे वर्णित) में प्रावधान है कि सार आकस्मिक व्यय (ए.सी.) विपत्रों पर निकासी की गई अग्रिम राशियों का समायोजन, कोषागार से अग्रिम राशियों की निकासी की तिथि से छठे महीने की 25वी तारीख तक ही महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र (डी.सी.) समर्पित कर लेना चाहिए।

जैसा कि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है, 58423 ए0सी0 बिल पर ₹ 14272.48 करोड़ की निकासी में से केवल ₹ 2418.40 करोड़ के लिए ही 7435 डी0सी0 बिल महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार को समर्पित किये गये। वर्ष 2002–03 से 2008–09 के दौरान 50988 ए0सी0 बिल पर निकासी किये गये ₹ 11854.08 करोड़ के डी0सी0 बिल लेखा परीक्षा की बारंबार आपत्तियों के बावजूद समर्पित नहीं किये गये।

तालिकाः 3.1 लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आकस्मिक सार विपत्र		विस्तृत आकस्मिक विपत्र		सार आकस्मिक विपत्रों का विस्तृत आकस्मिक विपत्रों से प्रतिशतता	बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि
2002-03	6988	332.22	513	80.21	*24.14*	6475	252.01
2003-04	12570	548.41	736	76.48	*13.94*	11834	471.93
2004-05	10701	957.72	1112	252.38	*26.35*	9589	705.34
2005-06	6064	2376.31	1092	398.67	*16.78*	4972	1977.64
2006-07	6980	3849.31	1173	613.13	*15.93*	5807	3236.18
2007-08	7081	3860.47	1749	832.48	*21.56*	5332	3027.99
2008-09	8039	2348.04	1060	165.05	*7.03*	6979	2182.99
कुल	**58423**	**14272.48**	**7435**	**2418.40**		**50988**	**11854.08**

{श्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त विवरणी }

3.2 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 के साथ संलग्न राज्य सरकार के निर्णय (2 अ) को पढ़ा जाय जिसमें यह प्रावधान है कि सहायता अनुदान के संबंध में जो तिमाही या छमाही किस्तों में स्वीकृत किये जाते है, सहायता अनुदान की प्रथम दो तिमाही किस्त या प्रथम छमाही किस्त अंतिम अनुदान किस्त के संबंध में बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये स्वीकृत की जा सकती है। फिर भी अनुदान की शेष रकम को स्वीकृत करने के लिए पूर्व के अनुदानों के अंकेक्षित लेखाओं के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रशासनिक विभागों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा विशेष उद्देश्यों के लिए प्रदत्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान ग्राहियों से प्राप्त किया जाना चाहिए और सत्यापन के पश्चात् उन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। तथापि यह देखा गया कि अक्टूबर 2007 तक विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रदत्त कुल ₹ 4527.77 करोड़ के अनुदान एवं ऋण संबंधी 21114 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। अक्टूबर 2007 में अथवा उसके पश्चात् प्रदत्त अनुदानों का विवरण राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिया गया था और इसलिए वर्ष 2007-09 की अवधि के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त ₹ 196.39 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेखा में नहीं लिया गया है क्योंकि दिये गये सहायता अनुदान का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है।

3.3 निकायों/ प्राधिकरणों द्वारा विलंबित/असमर्पित लेखे

संस्थानो की पहचान के लिए, जो नियंत्रक महालेखापरीक्षक की (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 14 एवं 15 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा को आकर्षित करती है, सरकार/विभागाध्यक्षों के लिए प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता जिसमें सहायता के उद्देश्यों एवं इन संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत सूचना लेखा परीक्षा को देना आवश्यक है। फिर भी यह पाया गया कि वर्ष 2009-10 तक बाकी चार स्वायत्त निकायों/प्राधिकारों के ₹ 145.72 करोड़ के नौ वार्षिक लेखे सितम्बर 2010 तक प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को प्राप्त नहीं कराये गये थे जिनका विवरण **तालिका 3.2** में दिखाया गया है ।

तालिका 3.2: उपक्रमों/प्राधिकरणों जिनके लेखे प्राप्त नहीं कराये गए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निकाय/प्राधिकरण के नाम	वर्ष जब तक लेखे प्राप्त कराये गए	राज्य सरकार द्वारा दिये गए अनुदान जिसमें प्रारंभिक शेष शामिल है
1.	सोन नियंत्रण क्षेत्रिय विकास प्राधिकरण, पटना	2007-08	46.25
2.	गंडक नियंत्रण क्षेत्रिय विकास प्राधिकरण, मुज्जफरपुर	2008-09	36.99
3.	कोसी नियंत्रण क्षेत्रिय विकास प्राधिकरण, सहरसा	2008-09	18.03
4.	किंउल बड़वा चंदन नियंत्रण क्षेत्रिय विकास प्राधिकरण, भागलपुर	2004-05	44.45
	कुल		**145.72**

(श्रोतः विभागीय आंकड़ें)

3.4 स्वायत्त निकायों के लेखे/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के समर्पण में विलम्ब

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 20 (1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार किसी भी निकाय या प्राधिकार के लेखों की लेखापरीक्षा यदि नियंत्रक महालेखापरीक्षक को किसी कानून के द्वारा सौंपी जाती है या यदि किसी विधान सभा वाले राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है तो लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति प्राप्त शर्तो–प्रतिबंधों पर ली जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा गृह–निर्माण, खादी और ग्रामोद्योग, कानूनी सेवाएँ तथा शिक्षा इत्यादि चार क्षेत्रों में स्थापित स्वायत्त निकायों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौपी गई है। इन लेखापरीक्षाओं की केन्द्र–बिन्दु उनके प्रभावकारी लेन–देन का सत्यापन, लेखों की जाँच–पड़ताल, नियमों–विनियमों का अनुपालन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा है।

बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, बिहार राज्य गृह निर्माण बोर्ड तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर के वर्ष क्रमशः 2002–03, 2003–04 और 2010–11 तक के लेखे की लेखा परीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गई थी। बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकार (बीएसएलएसए) के लेखे की लेखा परीक्षा स्थायी रूप से नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंप दी गई है। बारंबार अनुसरण के बावजूद बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और बिहार राज्य गृह–निर्माण बोर्ड के आगामी वर्षो की लेखा परीक्षा आज तक लंबित है। इन निकायों द्वारा लेखाओं का समर्पण, पृथक लेखा परीक्षा रिर्पोटो का निर्गमन तथा विधानमंडल में उनकी प्रस्तुती **परिशिष्ट 3.2** में सविस्तार वर्णित की गई है।

3.5 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 13 (c) के अन्तर्गत राज्य के किसी विभाग के सभी व्यवसाय, निर्माण, लाभ–हानि लेखा और तुलना पत्र तथा अन्य सहायक लेखाओं की लेखा परीक्षा करना नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का कर्तव्य है। विभागीय उपक्रम जो अर्द्ध–वाणिज्यिक प्रवृति के कार्यो का संचालन करते है, उनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रोफार्मा लेखा बनाया जाना है जिसमें वित्तीय परिचालन का कार्य परिणाम को दर्शाया जाना है, जिससे सरकार उनके कार्यो की जाँच कर सके। विभाग द्वारा संचालित वाणिज्यिकी एवं अर्द्ध–वाणिज्यिकी उपक्रमों द्वारा अंतिम रूप से तैयार लेखा उनके पूर्ण वित्तीय स्वास्थ्य एवं कार्य संपादन में उनकी दक्षता को दर्शाता है। समय पर लेखा तैयार नहीं होने के कारण सरकार द्वारा किये गये निवेश, लेखा परीक्षा एवं राज्य विधायिका की जाँच से बाहर रह जाता है। परिणामतः जवाब देही सुनिश्चित करने और कार्यक्षमता में प्रगति लाने के लिए समय पर सुधारात्मक कदम यदि कोई हो, उठाये नहीं जा सकते है। इसके अतिरिक्त, लेखाओं के समर्पण में विलंब से सरकारी धन के संभावित दुर्विनियोग एवं दुरूपयोग का रास्ता खोल सकता है।

सरकार के अंतर्गत विभागीय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना है कि उपक्रम ऐसे लेखाओं को तैयार करे और उन्हें लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत प्रधान महालेखाकार को समर्पित करे। मार्च 2010 तक राज्य के सात विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों ने 2009–10 तक के अपने लेखे को तैयार नहीं किया था जैसा कि तालिका 3.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.3 : विभागीय वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक उपक्रमों की विवरणी

क्रम सं.	विभाग का नाम	वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक उपक्रमों का नाम	यूनिटों की संख्या
1	उद्योग	(i) आदर्श आयरन वर्कशॉप	06
		(ii) आदर्श लकड़ी वर्कशॉप	06
2		हस्तकरधा बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र	06
3		साल्ट पीटर रिफाइनरी केन्द्र, महेशी, पूर्वी चंपारण	01
4		हस्तकरधा कॉम्प्लेक्स, मधुबनी	01
5		पॉलिस्टर बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, बरारी	01
6		उपेन्द्र महर्षि शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना	01
7		केन्द्रीय रूपांकण केन्द्र, राजेन्द्रनगर, पटना	01
		कुल	**23**

(श्रोतः समेकित आंकड़े)

यद्यपि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ने राज्य प्रतिवेदन (सिविल और राज्य वित्त) के बकाये लेखाओं को तैयार करने में हो रहे विलंब के संबंध में बार–बार टिप्पणी की है तथापि इन संबंधित विभागीय उपक्रमों द्वारा प्रोफार्मा लेखे तैयार करने में कोई सुधार नहीं हुआ है।

3.6 बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष–800 की कार्य–प्रक्रिया

सरकारी लेखे में प्राप्तियाँ/व्यय अपने संबंधित मुख्य शीर्ष में रखे जाते है, लेकिन उन मामलों में जहां किसी प्राप्ति/व्यय का वर्गीकरण वर्गीकृत लघु शीर्ष के अन्तर्गत नहीं आता है वहाँ मामले के अनुसार व्यय को लघु शीर्ष–'800 अन्य व्यय/800–अन्य प्राप्तियाँ' के अन्तर्गत रखा जाता है । वर्ष 2009–10 के वित्त लेखे की जाँच से प्रकट होता है कि 53 मुख्य शीर्ष लेखाओं के मामले में कुल व्यय का 16.56 प्रतिशत इस बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष के अन्तर्गत रख दिया गया। इसके अतिरिक्त 53 ऐसे मुख्य शीर्ष में से 14 के मामले में कुल व्यय ₹ 5293.76 करोड़ के विरूद्ध ₹ 4040.64 करोड़ (संबंधित कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक) बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष के अंतर्गत रख दिये गये जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाया गया है ।

इसी प्रकार, प्राप्ति पक्ष के 40 मुख्य शीर्षो के मामलें में सम्पूर्ण प्राप्तियों का 3.62 प्रतिशत बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष के अंतर्गत रख दिये गए । इनमें से 13 मुख्य शीर्षो के मामलें में कुल प्राप्तियों ₹ 881.32 करोड़ के विरूद्ध ₹ 875.90 करोड़ (संबंधित कुल प्राप्ति के 90 प्रतिशत या अधिक) बहुप्रयोजनित लघु शीर्षो के अंतर्गत रख दिये गए जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है ।

3.7 दुर्विनियोजन, हानि, गबन इत्यादि

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 31 और 32 में प्रावधान है कि सरकारी धन की कोई हानि या उसका संदेह होने पर या सरकारी धन के गबन होने पर संबंधित अधिकारी को अपने से उच्च अधिकारी को और वित्त विभाग को तथा साथ ही महालेखाकार को तुरन्त इसकी सूचना देनी चाहिए चाहे ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा क्यों न कर दी गई हो। जाँचोपरान्त ऐसी हानि की प्रकृति, सीमा तथा कारणो एवं इसकी वसूली को प्रभावित करने वाली संभावनाओं से संबंधित पूर्ण रिपोर्ट समर्पित कर देनी चाहिए। रिपोर्ट प्राप्त करने वाले अधिकारी विभागीय जाँच के साथ इसे राज्य सरकार को अवश्य अग्रेषित करेंगे, जिसमें गबन, हानि और दुर्विनियोजन के कारणों और परिस्थितियों तथा जवाबदेह व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनिक कार्रवाई का जिक्र सम्मिलित रहेगा। तथापि ऐसी कोई भी रिपोर्ट कार्यालयाध्यक्षों द्वारा महालेखाकार को उपलबध नहीं करायी गई है।

कुल मिलाकर मार्च 2010 तक ₹ 407.97 करोड़ के गबन, दुर्विनियोजन, हानि एवं चोरी के 1021 मामले संबंधित विभागो के पास लंबित थे। समयवार/वर्गवार लंबित मामले को **परिशिष्ट 3.5** और **3.6** में प्रस्तुत किया गया है साथ ही तालिका 3.4 एवं 3.5 में उनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। उस अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाले हुए हानि से संबंधित मामले को सरकार द्वारा सूचित नही किया गया है।

तालिका 3.4: लंबित मामलों का समय-वार चित्र

(राशि: ₹ करोड़ में)

समय अवधि	मामले की संख्या	सम्मिलित राशि
5 तक	935	273.88
5 - 10	86	134.09
कुल	**1021**	**407.97**

(श्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

गबन, दुर्विनियोजन, हानि और चोरी के प्रत्येक वर्ग में लंबित मामले की संख्या **परिशिष्ट 3.6** में दर्शायी गई है और तालिका 3.5 में संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

तालिका 3.5: लंबित मामलों की प्रकृति

(राशि: ₹ करोड़ में)

मामले की प्रकृति/विशेषताएँ	मामले की संख्या	सम्मिलित राशि
हानि	583	112.38
दुर्विनियोजन	255	247.86
चोरी	01	0.02
गबन	182	47.71
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले हुए हानि के मामले	-	-
कुल लंबित मामले	**1021**	**407.97**

(श्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

उपर्युक्त दुर्विनियोजन, क्षति गबन के मामलो से संबंधित राशि निबटारा हेतु लंबित थी लेकिन कोई अनुवर्ती कार्रवाई जिम्मेवारी तय करने के लिए नहीं की गई।

3.8 निष्कर्ष

राज्य के संस्थानो और उपक्रमों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों, वार्षिक लेखाओं, प्रोफार्मा लेखाओं इत्यादि का समर्पण वित्तीय रिपोर्टिंग का आधारभूत योगदान होता है। प्रभावकारी और उत्तम प्रबंधन के लिए समय पर की गई गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग एक आवश्यक शर्त होती है जो जवाब देही सुनिश्चित करने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए समुचित कदम उठाने में सरकार की सहायता कर सकती है। ए0सी0 बिल की निकासी से छः महीने के अन्दर डी0सी0 बिल का समर्पण आवश्यक होता है, लेकिन मार्च 2009 तक ₹11854 करोड़ के कुल 50988 डी0सी0 बिल जुलाई 2010 तक लंबित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों को देने के संबंध में कुल ₹ 4527.77 करोड़ के 21114 उपयोगिता प्रमाण पत्र अक्टूबर 2007 तक समर्पण हेतु लंबित थे। सरकार द्वारा अनुदान और ऋण के रूप में दी गई रकम को सूचित करने के लिए कोई प्रक्रिया विकसित नहीं की गई। राज्य के विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अपने लेखाओं को तैयार/प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। प्राप्ति/व्यय शीर्ष के तहत् वृहद राशि 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/प्राप्ति' के अन्तर्गत वर्गीकृत की जा रही थी। दुर्विनियोजन, हानि, गबन, चोरी इत्यादि के अनेक मामले लंबी अवधि से बिना निबटारे के थे। सरकार के स्वायत्त निकायों ने समय पर विधानमंडल को पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन समर्पित नहीं की थी।

3.9 अनुशंसाएँ

- सरकार को बिहार कोषागार संहिता के नियम 322 में सन्निहित प्रावधानों के प्रभावकारी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए जिससे कि डी0सी0 बिल नियत समय के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को समर्पित हो सके।
- सरकार को लम्बे समय से बाकी उपयोगिता प्रमाण पत्र के समर्पण को सुनिश्चित करने तथा सरकार के द्वारा प्रदत्त अनुदान एवं ऋण के संबंध में महालेखाकार को सूचित करने के लिए साधन विकसित करने हेतु प्रभावकारी कदम उठाना चाहिए।
- विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को प्रोफार्मा लेखा तैयार करना चाहिए और उन्हें निर्धारित समय के भीतर समर्पण करना चाहिए।
- दुर्विनियोजन, हानि, गबन, चोरी इत्यादि के मामले को कम करने हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाना चाहिए और विभागों को ऐसे मामलों में वसूली/बट्टे खाते में डालने संबंधी आदेश के निगर्मन को सुनिश्चित करना चाहिए।
- सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन समय पर विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

प्रेमन दिनाराज

पटना
दिनांक

(प्रेमन दिनाराज)
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार पटना

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ : कंडिका 1.1 एवं 1.5.1; पृष्ठ 1 एवं 15)

राज्य का परिचय

अ.	सामान्य आंकड़ें		
कम सं.	विवरण		आंकड़ें
1	क्षेत्रफल		**94163** वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	अ	**2001** के जनगणना के अनुसार	**8.3** करोड़
	ब	**2009-2010**	**9.57** करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2001) (राष्ट्रीय धनत्व =325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		**880** व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे (राष्ट्रीय औसत =27.5 प्रतिशत)		**41.4** प्रतिशत
5	शिक्षा (2001) (राष्ट्रीय औसत =64.8 प्रतिशत)		**47** प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत =53 प्रति 1000 जन्म पर)		**56**
7	जीवन का संभावित जन्म दर (राष्ट्रीय औसत = 63.5 वर्ष)		**61.6** वर्ष
8	गिन्नी गुणांक[1]		
	क	ग्रामीण (सम्पूर्ण भारत =0.30)	**0.20**
	ख	शहरी (सम्पूर्ण भारत =0.37)	**0.33**
9	सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) 2009-10 वर्तमान दर पर		**155051** करोड़
10	जीएसडीपी सीएजीआर.[2] (2000-01 से 2009-10)		**11.71** प्रतिशत
11	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2000-01 से 2009-10)		**9.95** प्रतिशत
12	जीएसडीपी सीएजीआर (2000-01 से 2008-09)	बिहार	**12.08** प्रतिशत
		सामान्य कोटि के अन्य राज्य	**12.54** प्रतिशत
13	जनसंख्या वृद्धि (2000-01 से 2009-10)	बिहार	**15.31** प्रतिशत
		सामान्य कोटि के अन्य राज्य	**13.42** प्रतिशत

ब	वित्तीय आंकड़ें				
कम सं.		विवरण	आंकड़ें (प्रतिशत में)		
1	सीएजीआर		2000-01 से 2008-09		2000-01 से 2009-10
			सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	बिहार
	क	राजस्व प्राप्तियाँ का	**14.40**	**14.48**	**13.71**
	ख	अपने कर राजस्व का	**13.59**	**10.34**	**12.47**
	ग	गैर कर राजस्व का	**12.08**	**6.21**	**9.93**
	घ	कुल व्यय का	**12.38**	**11.13**	**11.55**
	ड़	पूंजीगत व्यय का	**21.41**	**25.06**	**23.76**
	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	**9.33**	**6.65**	**7.08**
	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	**8.95**	**2.28**	**3.75**
	ज	वेतन एवं मजदूरी का	**9.37**	**5.25**	**7.85**
	झ	पेंशन का	**12.03**	**7.09**	**8.86**

स्त्रोतः- वित्तीय आँकड़ा वित्त लेखे पर आधारित आँकड़े है । बी0पी0एल0(योजना आयोग एवं एन एस एस ओ आँकड़े 61वें राउण्ड एनटीटीपीः//योजना आयोग निक.ईन/डाटा/डाटावेस/डाटा 0910/टेब%2021 पीडीएफ), गिन्नी गुणांक (योजना आयोग का गैर सरकारी प्राक्कलन एवं एनएसएसओ डाटा, 61वें राउण्ड 2004-05 एम आर पी), जीवन का संभावित जन्म दर (भारत के महानिबंधक का कार्यालय; गृह मंत्रालय; आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10, शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन अक्टूबर 2009), जनसंया घनत्व (भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालयः गृह मत्रांलय एवं शिक्षा) अवधि 2001-02 से 2008-09 या 2009-10 के मामले में

[1] यह आय के असामान्य वितरण का माप है जहाँ शून्य पूर्ण समानता को दर्शाता है एवं एक पूर्ण असमानता को दर्शाता है।

[2] सीएजीआर=मिश्रित वार्षिक विकास दर

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)

वर्ष 2009-10 की प्राप्तियाँ एवं संवितरण का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2008-09			2009-10		2008-09		2009-10			
								गैर योजना	योजना	योग
		खण्डः अ राजस्व								
32980.69	I	राजस्व प्राप्तियाँ		35526.83	28511.58	I	राजस्व व्यय	24145.38	8438.79	32584.17
6172.74		कर राजस्व	8089.67		10529.51		सामान्य सेवाएँ	11850.99	351.36	12202.35
1153.32		करेत्तर राजस्व	1670.42		12252.10		समाजिक सेवाएँ	8046.11	5140.30	13186.41
17692.51		संघीय करों का राज्यांश	18202.58		6705.91		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	6015.51	1400.71	7416.22
2550.44		गैर योजना अनुदान	2256.20		1193.37		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1187.13	200.69	1387.82
3600.09		राज्य योजना हेतु अनुदान	3720.97		1413.40		जलापूर्ति स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	554.53	883.71	1438.24
1811.59		केन्द्रीय योजना एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	1586.99		43.99		सूचना एवं प्रसारण	47.17	4.84	52.01
					230.46		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	67.19	340.34	407.53
					67.39		श्रम एवं श्रम कल्याण	54.78	15.11	69.89
					2562.22		समाज कल्याण एवं पोषण	92.60	2167.61	2260.21
					35.35		अन्य	27.19	127.30	154.49
					5726.01		आर्थिक सेवाएँ	4140.82	2947.13	7087.95
					1272.69		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	856.11	647.44	1503.55
					2109.20		ग्रामीण विकास	708.25	1972.19	2680.44
					-		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम			
					704.32		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	816.14	81.17	897.31
					722.50		उर्जा	862.61	5.00	867.61
					226.07		उद्योग एवं खनिज	44.81	220.58	265.39
					493.37		परिवहन	690.04		690.04
					-		विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण			-

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2008-09			2009-10		2008-09		2009-10			
								गैर योजना	योजना	योग
					197.86		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	162.86	20.75	183.61
					3.96		सहायता अनुदान एवं अंशदान	107.47	-	107.47
					28511.58		कुल			32584.17
	II	खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे			4469.11	II	खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व अधिशेष			2942.66
32980.69		कुल		**35526.83**	**32980.69**		कुल			**35526.83**
		खंड ब अन्य								
2188.06	III	स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष		**3557.09**		III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओभर ड्राफ्ट			
	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			**6436.35**	IV	पूँजीगत परिव्यय	**63.97**	**7268.12**	**7332.09**
					206.65		सामान्य सेवाएँ	57.80	216.68	274.48
					640.02		सामाजिक सेवाएँ	6.85	1115.70	1122.55
					176.51		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	-	333.96	333.96
					97.21		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	120.52	120.52
					186.57		जलापूर्ति स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	6.85	457.86	464.71
					4.93		सूचना एवं प्रसारण	-	3.00	3.00
					41.77		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	-	26.18	26.18
					100.76		समाज कल्याण एवं पोषाहार	-	153.59	153.59
					37.20		अन्य	-	20.59	20.59
					5589.68		आर्थिक सेवाएँ	-0.68	5935.74	5935.06
					11.04		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	-	1.00	1.00
					1273.79		ग्रामीण विकास	-	852.65	852.65
					-		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम			
					1140.68		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		1348.62	1348.62

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2008-09			2009-10		2008-09		2009-10			
								गैर योजना	योजना	योग
					400.00		ऊर्जा	-	376.00	376.00
					276.72		उद्योग एवं खनिज	-	268.58	268.58
					2463.42		परिवहन	-0.68	3059.11	3058.43
					24.04		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	-	29.78	29.78
11.32	V	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		**13.20**	551.05	V	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	409.52	487.27	896.79
-		विद्युत परियेजनाओं से	-		436.89		ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	157.31	468.94	626.25
9.09		सरकारी सेवकों से	7.12		7.19		सरकारी सेवको को	7.12	-	7.12
2.23		अन्य से	6.08		106.97		अन्य से	245.09	18.33	263.42
4469.11	VI	राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए		**2942.66**	-	VI	राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए			
5927.89	VII	लोक ऋण प्राप्तियाँ		**6134.39**	1682.28	VII	लोक ऋण का पुर्नभुगतान			1982.99
-		बाहरी ऋण			-		बाहरी ऋण			
5778.03		अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	5370.07		1253.60		अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण			1169.32
-		अर्थोपाय अग्रिमें के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-		-		अर्थोपाय अग्रिमें के अन्तर्गत निवल लेन-देन			
-		ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-							
149.86		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	764.32		428.68		भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुर्नभुगतान			813.67
-	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन		-	-	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन			
-	IX	आकस्मिकता निधि को राशि का स्थानांतरण		-	-	IX	आकस्मिकता निधि से व्यय			
16941.02	X	लोक लेखा प्राप्तियाँ		**15303.39**	17310.63	X	लोक लेखा सवितरण			15447.74
1153.36		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	707.19		1008.95		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ			970.05
1302.48		आरक्षित निधि	565.67		869.24		आरक्षित निधि			467.36
184.45		उचन्त एवं विविध	296.81		219.61		उचन्त एवं विविध			197.28
7090.79		प्रेषण	7422.76		7312.36		प्रेषण			7367.94
7209.94		जमा एवं अग्रिम	6310.96		7900.47		जमा एवं अग्रिम			6445.11

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2008-09			2009-10		2008-09		2009-10			
								गैर योजना	योजना	योग
	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवरड्राफ्ट			3557.09	XI	अंतिम रोकड़ शेष			2291.13
					-		कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			-
					-740.06		रिजर्व बैंक के पास जमा			(-)2536.45
					178.16		विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम आदि सहित			200.44
					4118.99		रोकड़ शेष निवेश			4627.14
29537.40		कुल		**27950.74**	**29537.40**		कुल			**27950.74**

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भः कंडिका 1.2.2; पृष्ठ 6)

राज्य क्रियान्वयन समितियों को निधि का सीधा हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना	राज्य में क्रियान्वयन करने वाले समितियां	2008-09			2009-10		
		केन्द्रांश	राज्यांश यदि लागू हो	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश यदि लागू हो	कुल
सर्व शिक्षा अभियान*	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्	1659.24	855.00	2514.24	1217.39	903.45	2120.84
एन पी ई जी ई एल*		36.20	30.00	66.20	0.00	26.85	26.85
कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय		166.14	53.25	219.39	0.00	0.00	0.00
योग (एस.एस.ए.* + एन.पी.ई.जी.ई.एल.* +के.जी.बी.वी.*)		**1861.58**	**938.25**	**2799.83**	**1217.39**	**930.30**	**2147.69**
कुल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-ए	राज्य स्वास्थ्य समिति	351.17	-	351.17	420.84	213.46	633.46
कुल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-बी		217.20	-	217.20	-	-	-
कुल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-सी		76.73	0.19	76.92	-	-	-
कुल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-डी		12.44	-	12.44	-	-	-
योग एन.आर.एच.एम.*		**657.54**	**0.19**	**657.73**	**420.84**	**213.46**	**633.46**
एम.एन.आर.ई.जी.ए.*	डी.आर.डी.ए.*	1369.03	144.28	1513.31	1032.80	103.41	1136.21
एस.जी.एस.वाई.*		240.75	35.11	275.86	131.91	43.04	174.95
आई.ए0वाई (न्यू)		2187.24	494.79	2682.03	2009.19	517.20	2526.39
आई.ए0वाई (अपग्रेडेशन)							
आई.ए0वाई (5%)		0	0.31	0.31			
आई.ए0वाई (कालाजार प्रभावित) 2006+2008		97.58	0.53	98.11			
आई.डब्लू.डी.पी.*		7.32	0.79	8.11	-	-	-
डी.आर.डी.ए. (प्रशासन)		13.62	4.64	18.26	-	-	-
हरियाली					5.71	-	5.71
योग डी.आर.डी.ए.		**3915.54**	**680.45**	**4595.99**	**3179.61**	**663.65**	**3843.26**
कुल सफाई अभियान					90.47		
सांसदों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एन.ए.डी.एस.)	जिला पदाधिकारी				101.50		
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रम	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थान)				0.85		
ऑफ ग्रिड डी.आर.पी.एस.	बिहार पुर्ननवीनीकरण उर्जा विकास अभिकरण				0.99		
कला और संस्कृति का प्रोन्नति और संवर्द्धन	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थान)				1.07		
हस्तशिल्प	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थान)				1.82		
स्मारिका तथा अन्य	नव नालंदा महाबिहार				2.80		
महिला सामाख्या	बिहार महिला सामाख्या समिति				5.44		
राष्ट्रीय फार्मा स्यूटिकल तथा शोध संस्थान	राष्ट्रीय फार्मा स्यूटिकल तथा शोध संस्थान				7.15		

व्यस्क शिक्षा एवं दक्षता विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं (एस.आर.सी.) को सहयोग	जन शिक्षा संस्थान				7.86		
स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायक अनुदान सहित राष्ट्रीय काल श्रम परियोजना	बाल श्रम परियोजना समिति				16.61		
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा)	बिहार राज्य श्रम कल्याण समितियाँ				31.98		
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	राज्य कृषि प्रबंधन तथा विस्तार प्रशिक्षण				43.32		
नये आई.आई.टी. की स्थापना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना				52.50		
राज्य बजट से बाहर भारत सरकार की कुल निधि		6434.66			5182.20		
बिहार सरकार की प्राप्तियाँ		38920.00			41674		
बिहार सरकार का व्यय		37181			42796		
कुल योजना अनुदान (राज्य योजना+केंद्र प्रायोजित योजना +केंद्र योजना)		5411.68			5308		
कुल (केन्द्रिय) अनुदान (योजना+गैर योजना)		7962.12			7564.16		
राज्य बजट से बाहर केन्द्रीय निधियों का प्रतिशत (प्राप्ति)		16.53			12.43		
राज्य बजट से बाहर केन्द्रीय निधियों का प्रतिशत (व्यय)		17.31			12.11		
बिहार सरकार के बजट के बाहर केन्द्रीय निधि कुल केन्द्रीय योजना अनुदान एक प्रतिशत (राज्य योजना+केन्द्रीय योजना+केन्द्र प्रायोजित योजना)		118.90			97.63		
बिहार सरकार के बजट के बाहर केन्द्रीय निधि कुल केन्द्रीय अनुदान का प्रतिशत		80.82			68.51		

*एस.एस.ए. सर्व शिक्षा अभियान, बी.ई.पी.सी. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, एन.पी.ई.जी.इ.एल. प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम के.जी.जी.भी. कस्तुवा गाँधी बालिका एनआरएचएम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एम.एन.आर.ई.जी.ए. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना डी.आर.डी.ए. जिला ग्रामीण विकास अधिकरण एस.जी.एस.वाई. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आई.ए.वाई. इन्दिरा आवास योजना आई.डब्लु.डी.पी. समेकित वेस्ट §Ö विकास परियोजना

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भः कंडिका 1.3 एवं 1.7.2; पृष्ठ 7 एवं 22)

राज्य सरकार के वित्त कालबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10
खण्ड अ प्राप्तियाँ					
I. राजस्व प्राप्तियाँ	**17837**	**23083**	**28210**	**32981**	**35527**
(i) कर राजस्व	**3561(20)**	**4033(17)**	**5086(18)**	**6173(19)**	**8090(23)**
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1734(49)	2081(52)	2535(50)	3016(49)	3839(48)
राज्य उत्पाद	319(9)	382(9)	525(10)	679(11)	1082(13)
वहन पर कर	302(8)	181(4)	273(5)	298(5)	345(4)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	505(14)	455(11)	654(13)	716(12)	998(12)
भू-राजस्व	55(2)	75(2)	82(2)	102(1)	124(2)
माल एवं यात्री कर	613(17)	783(19)	938(18)	1279(21)	1613(20)
अन्य कर	33(1)	76(2)	79(2)	83(1)	89(1)
(ii) गैर राजस्व कर	**522(3)**	**511(2)**	**526(2)**	**1153(3)**	**1670(5)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्को में राज्य का अंश	**10421(58)**	**13292(58)**	**16766(59)**	**17693(54)**	**18203(51)**
(iv) भारत सरकार से सहायतानुदान	**3333(19)**	**5247(23)**	**5832(21)**	**7962(24)**	**7564(21)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	00
3.ऋण एवं अग्रिम की वसूली	**51**	**7**	**26**	**11**	**13**
4.कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**17888**	**23090**	**28236**	**32992**	**35540**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**3770**	**2358**	**1612**	**5928**	**6134**
आंतरिक (अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	3768	2355	1144	5778	5370
आंतरिक अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2	3	468	150	764
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**21658**	**25448**	**29848**	**38920**	**41674**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**5695**	**9224**	**12837**	**16941**	**15303**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**27353**	**34672**	**42685**	**55861**	**56978**
खण्ड-ब-व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**17756**	**20585**	**23563**	**28512**	**32584**
योजना	2736(15)	4065(20)	**4804(20)**	**7280**	8439
गैर-योजना	**15020(85)**	**16520(80)**	**18759(80)**	**21232**	**24145**
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	8523(48)	8643(42)	9252(39)	10530	12202
सामाजिक सेवाएँ	6862(38)	7917(38)	9868(42)	12252	13186
आर्थिक सेवाएँ	2367(13)	4021(20)	4438(19)	5726	7088
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	5	4	108
11. पूँजीगत व्यय	**2084**	**5211**	**6104**	**6436**	**7332**
योजना	2061(99)	5132(98)	5991(98)	6336	7268
गैर-योजना	23(1)	79(2)	113(2)	100	64
सामान्य सेवाएँ	72(3)	155(3)	223(4)	206	274
सामाजिक सेवाएँ	328(16)	596(11)	799(13)	640	1123
आर्थिक सेवाएँ	1684(81)	4460(86)	5082(83)	5590	5935
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**1748**	**315**	**272**	**551**	897
13. कुल (10+11+12)	**21588**	**26111**	**29939**	**35499**	**40813**

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10
14. लोक ऋण का पुनर्भुतान	981	1025	1632	1682	1983
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	493	708	1203	1254	1169
अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	488	317	429	428	814
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	22569	27136	31571	37181	42796
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	4415	8016	10334	17311	15448
19. राज्य सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	26984	35152	41905	54492	58428
खण्ड-स-घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	81	2498	4647	4469	2943
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	(-)3700	(-)3021	(-)1703	(-)2507	(-)5273
22. प्रारम्भिक घाटा/प्रारम्भिक आधिक्य (21+23)	(-)51	(+)395	(+)2004	(+)1246	(-)1588
खण्ड-द-अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	3649	3416	3707	3753	3685
24. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	1110	1017	1133.37	4422.49	4456.09
25. उपयोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट (दिन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उपयोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट (दिन)					
उपयोग किये गये ओभरड्राफ्ट (दिन)					
26. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट पर ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27. सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जी .एस.डी.पी.) @	79382	99579	114616	142504	155051
28. लंबित राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	46495	49089	50989	54977	58690
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्षान्त)	605	608	516	704	859
30. गारंटी दी गई अधिकतम राशि (वर्षान्त)	1531	1538	1538	1538	1548
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	6	6	9	78	288
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2393	2393	2793	1016.08	940.81
खण्ड-ई-राजकोषीय स्थिति का सूचक					
I. संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)					
निजी राजस्व कर/जी.एस.डी.पी.	4.49	4.05	4.44	4.33	5.22
निजी करेत्तर राजस्व/ जी.एस.डी.पी.	0.66	0.51	0.46	0.81	1.08
केन्द्रीय स्थानांतरण/ जी.एस.डी.पी.	13.13	13.35	14.63	12.42	11.74
II. व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय/ जी.एस.डी.पी.	27.20	26.22	26.12	24.91	26.32
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	121.08	113.11	106.12	107.63	114.88
राजस्व व्यय/कुल व्यय	82.25	78.84	78.70	80.31	79.84
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय	33.31	32.60	35.63	36.32	35.06
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	18.76	32.48	31.80	31.88	31.91

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	9.65	19.95	20.38	18.13	17.97
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	9.32	19.36	19.64	17.34	17.29
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/ जी.एस.डी.पी.	0.10	2.51	4.06	3.14	1.90
राजकोषीय घाटा / जी.एस.डी.पी.	-4.66	-3.03	-1.49	-1.76	-3.40
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/ जी.एस.डी.पी.	-0.06	0.40	1.75	0.87	-1.02
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-2.19	82.69	-272.87	-178.26	-55.81
आरंभिक राजस्व शेष/ जी.एस.डी.पी.	-4.83	-5.55	-5.56	-4.90	-5.31
IV. राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/ जी.एस.डी.पी.	58.57	49.29	44.48	38.58	37.85
राजकोषीय दायित्व/आर.आर.	260.67	212.66	180.75	166.69	165.20
आरंभिक घाटा यथा मात्रा विस्तार	-0.09	0.05	-0.51	0.13	-1.17
ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	65.93	134.52	321.59	64.55	73.61
V. अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	0.00	0.00	0.38	0.26	0.24
चालू राजस्व से शेष (करोड़ रूपयों में)	685.02	2995.78	5124.24	3952.78	6213.49
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/दायित्व	80	86	96	96	92

कोष्टक में दिये गये आंकडे प्रत्येक उपशीर्षो के कुल प्रतिशतता दिखलाते है।

@ सरकार द्वारा अपनायी गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ें

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भः कंडिका 1.3.3; पृष्ठ 10)

बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर

(₹ करोड़ में)

कम सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	विचलन वृद्धि (+) घाटा (-)	प्रतिशत
•	कर राजस्व				
1.	राज्य उत्पाद	850.00	1,081.68	(+) 231.68	(+) 27.26
2.	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	750.00	997.90	(+) 247.90	(+) 33.05
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	62.78	66.63	(+) 3.85	(+) 6.13
4.	भू-राजस्व	76.22	123.96	(+) 47.74	(+) 62.63
5.	माल तथा यात्री कर-माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर	1,270.00	1,613.16	(+) 343.16	(+) 27.02
•	करेत्तर राजस्व				
1.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	180.00	319.93	(+) 139.93	(+) 77.74
2.	वानिकी तथा वन्य प्राणी	5.00	6.78	(+) 1.78	(+) 35.60
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	53.62	353.27	(+) 299.65	(+) 558.84
4.	मध्यम सिंचाई	3.50	14.80	(+) 11.30	(+) 322.86

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भः कंडिका 1.3.4; पृष्ठ 11)

राजस्व बकायों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2010 को बकाया राशि	पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	1,323.32	326.45	₹ 1,323.32 करोड़ में से, ₹ 315.71 करोड मांग की वसूली के लिए पब्लिक डिमांड रिकवरी (पी.डी.आर.) एक्ट के तहत प्रमाणित किए गए थे। ₹ 362.73 करोड़ एवं ₹ 25.54 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय एवं सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी। ₹ 1.10 करोड़ अप्रलेखन किया जाना संभावित एवं ₹ 618.24 करोड़ की वसूली अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
2.	वाहनों पर कर	134.34	अनुपलब्ध	पूरी लम्बित राशि पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूली के लिए प्रमाणित किए गए।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	0.36	0.14	₹ 0.36 करोड़ में से, ₹ 0.20 करोड़ की वसूली सरकार के द्वारा रोकी गई थी एवं ₹ 0.16 करोड़ की वसूली अन्य स्थितियों में लंबित थी।
4.	प्रवेश कर	25.55	1.38	₹ 25.55 करोड़ में से, ₹ 1.45 करोड़ मांग की वसूली के लिए पी.डी.आर. एक्ट के तहत प्रमाणित किए गए थे। ₹ 19.55 लाख की वसूली न्यायालय द्वारा रोकी गई थी तथा ₹ 23.90 करोड़ की वसूली अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
5.	मनोरंजन कर	9.55	2.22	₹ 9.55 करोड़ में से, ₹ 8.17 करोड़ मांग की वसूली के लिए पी.डी.आर. एक्ट के तहत प्रमाणित किए गए थे। ₹ 15.05 लाख की वसूली न्यायालय द्वारा रोकी गई थी तथा ₹ 1.23 करोड़ की वसूली अन्य स्थितियों में लंबित थे।
6.	जल कर	214.72	अनुपलब्ध	संग्रहण के लिए लंबित बकायों की स्थितियों की मांग (मई एवं अगस्त 2010) किए जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गए (सितम्बर 2010)
7.	खान एवं खनिज	214.85	66.40	₹ 214.85 करोड़ में से, ₹ 160.13 करोड़ मांग की वसूली के लिए पी.डी.आर. एक्ट के तहत प्रमाणित किये गए थे। ₹ 54.72 करोड़ की वसूली अन्य स्थितियों में लंबित थी।
कुल		**1,922.69**	**396.59**	

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भः कंडिका 1.7.1; पृष्ठ 21)

31 मार्च 2010 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2009 को	देयता		31 मार्च 2010 को
31293.27	आंतरिक ऋण		**35494.01**
13370.12	ब्याज वाले बाजार ऋण	15871.95	
0.20	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.28	
22.18	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	22.08	
17900.77	अन्य संस्थाओं से ऋण	19599.70	
740.06	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा		**2536.45**
7997.79	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम		**7948.45**
3.91	1984-85 से पूर्व ऋण	3.91	
79.19	गैर योजना ऋण	70.06	
7842.94	राज्य योजनाएँ ऋण	7804.99	
7.33	केन्द्रीय योजना हेतु ऋण	6.73	
21.46	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	19.80	
42.96	अर्थोपाय अग्रिम योजना मद	42.96	
350.00	आकस्मिकता निधि		**350.00**
9573.58	लघु बचत अग्रिम निधि आदि		**9310.72**
4887.30	जमा		**4753.62**
1364.90	आरक्षित निधि		**1463.21**
	प्रेषण शेष		
56206.90			**61856.46**
	परिसम्पत्तियाँ		
36919.83	सकल वित्तीय परिव्यय		**44251.93**
832.28	कंपनियां निगमों आदि के शेयरों में निवेश	856.18	
36087.55	अन्य पूँजीगत परिव्यय	43395.75	
14667.83	ऋण एवं अग्रिम		**15551.42**
12289.98	उर्जा परियोजना हेतु ऋण	12916.23	
2310.95	अन्य विकास ऋण	2573.55	
66.90	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	61.64	
1279.15	आरक्षित निधि निवेश		**1224.33**
186.67	अग्रिम		**187.13**
1021.94	उचंत और विविध शेष		**922.41**
4297.16	रोकड़		**4827.58**
0.00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00	
0.00	रिजर्व बैंक में जमा	0.00	
177.76	विभागीय रोकड़ शेष साथ में	200.00	
0.40	स्थायी अग्रिम	0.44	
4119.00	रोकड़ शेष निवेश	4627.14	
2165.68	सरकारी खातें में घाटा		**-5108.34**
(-)4469.11	घटावें : चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य	-2942.66	
0.00	(ii) विविध घाटा		
2303.43	वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा	-2165.68	
56206.90			**61856.46**

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ : कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 34)

वैसे अनुदान/विनियोजन की विवरणी जहाँ प्रावधान के ₹ 10 करोड़ से ज्यादा की बचत हुई

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान /विनियोजन	बचत	प्रतिशत
1	01	कृषि विभाग	1170.59	212.43	18.15
2	02	पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	329.22	62.53	18.99
3	03	भवन निर्माण विभाग	335.94	74.17	22.08
4	04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	96.59	28.86	29.88
5	06	निर्वाचन विभाग	205.46	89.98	43.79
6	08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	67.62	11.13	16.46
7	09	सहकारिता विभाग	292.40	93.70	32.05
8	10	ऊर्जा विभाग	2306.39	411.75	17.85
9	11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	108.50	32.36	29.82
10	12	वित्त विभाग	384.29	51.11	13.30
11	13	ब्याज भुगतान	4181.21	495.70	11.86
12	15	पेंशन	4382.57	61.88	1.41
13	16	पंचायती राज विभाग	1315.47	197.18	14.99
14	19	पर्यावरण एवं वन विभाग	119.37	26.63	22.31
15	20	स्वास्थ्य विभाग	1795.99	293.61	16.35
16	21	मानव संसाधन विकास विभाग	9817.78	2277.25	23.20
17	22	गृह विभाग	2717.00	265.45	9.77
18	23	उद्योग विभाग	516.09	41.14	7.97
19	25	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	135.36	91.72	67.76
20	26	श्रम संसाधन विभाग	186.02	59.33	31.89
21	27	विधि विभाग	292.10	31.32	10.72
22	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	221.15	58.43	26.42
23	33	कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग	110.09	26.97	24.50
24	35	योजना एवं विकास विभाग	813.04	549.68	67.61
25	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1269.45	502.25	39.56
26	37	ग्रामीण कार्य विभाग	1879.64	621.57	33.07
27	39	आपदा प्रबंधन विभाग	678.98	504.10	74.24
28	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	765.39	124.16	16.22
29	41	पथ निर्माण विभाग	3764.25	280.20	7.44
30	42	ग्रामीण विकास विभाग	1570.39	224.45	14.29
31	43	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	162.95	13.69	8.40
32	44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	404.24	54.58	13.50
33	45	गन्ना उद्योग विभाग	76.31	15.58	20.42
34	48	शहरी विकास एवं आवास विभाग	1784.61	652.08	36.54
35	49	जल संसाधन विभाग	3568.90	1622.84	45.47
36	50	लघु जल संसाधन विभाग	500.05	188.91	37.78
37	51	समाज कल्याण विभाग	2512.56	240.60	9.58
कुल			**50837.96**	**10589.32**	

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोजन लेखा)

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भः कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 34)

₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
	राजस्व–दत्तमत					
1	01–कृषि विभाग	589.34	562.92	1152.26	939.83	212.43
2	02–पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	261.02	68.19	329.22	266.69	62.53
3	06–निर्वाचन विभाग	189.95	15.51	205.46	115.48	89.98
4	09–सहकारिता विभाग	149.33	111.79	261.12	179.98	81.13
5	15–पेंशन	3779.01	600.01	4379.02	4317.44	61.58
6	16–पंचायती राज विभाग	1191.14	124.33	1315.47	1118.29	197.18
7	20–स्वास्थ्य विभाग	1649.06	11.63	1660.69	1381.86	278.83
8	21–मानव संसाधन विभाग	8596.42	862.27	9458.69	7345.42	2113.27
9	22–गृह विभाग	2425.96	123.51	2549.47	2306.75	242.72
10	26–श्रम संसाधन विभाग	156.35	17.67	174.02	114.96	59.06
11	30–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	195.64	9.58	205.21	148.37	56.85
12	35–योजना एवं विकास विभाग	785.93	1.41	787.34	237.66	549.68
13	37–ग्रामीण कार्य विभाग	421.61	60.95	482.57	405.42	77.15
14	39–आपदा प्रबंधन विभाग	422.63	247.5	670.13	166.02	504.10
15	40–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	471.07	228.63	699.70	579.57	120.13
16	41–पथ निर्माण विभाग	707.07	-	707.34	433.04	274.30
17	42–ग्रामीण विकास विभाग	1231.19	170.00	1401.19	1345.94	55.25
18	44–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	296.53	93.87	390.39	335.85	54.54
19	48–शहरी विकास एवं आवास विभाग	1754.45	20.17	1774.61	1122.53	652.08
20	49–जल संसाधन विभाग	875.64	1.04	876.68	669.12	207.56
21	50– लघु जल संसाधन विभाग	332.98	0.29	333.27	239.47	93.80
22	51– समाज कल्याण विभाग	2052.27	355.17	2407.44	2169.39	238.05
	कुल	**28534.59**	**3686.44**	**32221.29**	**25939.08**	**6282.20**
राजस्व–भारित						
1	13–ब्याज भुगतान	4170.15	11.06	4181.21	3685.51	495.70
	कुल	**4170.15**	**11.06**	**4181.21**	**3685.51**	**495.70**
	पूँजीगत–दत्तमत					
1	10–ऊर्जा विभाग	1004.76	401.60	1406.36	1006.65	399.71
2	21–मानव संसाधन विकास विभाग	134.00	225.09	359.09	195.11	163.98
3	36–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	910.82	2.5	913.32	450.43	462.89
4	37–ग्रामीण कार्य विभाग	1317.07	80.00	1397.07	852.65	544.42
5	42–ग्रामीण विकास विभाग	169.2	-	169.20	-	169.20
6	49–जल संसाधन विभाग	2487.72	204.51	2692.23	1276.95	1415.28
7	50–लघु जल संसाधन विभाग	166.78	-	166.78	71.67	95.11
				कुल	**3853.46**	**3250.59**
				महायोग	**33478.05**	**10028.49**

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भः कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 34)

वैसे अनुदानों की सूची जहाँ वर्ष 2005-10 में सतत् बचत हुए

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
	राजस्व-दत्तमत					
1	02-पशुपालन एवं मतस्य संसाधन विभाग	24.75 (25.29)	20.10 (12.27)	26.18 (14.94)	64.55 (18.10)	62.53 (18.99)
2	12-वित्त विभाग	39.65 (42.99)	21.04 (22.40)	94.54 (54.74)	35.16 (12.83)	39.09 (10.91)
3	20-स्वास्थ्य विभाग	457.13 (34.35)	355.35 (28.24)	292.10 (22.03)	395.61 (24.92)	278.83 (16.79)
4	27-विधि विभाग	74.10 (34.89)	29.54 (16.49)	35.32 (16.68)	70.45 (26.76)	31.32 (10.72)
5	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	54.71 (20.04)	36.53 (12.57)	38.58 (11.26)	73.16 (19.07)	120.13 (17.17)
6	41-पथ निर्माण विभाग	31.94 (10.94)	37.82 (10.96)	123.15 (29.98)	114.75 (27.17)	274.30 (38.78)
7	50-लघु जल संसाधन विभाग	128.97 (31.08)	289.99 (68.09)	33.72 (17.33)	70.75 (21.92)	93.81 (28.18)
	कुल राजस्व दत्तमत	**811.25**	**790.37**	**643.59**	**824.43**	**900.01**
	पूँजीगत-दत्तमत					
8	03-भवन निर्माण विभाग	97.33 (71.76)	75.94 (59.98)	39.03 (57.17)	53.82 (58.81)	26.79 (29.86)
9	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	209.96 (63.44)	318.63 (56.21)	389.41 (53.87)	495.89 (73.13)	462.89 (50.68)
10	49-जल संसाधन विभाग	313.30 (35.32)	463.82 (44.29)	593.42 (42.19)	1359.51 (55.29)	1415.28 (52.57)
11	50-लघु जल संसाधन विभाग	42.49 (59.87)	60.72 (55.68)	79.06 (51.45)	60.63 (59.44)	95.11 (57.02)
	कुल पूँजीगत दत्तमत	**663.08**	**919.11**	**1100.92**	**1969.85**	**2000.07**

(स्त्रोतः राज्य का विनियोजन लेखे)

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भः कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 35)

विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिन्हें विनियमित किया जाना है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	अधिकाई व्यय	लोक लेखा समिति में विचारार्थ की स्थिति
1977-78	2	5, 24	0.40	अविनियमित
1978-79	2	17, 27	16.17	-वही-
1979-80	1	17	33.46	-वही-
1980-81	2	12, 17	26.03	-वही-
1981-82	7	3, 11, 12, 13, 15, 17, 24	39.24	-वही-
1982-83	2	12, 22	4.79	-वही-
1983-84	2	11, 12	9.98	-वही-
1984-85	2	3,14	2.62	-वही-
1985-86	2	10, 13	14.83	-वही-
1986-87	1	13	65.62	-वही-
1987-88	6	9, 19, 25, 38, 48	244.76	-वही-
1988-89	3	9, 25, 38	85.15	-वही-
1989-90	3	25, 27, 38	99.4	-वही-
1990-91	4	37, 38, 42, 43	92.07	-वही-
1991-92	2	6, 38, 43	85.11	-वही-
1992-93	2	25, 38	93.25	-वही-
1993-94	2	25, 37	157.68	-वही-
1994-95	1	37	170.61	-वही-
1995-96	3	25, 36, 37	213.22	-वही-
1996-97	3	20, 23, 37	22.44	-वही-
1997-98	1	7	0.01	-वही-
1998-99	1	30	0.33	-वही-
1999-00	4	10, 13, 14, 50	196.22	लोक लेखा समिति में विचार-विमर्श किया जा चुका है (सितम्बर 2010) लेकिन इसकी अनुशंसा प्रतिवेदन तथा गजट अधिसूचना अप्राप्त है ।
	1	40	0.01	अविनियमित
2000-01	4	5, 13, 15, 32	712.34	लोक लेखा समिति में विचार-विमर्श किया जा चुका है (सितम्बर 2010) लेकिन इसकी अनुशंसा प्रतिवेदन तथा गजट अधिसूचना अप्राप्त है ।
2001-02	1	15	491.24	-वही-
2002-03	2	15, 47	10.15	-वही-
2003-04	4	10,14,15,32	3701.11	-वही-
	3	11,13,50	81.23	अविनियमित
2004-05	4	19,20,21,46	5.68	-वही-
2005-06	4	10,39,40,46	349.56	-वही-
2007-08	2	17, 42	1.93	-वही-
2008-09	3	15,17,28	54.63	-वही-
कुल			**7081.27**	

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भः कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 36)

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	पूरक प्रावधान
अ	राजस्व (भारित)				
1	13- ब्याज भुगतान	4170.15	3685.51	484.64	11.06
2	34- बिहार लोक सेवा आयोग	9.94	9.93	0.01	0.60
कुल	भारित	**4180.09**	**3695.44**	**484.65**	**11.66**
अ	राजस्व (दत्तमत)				
1	03- भवन निर्माण विभाग	245.04	198.84	46.20	1.18
2	06- निर्वाचन आयोग	189.95	115.48	74.47	15.51
3	07- निगरानी विभाग	18.64	15.35	3.29	0.15
4	08- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	41.93	32.30	9.63	0.10
5	11- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	102.28	75.15	27.13	5.23
6	12- वित्त विभाग	355.16	319.26	35.90	3.19
7	16- पंचायती राज विभाग	1191.14	1118.29	72.85	124.33
8	17- वाणिज्यिक कर विभाग	52.12	48.31	3.81	5.02
9	19- पर्यावरण एवं वन विभाग	107.62	92.74	14.88	11.75
10	20- स्वास्थ्य विभाग	1649.06	1381.86	267.20	11.63
11	21- मानव संसाधन विकास विभाग	8596.42	7345.42	1251.00	862.27
12	22- गृह विभाग	2425.96	2306.75	119.21	123.51
13	23- उद्योग विभाग	226.12	206.37	19.75	20.89
14	25- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	77.50	43.64	33.86	15.21
15	26- श्रम संसाधन विभाग	156.35	114.96	41.39	17.67
16	29- खनन एवं भूगर्भ विभाग	13.05	10.09	2.96	0.15
17	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	195.64	148.37	47.27	9.58
18	32- विधान मंडल	69.91	61.63	8.28	1.67
19	35- योजना एवं विकास विभाग	785.93	237.66	548.27	1.41
20	36- लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	352.26	316.77	35.49	3.88
21	37- ग्रामीण कार्य विभाग	421.61	405.42	16.19	60.95
22	39- आपदा प्रबंधन विभाग	422.63	166.02	256.61	247.50
23	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	36.06	34.59	1.47	7.29
24	45- गन्ना उद्योग विभाग	45.09	40.45	4.64	3.70
25	46- पर्यटन विभाग	6.61	6.20	0.41	0.19
26	47- परिवहन विभाग	16.61	11.47	5.14	1.57
27	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग	1754.44	1122.53	631.91	20.17
28	49- जल संसाधन विभाग	875.64	669.12	206.52	1.04
29	50- लघु जल संसाधन विभाग	332.98	239.47	93.51	0.29
कुल	दत्तमत	**20763.75**	**16884.51**	**3879.24**	**1577.03**
कुल	राजस्व	**24943.84**	**20579.95**	**4363.89**	**1588.69**
ब	पूँजीगत दत्तमद				
1	09- सहकारिता विभाग	28.73	18.72	10.01	2.55
2	20- स्वास्थ्य विभाग	135.15	120.52	14.63	0.16
3	36- लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	910.81	450.43	460.38	2.50
4	37- ग्रामीण कार्य विभाग	1317.07	852.65	464.42	80.00
5	49- जल संसाधन विभाग	2487.72	1276.95	1210.77	204.51
6	51- सामाजिक कल्याण विभाग	104.01	102.57	1.44	1.12
कुल	पूँजीगत	**4983.49**	**2821.84**	**2161.65**	**290.84**
महायोग		**29927.33**	**23401.79**	**6525.54**	**1879.53**

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ : कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 36)

निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोग

(₹ लाख में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	पुर्नर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
1	3	2059-80-800-0002-अन्य प्रशासनिक सेवायें	30.00	100.00	-12.73
2	9	2401-00-110-0107-पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु प्रीमियम अनुदान	4226.50	1173.50	-3298.00
3	9	2425-00-001-0002-अधीक्षण	3554.60	4.37	-0.16
4	13	2049-01-200-0004- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा केंद्रीय भंडारागार से लिए गए ऋण पर ब्याज	6.99	0.09	-3.86
5	13	2049-60-701-0004-बिक्री कर वापसी के मामले में देय ब्याज	14.00	27.58	-0.26
6	16	2015-00-109-0002-जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव	530.00	45.98	-178.58
7	16	2515-00-196-0003-पंचायतराज संस्थाओं को अनुदान	649.60	1073.69	-373.37
8	16	2515-00-198-0001-पंचायतराज संस्थाओं को सहायता	29881.60	4.00	-441.62
9	20	2210-01-001-0004-अंधेपन की रोक थाम	491.28	202.95	-105.22
10	20	2210-01-110-0001-पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल	7295.22	1050.99	-912.99
11	20	2210-01-110-0011-संक्रामक रोग अस्पताल, पटना	111.46	30.00	-19.22
12	20	2210-01-110-0012-राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	113.57	87.09	-16.26
13	20	2210-01-200-0001-औषधालय (यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम)	2563.06	201.00	-204.65
14	20	2210-01-200-0005-अन्य औषाधालय (स्थानीय औषधालय)	942.69	44.71	-56.37
15	20	2210-01-200-0008-रक्त भंडार	204.79	23.75	-0.70
16	20	2210-03-101-0003-स्वास्थ्य उप केंद्र	4170.98	500.00	-468.45
17	20	2210-03-110-0001-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	4453.23	1100.00	-159.97
18	20	2210-05-105-0003-दरभंगा मेडिकल कॉलेज	1995.32	47.84	-81.34
19	20	2210-05-105-0022-वर्धमान इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईन्सेज, पावापुरी	155.10	21.50	-85.36
20	20	2210-06-101-0002-राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	1156.42	5.00	-38.11
21	20	2210-06-102-0001-लोक स्वास्थ्य एवं खाद्य अपमिश्रण का निवारण कार्यक्रम खाद्य नियंत्रण स्थापना	230.84	2.00	-60.72
22	20	2210-06-104-0001-औषधि नियंत्रण स्थापना	710.30	5.00	-124.91
23	20	2210-06-104-0002-प्रधान कुर्नन पूर्ति डीपो, पटना	27.83	11.08	-0.87
24	20	4210-03-050-0102-अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के लिए भूमि अधिग्रहण (विषम चिकित्सा)	10.00	500.00	-2.44

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	पुर्नर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
25	21	2202-01-101-0001-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	301295.95	27230.61	-4900.76
26	21	2202-02-109-0001-अन्य विद्यालय	109752.28	2761.80	-1728.50
27	21	2202-03-103-0001-इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा)	1933.62	100.00	-70.94
28	21	2202-03-800-0001-बिहार कॉलेज सेवा आयोग (अनुदान)	45.02	8.02	-9.73
29	21	2202-04-800-0102-व्यस्क शिक्षा	2887.48	4355.63	-598.67
30	21	2202-80-004-0007-के.पी. जयसवाल अनुसंधान संस्थान, पटना	56.71	44.00	-0.76
31	21	2205-00-105-0001-सार्वजनिक पुस्तकालय	58.12	4.65	-0.67
32	21	2251-00-090-0002-माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	265.98	9.79	-4.46
33	23	2852-80-102-0160-प्री0-प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना	3500.00	3828.80	-27.62
34	40	2053-00-101-0001-मुख्य कार्यालय	1360.15	10.00	-19.77
35	41	3054-80-001-0002-पर्यवेक्षण	17831.82	980.00	-262.14
36	41	3054-80-001-0008-राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना निष्पादन	0.01	356.03	-256.07
37	48	2217-80-191-0010-नगर निगम, निगमों, चिन्हित समितियों को बकाया बिजली बिल के भुगतान हेतु दिया गया सहायक अनुदान	950.65	940.65	-62.38
38	48	2217-80-192-0001-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा नगर परिषद के प्राथमिक कार्य हेतु की गई अनुशंसा के लिए सहायक अनुदान	1152.23	1137.23	-200.55
39	48	2217-80-193-0001- ग्याहरवें वित्त आयोग द्वारा नगर पंचायत के प्राथमिक कार्य हेतु की गई अनुशंसा के लिए सहायक अनुदान	737.12	717.12	-291.08
40	48	2251-00-090-0005-शहरी विकास विभाग	333.13	15.00	-0.08
41	49	2701-03-101-0002-अन्य अनुरक्षण व्यय	16.05	99.00	-40.78
42	49	2701-04-101-0002-अन्य अनुरक्षण व्यय	570.40	10.00	-12.87
43	49	2711-03-800-0001-क्षेत्रीय स्थापना (उत्तर)	4199.30	87.00	-137.39
44	49	4701-03-800-0101-सोन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)	455.00	170.00	-24.87
45	49	4701-04-001-0101-स्थापना	383.00	10.08	-1.29
46	49	4701-04-800-0101-क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)	2100.00	790.00	-961.96
कुल			**513409.40**	**49927.53**	**-16259.50**

(स्त्रोतः अनुदान पंजी एवं विस्तृत विनियोजन लेखे)

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ : कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 36)

पुनर्विनियोजन द्वारा निधि की अपर्याप्त निकासी

(₹ लाख में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य(+) / बचत (-)
1	1	2401-00-001-0106-परियोजना एवं विपणन का सर्वे (नया ¶ù å योजना कार्यक्रम)	1000.00	-673.54	-87.63
2	2	2403-00-001-0001-अधीक्षण	455.79	-148.86	-4.26
3	2	2403-00-101-0003- अस्पताल औषधालय तथा अन्य स्थापना	7759.69	-1238.69	-32.17
4	2	2404-00-102-0010-विस्तारित इकाई	401.29	-11.33	-1.35
5	3	2059-80-052-0001- नई आपूर्ति मरम्मत	100.00	-67.36	-6.19
6	3	2059-80-053-0001- अनुरक्षण एवं मरम्मत	11200.00	-1156.20	-17.02
7	6	2015-00-108-0001- मतदाताओं में फोटो पहचान पत्र जारी करने पर व्यय	2405.00	-1957.47	-24.70
8	12	4058-00-103-0101- मशीन एवं उपस्कर का आधुनिकीकरण तथा राजकीय प्रेस गुलजार बाग के लिए योजना	143.98	-36.00	-107.99
9	13	2049-01-101-0001-बिहार राज्य विकास ऋण पर ब्याज (देय ब्याज)	112938.68	-17.74	-4749.54
10	16	2515-00-001-0003-जिला पंचायतो की स्थापना	11860.33	-1292.59	-12.49
11	16	2515-00-198-0004-ग्राम पंचायतों में लिपिक सह रोकड़पाल को पारिश्रमिक	3046.68	-2991.98	-54.70
12	19	2406-01-101-0109-अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	2009.57	-397.78	-150.07
13	20	2210-01-001-0002-जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी	2279.22	-220.81	-111.82
14	20	2210-01-110-0013-सदर अस्पताल	14987.75	-4250.90	-197.89
15	20	2210-01-200-0002-अन्य औषधालय (कुष्ट उन्मूलन योजना)	3741.89	-376.14	-232.40
16	20	2210-03-103-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	53717.81	-2439.21	-7767.86
17	20	2210-05-105-0013-प्रशिक्षण फार्मेसी	239.20	-134.32	-12.13
18	20	2210-05-105-0023-राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	155.08	-23.75	-85.80
19	20	2210-06-200-0001-सामान्य जन के लिए योग प्रशिक्षण	1100.00	-1019.36	-71.86
20	20	2210-06-800-0002-पिछड़ो के लिए स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण	700.00	-587.55	-8.70
21	21	2202-01-101-0101-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	40500.00	-26103.18	-1049.80
22	21	2202-01-198-0002-पंचायत शिक्षकों के लिए समेकित भुगतान	72775.20	-49764.19	-4032.61
23	21	2202-80-004-0118-राज्य शिक्षा खोज एवं प्रशिक्षण	925.60	-895.00	-30.60
24	22	2235-60-200-0004-दंगा पीडितों के लिए सहायता	3181.00	-46.02	-10.15
25	40	2029-00-800-0101-जोतो की चकबन्दी	1794.84	-560.68	-313.00
26	41	3054-80-001-0003-कार्यान्वयन	13091.98	-3430.23	-8368.03
27	41	3054-80-001-0007-राष्ट्रीय उच्चमार्ग परियोजना समीक्षा	778.59	-200.00	-186.23
28	43	2203-00-105-0001-प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	1973.46	-449.13	-17.33
29	48	2217-80-192-0107-नगर परिषद के निर्वाचन प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	70.92	-16.30	-0.43
30	49	2700-01-001-0001-स्थापना	7927.50	-2008.24	-413.84
31	49	2700-02-001-0001- स्थापना	12288.00	-3057.60	-326.00
32	49	2700-03-001-0001-स्थापना	18142.50	-4416.04	-264.66
33	49	2701-04-001-0001- स्थापना	3913.90	-646.38	-172.51
34	49	2701-80-001-0001-सचिवालय मुख्यालय स्थापना (अभियंता प्रमुख)	1253.70	-267.67	-9.09
35	49	2711-01-001-0003-क्षेत्रीय स्थापना	24054.00	-4999.54	-291.69
36	49	4700-01-800-0101-कोशी बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना	5400.00	-5009.05	-238.49
37	49	4700-02-001-0101- स्थापना	625.00	-340.04	-0.92
कुल			**438938.15**	**-121250.87**	**-29461.95**

(स्त्रोत : विस्तृत विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भः कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 37)

वर्ष के दौरान पर्याप्त अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	प्रतिशत
1	01-कृषि विभाग	2401-00-001-0106-परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं सूत्रीकरण (नई राज्य योजना कार्यक्रम)	10.00	6.74	67.40
2		2401-00-108-0615-इन्टिग्रेटेड स्कीम फौर आयल सीड,पल्सेज, ऑयलपाम एण्ड मेज (आईसोपोम 75:25) नई योजना	21.00	13.52	64.38
3		2401-00-108-0617-जूट टेक्नोलोजी मिशन	1.35	1.20	88.89
4		2401-00-108-0114-इन्टीग्रेटेड स्कीम फौर ऑयन सीड, पल्सेस, ऑयपाम एण्ड मेज (आईसोपोम 75:25) नई योजना	7.00	4.21	60.14
5		2401-00-109-0106 इनटेनसिफाय फिल्ड डेवलमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट नई योजना	15.00	13.14	87.60
6		2401-00-109-0111 सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फौर एक्सटेंशन रिफार्मस	9.00	5.37	59.67
7		2401-00-113-0104- प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्क शॉप (मैक्रोमोड राज्यांश 10:90)	30.00	18.46	61.53
8		2401-00-119-0101- उद्यान विकास योजना	7.00	5.35	76.43
9		2401-00-800-0104-मिट्टी, बीज, उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना एवं कार्यरत प्रयोगशाला का उन्नयन	11.00	7.35	66.82
10		2401-00-800-0105- राज्य किसान आयोग	1.00	0.50	50.00
11	02-पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	2403-00-104-0102-अवि एवं आजा का पोषण एवं विकास	2.25	1.46	64.89
12		2405-00-001-0102-मत्स्य प्रसार	4.69	3.07	65.46
13		2405-00-101-0106-मछुआरों के लिए आवास, शौचालय, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाएँ	0.85	0.71	83.53
14		2405-00-120-0601-मछुआरों के लिए आवास एवं अन्य सुविधाएँ	0.85	0.71	83.53
15		3454-01-001-0602-पशु गणना	7.56	5.47	72.35
16	03-भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0009-प्रखंड भवन का अनुरक्षण	2.00	1.70	85.00
17		2059-80-052-0001-नया आपूर्ति एवं मरम्मत	1.00	0.67	67.00
18		2216-01-053-0002-ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रो /उपकेन्द्रों भवन पर अनुरक्षण व्यय	2.25	1.25	55.56
19		4059-80-051-0002-लघु कार्य	1.00	0.90	90.00
20		4216-01-700-0003-लोक निर्माण कार्य	2.50	2.13	85.20
21		4216-01-700-0602-न्यायिक आवासीय	1.00	0.94	94.00
22	06-निर्वाचन विभाग	2015-00-106-0002-राज्य विधान परिषद का दो वर्षीय चुनाव	2.51	1.44	57.37
23		2015-00-108-0001-मतदाताओं को जारी किया गया फोटो पहचान पत्र पर व्यय	24.05	19.57	81.37
24	09-सहकारी विभाग	2425-00-107-0138-राज्य सहकारी को सहायक अनुदान	8.36	7.61	91.03
25	11-पिछडे वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग	2225-03-277-0108-छात्राओं हेतु होस्टल-वृहद निर्माण कार्य राज्य अंश (50:50)	11.50	7.67	66.70
26	12-वित्त विभाग	2052-00-092-0010-वित्तीय संस्थान एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग (कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु)	0.62	0.54	87.10
27		2070-00-800-0008-विविध एवं आकस्मिक व्यय	2.50	2.28	91.20
28	13-ब्याज भुगतान	2049-01-200-0002-एन0सी0डी0सी0 एवं केन्द्रीय भंडारागार से लिए गये ऋण पर ब्याज	4.54	2.58	56.83
29	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-101-0110-पंचायती राज प्रशासन एवं लोक विकास	7.00	4.73	67.57
30		2515-00-198-0004-ग्राम पंचायत में क्लर्क कम कैशियर का पारिश्रमिक	30.47	29.92	98.19

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	प्रतिशत
31		2515-00-800-0115- पंचायती राज एवं मानव संसाधन विकास विभाग हेतु प्रावधान	11.21	10.71	95.54
32	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-02-110-0605-उद्यानों का विकास (100% सी0एस0 एस0)	1.00	0.71	71.00
33	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-110-0019-रोगी कल्याण समिति	2.92	2.29	78.42
34		2210-05-101-0001-आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय	7.84	4.67	59.69
35		2210-05-105-0013-फार्मेसी प्रशिक्षण	2.39	1.34	56.07
36		2210-06-200-0001-अन्य लोगों के लिए प्रशिक्षण योग	11.00	10.19	92.64
37		2210-05-800-0002-पिछड़ों के लिए स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना	7.00	5.88	84.00
38		2211-00-001-0602-तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो	6.67	5.33	79.91
39		2210-01-110-0012-राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	1.14	0.72	68.42
40		4210-80-800-0102-रेफरल अस्पताल के अधूरे भवन का निर्माण	3.00	2.10	70.00
41		4210-80-800-0104-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भूमि अधिग्रहण	2.00	1.50	75.00
42	21-मानव संसाधन विकास विभाग	2202-01-101-0601-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	650.15	480.00	73.83
43		2202-01-101-0101-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	405.00	261.03	64.45
44		2202-01-104-0001-निरीक्षण	113.73	62.20	54.69
45		2202-01-111-0001-सर्व शिक्षा अभियान	400.00	216.71	54.18
46		2202-01-198-0002-पंचायत शिक्षकों को समेकित भुगतान	727.75	497.64	68.38
47		2202-02-053-0101-मध्य विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार	86.32	43.16	50.00
48		2202-02-192-0001-नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	9.19	5.13	55.82
49		2202-02-192-0002-नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	8.22	6.87	83.58
50		2202-02-193-0001-नगर माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	12.23	8.19	66.97
51		2202-02-193-0002-नगर उच्चतर माध्यमिक स्कूल शिक्षको के समेकित भुगतान हेतु	1.23	0.65	52.85
52		2202-02-196-0002-जिला परिषद उच्चतर मध्यमिक स्कूल शिक्षको को समेकित अनुदान हेतु	32.78	32.26	98.41
53		2202-03-102-0119-नालंदा अन्तराष्ट्रीय विश्व विद्यालय नालंदा	14.00	13.00	92.86
54		2202-80-004-0118-राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	9.26	8.95	96.65
55		2202-80-004-0121-बिहार राजभाषा अकादमी	1.00	0.50	50.00
56		2202-02-196-0001-जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों के लिए समेकित अनुदान	163.92	99.37	60.62
57		4202-01-202-0103-राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	298.79	161.39	54.01
58	22-गृह विभाग	2205-00-003-0005-राज्य के वाहर विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भगीदारी	4.00	3.94	98.50
59		2205-00-109-0004-आतंक प्रभावित गॉवों में नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय	3.52	3.39	96.31
60		2205-00-109-0009-एस0आर0ई0 योजना से आच्छादित जिलो में आपात स्थिति में किराये पर लिये जाने वाले वाहन/हेलीकॉप्टर संचार संसाधन (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	1.00	0.63	63.00
61		2205-00-800-0007-अनुग्रह अनुदान	6.00	5.18	86.33
62	23-उद्योग विभाग	2851-00-102-0103-जिला उद्योग केन्द्रों का स्थापना	21.73	17.77	81.78
63		2851-00-103-0616- हस्तकरघा उद्योग	2.39	1.48	61.92
64		2851-00-103-0103- हस्तकरघा विकास योजना	6.60	3.79	57.42

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	प्रतिशत
65		2851-00-107-0001-रेशम उद्योग का विकास	7.51	6.94	92.41
66	25-सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2852-07-202-0106-ज्ञान सिटी परियोजना	31.48	22.63	71.89
67		2852-07-202-0107-सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसारण योजना	3.20	2.38	74.38
68		3451-00-090-0027-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1.63	0.99	60.74
69		3451-00-090-0118-सचिवालय स्थानीय नेटवर्क	6.80	4.58	67.35
70	26-श्रम संसाधन विभाग	2230-01-109-0101-बीड़ी कामगारों के लिए भवन निर्माण	1.00	0.60	60.00
71		2230-03-003-0107-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास	3.32	3.07	92.47
72		2230-03-003-0109-मशीनों का आधुनिकीकरण	6.00	3.21	53.50
73		2230-03-003-0118-नए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	12.70	9.14	71.97
74		2230-03-101-0101-नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	1.30	0.88	67.69
75	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-02-107-0603-अल्प संख्यक छात्र/छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	32.70	26.06	79.69
76	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	2051-00-103-0001-बिहार कर्मचारी चयन अयोग	12.54	10.33	82.38
77	35-योजना एवं विकास विभाग	3454-02-204-0605-न्यायिक सर्वे के अधीन लघु सिंचाई परियोजना की गणणा	1.78	1.48	83.15
78		3454-02-204-0114-असैनिक निबंधन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	1.07	0.60	56.07
79	36-लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	2215-02-800-0101-बिहार राज्य जल परिषद को अनुदान	25.00	14.46	57.84
80		4215-01-102-0602-केन्द्रिय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	657.10	364.57	55.48
81		4215-01-102-0603-त्वरित शहरी जल आपूर्ति योजना	4.00	3.52	88.00
82		4215-01-102-0102-2000 तक जन संख्या वाले ग्रामीण/उप नगरीय क्षेत्र	3.80	2.97	78.16
83		4215-01-102-0115-जल संरक्षण, भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेनवाटर हारवेस्टिंग	2.50	1.76	70.40
84		4215-01-102-0116-ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नाबार्ड से ऋण	49.50	31.92	64.48
85		4215-01-102-0117-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना-न्यूनतम आवश्यकता कार्यकम	6.50	5.06	77.85
86		4215-02-106-0104-शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढ़ीकरण	3.00	1.79	59.67
87		4215-02-800-0102-श्मशान घाटों का आधुनिकीकरण एवं विकास	15.00	9.98	66.53
88	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-800-0003-जोतों की चकबन्दी	5.71	3.60	63.05
89		3454-01-001-0402-कृषि गणना	0.74	0.58	78.38
90	43-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4202-02-104-0403-नये पोलिटेकनिकों की स्थापना एवं वर्तमान पोलिटेकनिकों का उन्नयन	6.00	4.00	66.67
91	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग	2215-01-191-0101- स्थानीय निकाय की पेय जल आपूर्ति हेतु अनुदान	20.00	17.95	89.75
92		2215-01-192-0101- पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	40.00	37.42	93.55
93		2215-01-193-0101-नगर पंचायत को पेय जल आपूर्ति हेतु अनुदान	20.00	19.00	95.00
94		2217-80-191-0003-नगर पालिका, निगम का बकाया, बिजली बिल भुगतान हेतु चिन्हित समितियों को अनुदान	439.47	327.73	74.57
95		2217-80-192-0103-नगर परिषद के प्रशसनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार को अनुदान	6.00	5.02	83.67
96		2217-80-193-0005-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत के सहायक अनुदान	10.00	5.58	55.80

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	प्रतिशत
97		2217-80-193-0103-नगर परिषद प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु अनुदान	5.00	4.57	91.40
98		2217-80-800-0115-स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए अनुदान	9.91	6.40	64.58
99		2217-80-800-0117-परिवहन के स्थानीय निकाय को अनुदान	50.00	28.00	56.00
100		2217-80-800-0131-अभियंत्रण कोषांग हेतु	10.00	7.62	76.20
101		2217-80-800-0133-अल्प लागत जलवाही शौचालय	10.00	8.15	81.50
102	49-जल संसाधन विभाग	2711-01-800-0103-बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली परियोजना (विश्व बैंक द्वारा सम्पोषित)	5.00	3.98	79.60
103		4700-01-001-0101-स्थापना	71.48	40.18	56.21
104		4700-01-800-0101-कोसी बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)	54.00	50.09	92.76
105		4700-02-001-0101-स्थापना	6.25	3.40	54.40
106		4700-02-800-0103-गंडक बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)(नाबार्ड सम्पोषित परियोजना)	3.40	3.27	96.18
107		4700-03-800-0101-सोन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना	186.95	155.83	83.35
108		4700-03-800-0103-सोन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)	15.30	15.28	99.87
109		4700-04-001-0101-स्थापना	14.24	7.48	52.53
110		4700-80-005-0101-सर्वे एवं अन्वेषण (स्थापना)	1.40	1.37	97.86
111		4700-80-800-0102-नदी नहर परियोजना के लिए योजना	5.00	4.92	98.40
112		4701-03-800-0102-सोन बेसिन (कार्य) के लिए सिंचाई परियोजनाएँ (ए.आई.बी.पी.)	10.00	8.47	84.70
113		4701-80-005-0101-सर्वे और अन्वेषण (स्थापना)	0.50	0.42	84.00
114		4711-01-001-0106-जल निस्सारण परियोजनाएँ (कार्य)	6.96	6.66	95.69
115		4711-01-800-0403-गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदियों का कटाव निरोधक योजना (नेपाल भाग में कोशी नदी हेतु) (100% केन्द्रांश)	150.00	96.51	64.34
116	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-005-0002-लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण	22.00	11.28	51.27
117		2702-02-005-0003-सतही सिंचाई योजना का रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता एवं अनुदान का अंश	6.00	5.03	83.83
118		2702-02-005-0101-सर्वेक्षण और अन्वेषण	1.00	0.68	68.00
119		4702-00-101-0101-लघु सिंचाई	57.59	38.45	66.77
120		4702-00-102-0101- नलकूप योजनाओं के अधुरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	61.50	38.18	62.08
121		4702-00-102-0102-नई/अधुरे मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	5.00	4.06	81.20
122	51-सामाजिक कल्याण विभाग	2235-02-101-0103-विकलांगों के विकास हेतु संगठन	3.00	2.80	93.33
123		2235-02-106-0106-बाल दोषी, अनाथ, निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	5.00	3.56	71.20
124		2236-02-101-0802-कुपोषित, गर्भवती, शिशुवती महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए खाद्यानों के वितरण की विशेष योजना	16.57	13.79	83.22
125		2235-02-001-0001-निर्देशन एवं प्रशासन	1.23	0.79	64.23
126		2235-02-101-0101-नेत्रहीन विद्यालय	4.00	2.68	67.00
कुल			**5500.46**	**3673.56**	

परिशिष्ट 2.9
(संदर्भ : कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 37)
शत प्रतिशत निधि का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
1	01-कृषि विभाग	2401-00-119-0122-राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मशरूम उत्पादन कार्य	1.00
2		2415-01-277-0108-बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर, भागलपुर	1.00
3	02-पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	2405-00-101-0603-मतस्य प्रशिक्षण एवं विस्तारित योजना	0.20
4		2405-00-101-0612-मतस्य विकास योजना	1.05
5		2405-00-101-0112-मतस्य विपणन योजना	0.35
6	03-भवन निर्माण विभाग	3053-02-102-0001-हवाई अड्डे	0.30
7		4059-60-051-0101-सचिवालय स्पोर्टस स्टेडियम निर्माण	2.00
8		4059-80-051-0106-कल्याण विभाग समाज प्रक्षेत्र मूक वधिर विद्यालय के लिए भवन निर्माण	7.51
9		4059-80-051-0112-जिला साख्यिकी कार्यालयों के भवनो का निर्माण एवं मरम्मती	3.45
10	09-सहकारी विभाग	2401-00-110-0105-अनुसूचित जाति के लिए विशेष अंगीभूत योजना राज्य कृषि बीमा योजना अंतर्गत किसानो की विभिन्न फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान	16.71
11		2401-00-110-0106-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना राज्य फसल बीमा हेतु किसानों के वि0फ0 की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल निधि को अनुदान।	28.20
12		2401-00-110-0108-पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान अनुसूचित जाति उपयोजना	0.36
13		2401-00-110-0109-पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान–पिछड़ी जाति के लिए अंगीभूत योजना	0.60
14		2401-00-796-0127-राज्य फसल बीमा में अनुदान	1.05
15		2425-00-108-0604-समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	2.58
16		2425-00-108-0107-समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैकों को सहायक अनुदान	1.00
17		4425-00-051-0102-राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण	3.50
18	09-सहकारी विभाग	6425-00-108-0612-समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिये केन्द्रीय सहकारी बैकों को ऋण	5.00
19	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-800-0001-बिहार विद्युत नियामक आयोग	0.25
20		2810-60-800-0101-सीमा क्षेत्र विकास परियोजना	1.20
21	13-ब्याज भुगतान	2049-01-115-0001-भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	3.00

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
22	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-196-0001-ग्रामीण सड़क के लिए जिला बोर्ड को देय अनुदान	1.00
23		2515-00-196-0002-ग्रामीण भवन के लिए जिला बोर्ड के लिये देय अनुदान	1.00
24	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-02-110-0603-अन्य पार्क संजय गाँधी जैविक उद्यान (सी0एस0एस0)	1.00
25		2406-02-110-0615-वाल्मिकी नगर व्याघ्र योजना इको डेवलेपमेन्ट (शत प्रतिशत केन्द्रीय योजना)	0.50
26		2406-02-110-0619-बंजर भूमि का विकास	1.00
27		2406-02-111-0601-अन्य उद्यान	0.50
28	20-स्वास्थ्य विभाग	4210-01-051-0103-जिला चिकित्सा अधिकारी के लिए आवासीय एवं कार्यालय भवन का निर्माण	2.00
29	21-मानव संसाधन विकास विभाग	2202-01-053-0001-प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण	36.08
30		2202-01-800-0008-प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए खेल सुविधा	30.04
31		2202-02-052-0101-माध्यमिक विद्यालयों के लिए उपकरण क्रय हेतु	9.35
32		2202-02-109-0605-आई0टी0सी0 परियोजना	10.00
33		2202-02-800-0004-माध्यमिक विद्यालयों के लिए खेल सुविधा	6.64
34	22-गृह विभाग	2055-00-001-0006-हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा से संबंधित व्यय (भारत सरकार द्वारा अनुग्रहीत)	0.43
35		2056-00-003-0004-बिहार सुधारात्मक प्रशिक्षण संस्थान	0.32
36	23-उद्योग विभाग	2852-80-001-0601-बिहार के निबंधित लघु उद्योग की गणना	6.18
37		2852-80-102-0147-बिहार में संचालित उद्योग विकास के अन्तर्गत पूँजी निवेश को बढ़ावा हेतु सेमिनार संचालन	0.25
38		2852-00-800-0104-बिहार स्थापना	0.50
39		6885-01-800-0101-अन्य ऋण	0.20
40	25-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2852-07-202-0103-ई0 सरकार का परियोजना डी0पी0आर0	2.15
41		2852-07-202-0105-राज्य पोर्टल योजना	2.00
42		4859-02-800-0101-बिहार राज्य वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)	39.65
43		4859-02-800-0102-सूचना प्रौद्योगिकी	3.00
44	26-श्रम संसाधन विभाग	2230-03-003-0112-महिलाओं के लिए नये उद्योग प्रशिक्षण संस्थान का प्रस्ताव	0.24
45	35-योजना एवं विकास विभाग	3454-02-204-0401-आर्थिक सर्वेक्षण	0.50
46		3454-02-204-0103-सांख्यिकी कार्मिको का प्रशिक्षण	0.35
47		3454-02-204-0111-जिला/प्रमण्डलीय इकाई का सृजन	0.40

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
48	36-लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	2215-01-198-0001-ग्राम पंचायत के ट्यूब वेलों के मरम्मत हेतु सहायता अनुदान	5.00
49		4215-01-102-0112-केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का राज्यांश भू–गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन वाटर हारवेस्टिंग	0.50
50	38-निबंधन उत्पाद एवं निषेध विभाग	2030-02-101-0002-प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद से प्राप्त स्टाम्पो का लागत	0.50
51	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	4047-00-050-0104-सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	5.00
52	42-ग्रामीण विकास विभाग	4515-00-103-0102-प्रखण्ड लघु निर्माण कार्य	169.20
53	43-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2203-00-112-0103-तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता विकास कार्यक्रम	0.20
54	44-अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-102-0612-हरिजनों के बहुआयामी विकास हेतु अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता एकीकृत योजना–विशेष अंगीभूत योजना (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	25.00
55		2225-01-277-0101-शिक्षा	1.65
56	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग	2217-80-191-0111-निगमों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता अनुदान	4.00
57		2217-80-800-0120-राष्ट्रीय शहरी सूचना तंत्र का स्थापना	0.40
58		2217-80-800-0121-शहरी निकायों को ठोस कचरा प्रबंधन हेतु अनुदान	30.00
59		2217-80-800-0125-राज्यपालीय/नगरीय सुधार	5.00
60	49-जल संसाधन विभाग	4700-02-800-0102-गंडक बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)	5.00
61		4700-04-800-0101-किउल बदना–चंदन बेसिन हेतु सिंचाई परियोजना (कार्य)	3.00
62	50-लघु जल संसाधन विभाग	4702-00-102-0103-नए एवं अपूर्ण जीवन सिंचाई योजना को पूर्ण करने हेतु नबार्ड से ऋण	5.00
63		4702-00-102-0106-भारत निर्माण योजना	10.00
64	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-101-0106-समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5.00
65		2235-02-101-0109-विकलांगो के लिए कार्यशाला	0.30
66		2235-02-102-0106-समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत अभियंत्रण कोषांग हेतु	5.80
67		2235-02-106-0105-बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना	3.00
68		2235-02-106-0107-बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण समिति की स्थापना	1.00
69		4235-02-102-0102-सीमा क्षेत्र विकास योजना	2.01
कुल			**522.15**

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भः कंडिका 2.3.8; पृष्ट 37)

वास्तविक बचत का आधिक्य में अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/ पुर्नविनियोजन का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/ पुनर्विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि
	राजस्व – दत्तमत				
1	17-वाणिज्यक कर विभाग	57.14	8.83	11.47	2.64
2	22-गृह विभाग	2549.47	242.72	251.25	8.53
3	23-उद्योग विभाग	247.00	40.64	45.07	4.43
4	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद निषेध विभाग	99.99	9.97	10.99	1.02
5	42-ग्रामीण विकास विभाग	1401.19	55.25	57.24	1.99
	पूँजीगत–दत्तमत				
1	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	65.69	4.04	5.06	1.02
2	41-पथ निर्माण विभाग	3056.91	5.90	6.63	0.73
3	50-लघु जल संसाधन विभाग	166.78	95.11	95.69	0.58
	कुल	**7644.17**	**462.46**	**483.40**	**20.94**

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भः कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 37)

अभ्यर्पित नहीं की गई (₹ एक करोड़ और उससे अधिक एवं प्रावधान का 10 प्रतिशत) बचत की राशि की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष है	प्रतिशत
1	01- कृषि विभाग	212.43	148.90	63.53	29.91
2	03- भवन निर्माण विभाग	74.17	62.22	11.95	16.11
3	04- मंत्रिमंडल सचिवालय	28.86	4.87	23.99	83.13
4	08- कला संस्कृति एवं युवा विभाग	11.13	00	11.13	100.00
5	09- सहकारिता विभाग	93.70	60.66	33.04	35.26
6	10- उर्जा विभाग	411.75	352.70	59.05	14.34
7	11- पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग	32.36	8.64	23.72	73.30
8	12- वित्त विभाग	51.11	26.00	25.11	49.13
9	13- ब्याज भुगतान	495.70	12.12	483.58	97.55
10	15- पेंशन	61.58	0.03	61.55	99.95
11	16- पंचायती राज विभाग	197.18	163.28	33.90	17.19
12	19- पर्यावरण एवं वन विभाग	26.63	11.23	15.40	57.83
13	20- स्वास्थ्य विभाग	293.61	142.12	151.49	51.60
14	24- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	4.62	1.95	2.67	57.79
15	26- श्रम संसाधन विभाग	59.33	32.63	26.70	45.00
16	33- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	26.97	21.09	5.88	21.80
17	35- योजना एवं विकास विभाग	549.68	29.50	520.18	94.63
18	37- ग्रामीण कार्य विभाग	621.57	224.14	397.43	63.94
19	39- आपदा प्रबंधन विभाग	504.10	0.64	503.46	99.87
20	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	124.16	67.64	56.52	45.52
21	41- पथ निर्माण विभाग	280.20	121.68	158.52	56.57
22	44- अ0जा0 एवं अ0ज0ज0 कल्याण विभाग	54.58	45.29	9.29	17.02
23	45- गन्ना उद्योग विभाग	15.58	12.64	2.94	18.87
24	47- परिवहन विभाग	6.70	5.45	1.25	18.66
25	49- जल संसाधन विभाग	1622.84	1122.95	499.89	30.80
कुल		**5860.54**	**2678.37**	**3182.17**	

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भः कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 3é)

30 एवं 31 मार्च 2010 को ₹10 करोड़ से अधिक निधि का अभ्यर्पण के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	01	2401– फसल कृषि कर्म	74.68	15.19
2	02	2403– पशुपालन	10.53	13.57
3	03	2059– लोक निर्माण कार्य	22.50	12.06
4	06	2015– निर्वाचन	72.55	45.33
5	09	2401– फसल कृषि कर्म	33.68	75.00
6	10	2059– लोक निर्माण कार्य	10.33	35.44
7		4801– ऊर्जा परियोजना पर पूंजीगत व्यय	326.00	46.44
8		6801– ऊर्जा परियोजना के लिये ऋण	12.07	29.03
9	16	2515– अन्य ग्रामीण विकास विभाग	131.80	19.13
10	17	2040– विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर	10.97	21.36
11	20	2210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	42.23	6.15
12	21	2202– सामान्य शिक्षा	1855.77	27.08
13		4202– शिक्षा, खेल, कला एवं विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	161.39	54.02
14	22	2055– पुलिस	169.24	10.65
15		4055– पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	22.01	30.58
16	23	2851– ग्राम एवं लघु उद्योग	12.73	58.58
17	25	2852– उद्योग	36.97	60.89
18		4859– दूर संचार एवं ईलेक्ट्रोनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	39.65	100.00
19	27	2014– न्याय प्रशासन	22.79	9.18
20	30	2202– सामान्य शिक्षा	26.05	79.68
21		2250– अन्य सामाजिक सेवायें	26.43	20.21
22	33	2051– बिहार लोक सेवा आयोग	10.33	82.38
23	35	2053– जिला प्रशासन	15.00	18.18
24	36	2215– जल आपूर्ति एवं सफाई	14.46	57.83
25		4215– जल आपूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	411.95	55.53
26	37	2515– अन्य ग्रामीण विकास योजनाएं	24.71	22.54
27		3054– सड़क एवं पुल	42.03	14.01
28		4515– अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	144.66	24.15
29	40	2053– जिला प्रशासन	40.64	29.22
30	41	3054– सड़क एवं पुल	103.76	28.78
31	42	2515– अन्य ग्रामीण विकास योजनाएं	41.85	19.78
32		4515– अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	169.20	100.00
33	44	2225– अ0जा0, अज0जा0 एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण	25.00	100.00
34	48	2215– जल आपूर्ति एवं सफाई	94.37	64.48
35		2217– शहरी विकास	461.70	43.58
36	49	2700– बृहद सिंचाई	93.67	24.42
37		2711– बाढ़ नियंत्रण एवं निकास	66.17	2.34
38		4700– बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	506.66	47.28
39		4711– बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	341.18	43.46
40	50	2702– लघु सिंचाई	76.25	24.36
41		4702– लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	86.63	67.11
42	51	2235– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	113.93	11.21
43		2236– पोषण	58.81	5.98
		कुल	**6063.33**	

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ : कंडिका 2.3.10; पृष्ट 38)

वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम तिमाही एवं माह मार्च 2010 में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	2009-10 के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2010 में कुल व्यय	कुल व्यय का प्रतिशतता
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशत		
1	2404	37.76	33.88	89.73	32.91	87.15
2	2405	32.02	24.04	75.09	21.94	68.53
3	2408	23.23	23.23	100.00	23.23	100.00
4	2852	222.03	202.53	91.22	181.07	81.55
5	3054	689.42	434.86	63.08	354.45	51.41
6	3604	107.47	107.37	99.91	107.37	99.91
7	4047	82.24	73.23	89.05	46.65	56.73
8	4059	60.66	44.96	74.11	40.26	66.37
9	4202	333.96	303.69	90.94	209.78	62.81
10	4210	120.52	76.99	63.88	74.63	61.92
11	4215	448.05	311.36	69.49	290.77	64.90
12	4217	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00
13	4225	26.17	18.58	70.98	16.64	63.57
14	4235	153.59	128.31	83.54	111.80	72.79
15	4250	20.58	14.11	68.53	14.11	68.53
16	4700	470.88	326.68	69.38	275.07	58.42
17	4702	71.67	55.56	77.51	41.30	57.63
18	4885	264.53	264.53	100.00	264.53	100.00
कुल		**3174.78**	**2453.91**		**2116.51**	

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ : कंडिका 2.4; पृष्ठ 38)

वर्ष 2009-10 के दौरान (प्रत्येक मामले में) ₹10 करोड़ से ज्यादा की असमाशोधित राशि की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	असमाशोधित राशि
1	2011- संसद/राज्य/संघ शासित प्रदेश विधानमंडल	35.00
2	2013- मंत्रिपरिषद	11.37
3	2014- न्याय प्रशासन	221.69
4	2015- निर्वाचन	51.69
5	2029- भू-राजस्व	312.26
6	2039- राज्य उत्पाद	44.02
7	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	26.81
8	2041- वाहन पर कर	10.41
9	2048- ऋण घटाने या उसका परिहार के लिए विनियोजन	140.00
10	2049- ब्याज भुगतान	3685.48
11	2051- लोक सेवा आयोग	12.17
12	2052- सचिवालय सामान्य सेवाएँ	62.53
13	2053- जिला प्रशासन	370.53
14	2054- कोषागार एवं लेखा प्रशासन	45.50
15	2055- पुलिस	1817.39
16	2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण	12.41
17	2059- लोक निर्माण कार्य	206.07
18	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	149.7
19	2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	4318.7
20	2202- सामान्य शिक्षा	7298.83
21	2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	21.46
22	2205- कला एवं संस्कृति	11.20
23	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1162.99
24	2211- परिवार कल्याण	213.12
25	2215- जलापूर्ति एवं सफाई	389.00
26	2217- शहरी विकास	1045.50
27	2220- सूचना तथा प्रचार	46.89
28	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	407.53
29	2230- श्रम एवं रोजगार	50.73
30	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1325.54
31	2236- पोषाहार	911.83
32	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	10.56
33	2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	123.98
34	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	27.55
35	2401- फसल कृषि-कर्म	379.92
36	2402- मृदा तथा जल संरक्षण	19.00
37	2403- पशु पालन	193.64
38	2404- डेरी विकास	35.89
39	2405- मछली पालन	30.98
40	2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	91.01
41	2408- खाद्य, भंडारण तथा भंडारागार	23.23
42	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	123.29
43	2425- सहकारिता	23.17
44	2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	192.51
45	2505- ग्राम नियोजन	842.92
46	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1408.47
47	2700- वृहत सिंचाई	54.25

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	असमाशोधित राशि
48	2701– मध्यम सिंचाई	41.52
49	2702– लघु सिंचाई	190.81
50	2705– कमांड क्षेत्र विकास	73.13
51	2711– बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	49.76
52	2801– ऊर्जा	840.00
53	2851– ग्राम एवं लघु उद्योग	24.48
54	2852– उद्योग	218.26
55	2854– सड़क एवं सेतु	670.40
56	3451– सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	28.00
57	3452– पर्यटन	26.78
58	3454– जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	18.15
59	3456– सिविल पूर्ति	109.67
60	3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	107.47
61	4047– अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	66.63
62	4055– पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	93.68
63	4059– लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	44.96
64	4070– अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	25.80
65	4202– शिक्षा, खेल–कूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	329.02
66	4210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	120.52
67	4215– जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	448.05
68	4217– शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय (निवेश)	10.00
69	4225– अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	26.17
70	4235– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	153.04
71	4250– अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	20.36
72	4515– अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	826.33
73	4700– वृहत सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	416.85
74	4701– मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	39.45
75	4702– लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	71.67
76	4711– बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	762.49
77	4801– ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	376.00
78	4885– उद्योगों एवं खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	264.53
79	5054– सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	3051.01
80	5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	27.78
	कुल	**37571.49**

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भः कंडिका 2.5; पृष्ठ 38)

नित्य प्रयोजन के लिए आकस्मिक निधि से निकासी का विस्तृत विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग	प्रयोजन	राशि
1.	2011	राज्य विधान मंडल	कार्यशाला तथा सेमिनार	0.11
2.		–वही–	वेतन	0.16
3.		–वही–	कार्यालय व्यय	0.30
4.	2012	राज्यपाल	नई गाड़ी का क्रय	0.11
5.	2013	मंत्रिपरिषद्	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.04
6.	2014	न्यायिक प्रशासन	वेतन एवं भत्ते	0.14
7.	2015	निर्वाचन	ग्राम पंचायत चुनाव	0.16
8.		–वही–	लोक सभा चुनाव के लिए यात्रा भत्ता	11.00
9.		–वही–	विधान सभा चुनाव	4.51
10.	2052	सचिवालय	पिछड़ी जातियों को सहायता	0.20
11.		–वही–	वेतन एवं भत्ते	0.09
12.		–वही–	नई गाड़ी का क्रय	0.18
13.		–वही–	मोटर गाड़ी	0.19
14.		–वही–	जे.पी.सेनानियों को सम्मान योजना	0.67
15.	2053	जिला प्रशासन	यंत्र का सुधारीकरण	0.35
16.	2055	पुलिस	यात्रा भत्ता	6.00
17.		–वही–	सुरक्षा बल पर व्यय	2.68
18.		–वही–	गाड़ियों की मरम्मत	9.09
19.		–वही–	मोटर गाड़ी	12.00
20.		–वही–	वेतन एवं भत्ते	0.75
21.		–वही–	विशेष पुलिस बल के लिए मानदेय	3.52
22.		–वही–	पुलिस की नियुक्ति	3.35
23.		–वही–	पुलिस प्रशासन की आधुनिकीकरण	3.00
24.	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	भागलपुर दंगा	0.19
25.		–वही–	कहलगांव गोली कांड	0.14
26.		–वही–	कार्यालय व्यय	1.00
27.		–वही–	वेतन एवं भत्ते	0.04
28.		–वही–	अन्वेषण ब्यूरों के लिए पोशाक	0.07
29.		–वही–	अतिथि गृह	0.05
30.		–वही–	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.08
31.	2202	सामान्य शिक्षा	मुख्यालय स्थापना	0.04
32.	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	लघु निर्माण कार्य	0.20
33.		–वही–	औषधि भंडार	0.11
34.	2215	जलापूर्ति एवं सफाई	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.03
35.	2225	अनु. जाति, जन जाति एवं पिछड़ों का कल्याण	महादलित विकास	30.00
36.		–वही–	छात्रवृत्ति	5.23
37.	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	जे.पी.सेनानी सम्मान योजना	10.00
38.		–वही–	कन्या सुरक्षा योजना	15.00
39.		–वही–	सामान्य जन बीमा	0.60
40.	2250	अन्य सामाजिक सेवाऐं	बिहार हज कमिटी को अनुदान	0.14
41.		–वही–	वक्फ समिति सर्वे का कम्प्यूटरीकरण	0.35
42.	2251	सचिवालय एवं सामाजिक सेवा	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	0.12
43.		–वही–	रोजगार एवं प्रशिक्षण	0.46
44.		–वही–	यात्रा व्यय (दो बार)	0.17
45.	2401	फसल कृषिकर्म	कृषि विकास	26.63
46.		–वही–	किसानों को सहायता (चार बार)	414.07
47.		–वही–	फसल किस्त (दो बार)	35.21

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग	प्रयोजन	राशि
48.		–वही–	ईख फसल	2.75
49.	2402	मिट्टी एवं जल संरक्षण	मुख्यालय स्थापना	0.16
50.	2408	खाद्य निगम	किसानों को वित्तीय सहायता	23.23
51.	2515	ग्रामीण विकास विभाग	वेतन एवं भत्ते	0.07
52.	2801	ऊर्जा विभाग	बिहार विद्युत बोर्ड विपत्र	30.00
53.	2851	ग्राम एवं कुटीर उद्योग	उद्योग विभाग की स्थापना	1.58
54.	3451	सचिवालय आर्थिक सेवा	मोटर गाड़ी का कय (दो बार)	0.24
55.		–वही–	कृषि विकास	0.21
56.		–वही–	सड़क निर्माण	0.03
57.	3456	नागरिक आपूर्ति	जिला प्रसार एवं जन उपयोगिता	0.99
58.		–वही–	जन वितरण प्रणाली	11.31
59.	3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	जिला परिषद को शेष का भुगतान	35.00
60.	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओ पर पूंजीगत परिव्यय	भवन निर्माण	0.10
61.	4210	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर पूंजीगत परिव्यय	आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माण केन्द्र के लिए मशीन की खरीद	0.16
62.	4220	सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	भवन निर्माण	2.00
63.	4235	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	कब्रिस्तान की घेराबन्दी	20.00
64.	5054	सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय	नाबार्ड से ऋण	50.00
65.		–वही–	सड़क निर्माण	50.00
66.	7055	सड़क परिवहन के लिए कर्ज	बिहार परिवहन को ऋण (तीन बार)	189.42
		कुल		**1015.78**

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भः कंडिका 2.8.3; पृष्ठ 43)

अप्रयुक्त प्रावधान

(₹ लाख में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	विवरण/उद्देश्य	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	बचत/ व्यपगत
1	2245011010004	सूखा प्रभावित लोगों के लिए कपड़े/बर्तन का मुफ्त वितरण	1.00	-	1.00
2	2245012820001	दवाओं की आपूर्ति	25.00	200.00	225.00
3	2245018000001	जल आपूर्ति हेतु कूओं आदि की मरम्मत	200.00	500.00	700.00
4	2245018000002	अन्य कार्य	10.00	3000.00	3010.00
5	2245018000004	स्वनियोजन	1.00	-	1.00
6	2245021040001	चारे की आपूर्ति	207.00	-	207.00
7	2245021050001	पशुओं के लिए दवाऐं	200.00	-	200.00
8	2245021080001	सरकारी आवासीय भवनों के मरम्मत एवं रख–रखाव	10.00	-	10.00
9	2245021090001	क्षतिग्रस्त जल तंत्र एवं निकास तंत्र की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	80.00	-	80.00
10	2245021120003	राहत कार्यों के लिए सुरक्षा एवं निकासी यंत्र की खरीद	100.00	-	100.00
11	2245021130002	आग से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत	50.00	-	50.00
12	2245021130003	अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत	50.00	-	50.00
13	2245021140002	वार्षिक फसलों के लिए अनुदान	100.00	-	100.00
14	2245021140003	कृषि फसलों के लिए अनुदान	100.00	-	100.00
15	2245021140004	बागवानी फसल के लिए अनुदान	50.00	-	50.00
16	2245021140005	बारहमासी फसलों के लिए अनुदान	50.00	-	50.00
17	2245021150002	मत्स्य क्षेत्र से गाद/बालु इत्यादि की निकासी	50.00	-	50.00
18	2245021160001	खराब नलकूप की मरम्मति के लिए किसानों को अनुदान	50.00	-	50.00
19	2245021170002	दुधारू पशुओं का बदलाव	15.00	-	15.00
20	2245021190001	खराब औजारों तथा उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए कारीगर को सहायता	15.00	-	15.00
21	2245021190002	सूत एवं अन्य सामाग्रियों के क्रय हेतु सहायता	15.00	-	15.00
22	2245021190003	हस्तकरधा बुनकरों को सहायता अनुदान	13.00	-	13.00
23	2245021960001	जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	10.00	-	10.00
24	2245021970001	प्रखण्ड स्तरीय पंचायत/मध्य स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	20.00	-	20.00
25	2245022820001	मानव दवाओं की आपूर्ति	200.00	-	200.00
26	2245028000003	भुखमरी से प्रभावित परिवारो के लिए खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण	50.00	-	50.00
27	2245028000005	स्वरोजगार योजना हेतु ग्रामीण विकास को नगद राशि की आपूर्ति	20.00	-	20.00
28	2245028000006	अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति	55.00	-	55.00
29	2245028000007	गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सहायता सामग्री के परिवहन पर होने वाला व्यय	50.00	-	50.00
	कुल		**1797.00**	**3700.00**	**5497.00**

(स्त्रोतः बिहार सरकार के विस्तृत विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भः कंडिका 2.8.5 ; पृष्ठ 44)

विभाग द्वारा असमाशोधित रहने के कारण व्यय के आकड़ों में अंतर

(₹लाख में)

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष	विभागीय व्यय	विस्तृत विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	अन्तर
1	2235-01-200-0003	23.299	24.745	(+)1.446
2	2245-01-101-0001	00.000	179.331	(+)179.331
3	2245-01-101-0003	00.000	2.107	(+)2.107
4	2245-02-101-0004	33.330	33.832	(+)0.502
5	2245-02-101-0008	5.820	6.058	(+)0.238
6	2245-02-102-0001	7.010	7.611	(+)0.601
7	2245-02-106-0001	6687.610	6899.550	(+)211.940
8	2245-02-107-0001	00.000	0.020	(+)0.020
9	2245-02-112-0004	00.000	0.100	(+)0.100
10	2245-02-117-0001	75.320	552.935	(+)477.615
11	2245-02-118-0001	51.560	100.000	(+)48.440
12	2251-00-090-0017	188.650	234.533	(+)45.883
13	2235-01-200-0004	321.667	307.445	(-)14.222
14	2235-60-200-0008	23.950	13.450	(-)10.500
15	2245-01-101-0002	464.790	363.434	(-)101.356
16	2245-01-102-0001	1111.760	1.607	(-)1110.153
17	2245-01-800-0003	2200.000	1849.440	(-)350.560
18	2245-02-101-0001	458.560	452.721	(-)5.839
19	2245-02-101-0002	1938.460	1851.588	(-)86.872
20	2245-02-101-0003	355.100	334.650	(-)20.450
21	2245-02-101-0005	217.070	187.274	(-)29.796
22	2245-02-101-0006	157.120	113.725	(-)43.395
23	2245-02-101-0007	41.510	40.235	(-)1.275
24	2245-02-112-0001	4737.020	4205.897	(-)531.123
25	2245-02-112-0002	760.250	751.584	(-)8.666
26	2245-02-113-0001	1555.830	1117.473	(-)438.357
27	2245-02-114-0001	112.310	96.702	(-)15.608
28	2245-02-115-0001	16.000	10.000	(-)6.000
29	2245-02-117-0003	2.600	1.390	(-)1.210
30	2245-02-282-0003	8.540	8.497	(-)0.043
	कुल	**21555.136**	**19747.934**	

(स्त्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे, बिहार सरकार)

नोटः-(i) विभिन्न कॉलम में दर्शाया गया (+) का चिन्ह, ''विस्तृत विनियोजन लेखे के अंतर्गत, विभागीय व्यय के विरूद्ध अधिकायी व्यय को प्रदर्शित करता है। विस्तृत विनियोग लेखे के अंतर्गत ₹ 9.68 करोड़ के 12 मामले अधिकायी व्यय के थे।

(ii) विभिन्न कॉलम में दर्शाया गया (-) का चिन्ह, ''विस्तृत विनियोजन लेखे के अंतर्गत, विभागीय/व्यय की तुलना मे कम व्यय को दर्शाता है। विस्तृत विनियोग लेखे के अंतर्गत, कम व्यय के 18 मामले ₹ 27.75 करोड़ के थे।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भः कंडिका 3.2; पृष्ठ 48)

31 मार्च 2010 को लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान भुगतान का वर्ष	प्रारंभ में बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का कुल संख्या/राशि		उपयोगिता प्रमाण पत्र			
				प्राप्त		लंबित	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	अब तक	20190	1111.83	-	-	20190	1111.83
2	2001-02	452	261.62	-	-	452	261.62
3	2002-03	40	34.28	05	0.88	35	33.40
4	2003-04	61	150.06	08	27.65	53	122.41
5	2004-05	86	205.84	06	0.31	80	205.53
6	2005-06	75	991.88	06	0.40	69	991.48
7	2006-07	228	1629.66	03	0.81	225	1628.85
8	2007-08*	10	172.65	23#	103.81#	10	172.65
9	2008-09	-	0.00	60#	92.58#	-	-
	कुल	**21142**	**4557.82**	**28**	**30.05**	**21114**	**4527.77**

* आंकड़े अक्टुबर 2007 तक उपलब्ध। उसके बाद की सूची राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी।

\# उपयोगिता प्रमाण पत्रों का लंबित संख्या/राशि के विरूद्ध में दिखायी गई समायोजित राशि जो खाते में नहीं ली गई।

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भः कंडिका3.4; पृष्ठ 49)

स्वायत निकाय का निष्पादन

क्रम सं0	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक के लेखे प्रस्तुत किए गए	अवधि जब तक के पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी किए गए	पृथक लेखा लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने की तिथि	विधायिका में पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी गई	लेखे प्राप्त करने की तिथि	लेखे जमा करने में विलंब
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बिहार राज्य खादी ग्रामोउद्योग बोर्ड, पटना	2002-03	-	1989-90 से 1998-99	30.5.2008	सूचित नहीं	2007-08 तक लेखे प्राप्त, शेष लंबित	-
				1999-2000 से 2001-02	28.4.2009			
				2002-03	14.05.2010			
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2003-04	-	1994-95 से 1998-99	31.12.2008	सूचित नहीं	2006-07 तक लेखे प्राप्त, शेष लंबित	वही
				1999-2000 से 2002-03	20.11.2009			वही
				2003-04	13.05.2010			
3	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना	स्थाई	2009-10	2008-09	17.06.2010	सूचित नहीं	12.07.2010	वही
4	राजेन्द्र कृषि विश्व विद्यालय पूसा, समस्तीपुर	2010-11	2009-10	2005-06	11.06.2010	सरकार द्वारा सूचित पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1971-72 से 1994-95, 1998-99 से 2001एवं 2003-04 से 2005-06 तक की अवधि के लिए सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है जो विधायिका मे रखे जाने की सूचना प्रतीक्षित है।	13.10.2010	29 माह

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भः कंडिका 3.6; पृष्ठ 51)

लघु शीर्ष 800 'अन्य व्यय' का परिचालन (50 प्रतिशत एवं ज्यादा व्यय)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष कोड	लेखा शीर्ष का नाम	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय
1	2041	वाहन पर कर	6.35	10.41
2	2053	जिला प्रशासन	204.47	379.91
3	2217	शहरी विकास	797.65	1045.50
4	2250	अन्य समाजिक ´ ±ú¿	122.87	123.99
5	2401	फसल कृषि कर्म	516.47	923.82
6	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	200.01	200.72
7	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	37.80	37.90
8	4700	वृहद सिचांई पर पूंजीगत परिव्यय	403.96	470.88
9	4701	मध्यम सिंचाई परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	39.49	42.97
10	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	446.54	763.10
11	4801	शक्तिपरियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	376.00	376.00
12	4885	उधोग एवं खनिज पर पूंजीगत परिव्यय	264.53	264.53
13	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	27.78	27.78
14	6801	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	596.72	626.25
		कुल	**4040.64**	**5293.76**

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भः कंडिका 3.6; पृष्ठ 51)

लघु शीर्ष 800 'अन्य प्राप्तियां' का परिचालन (50 प्रतिशत एवं ज्यादा)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष कोड	लेखा शीर्ष का नाम	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल प्राप्तियां
1	0058	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0.01	0.02
2	0215	जलापूर्ती एवं प्रबन्धन	3.10	5.15
3	0851	लघु एवं ग्राम उधोग	0.07	0.11
4	0217	शहरी विकास	0.02	0.03
5	0235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.62	0.85
6	0406	वानिकी एवं वन्यप्राणी	6.02	6.78
7	0506	भूमि सुधार	0.10	0.11
8	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	26.73	28.81
9	0059	लोक निर्माण कार्य	8.93	8.94
10	0075	विविध सामान्य सेवाऐं	770.06	770.28
11	0852	उधोग	30.15	30.15
12	1054	सड़क एवं पुल	30.02	30.02
13	1456	नागरिक आपूर्ति	0.07	0.07
		कुल	**875.90**	**881.32**

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भः कंडिका 3.7; पृष्ठ 51)

गबन, दुर्विनियोजन, हानि एवं चोरी के मामलों का विभागवार/वर्षवार विवरणी

क्र0 सं0	विभाग का नाम	5 वर्षो तक	5 से 10 वर्ष	मामलों की कुल संख्या
1	सड़क निर्माण	04	01	05
2	जल संसाधन	07	-	07
3	भवन-निर्माण	01	-	01
4	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	02	-	02
5	ग्रामीण विकास	635	81	716
6	श्रम नियोजन	03	-	03
7	उधोग	02	-	02
8	कल्याण	117	-	117
9	गृह	24	-	24
10	स्वास्थ्य	33	-	33
11	भूमि अधीग्रहन	11	-	11
12	समान्य प्रशासन	15	-	15
13	विधायक/पार्षद निधि	01	-	01
14	सहकारी	01	-	01
15	निर्वाचन	04	-	04
16	व्यवहार न्यायालय	01	-	01
17	पशुपालन एवं मत्स्य	12	-	12
18	मानव संसाधन	30	-	30
19	नगर विकास एवं आवास	25	04	29
20	वन	02	-	02
21	जिला उप-निवंधक	01	-	01
22	ग्रामीण कार्य	03	-	03
23	लघु-सिचांई	01	-	01
	कुल	**935**	**86**	**1021**

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भः कंडिका 3.7; पृष्ठ 51)

गबन, दूर्विनियोजन, हानि एवं चोरी के मामलो के संदर्भ में विभागवार विवरणी

(राशि : ₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	गबन, दुर्विनियोजन, हानि तथा चोरी	
	संख्या	राशि
सड़क निर्माण	05	2.46
जल संसाधन	07	12.65
भवन निर्माण	01	0.33
लोक स्वास्थ्य एवम् अभियंत्रण	02	2.46
ग्रामीण विकास	716	328.36
श्रम एवम् नियोजन	03	0.62
उधोग	02	5.67
कल्याण	117	12.66
गृह	24	1.52
स्वास्थ्य	33	5.26
भु–अर्जन	11	3.80
सामान्य प्रशासन	15	6.73
विधायक/विधान पार्षद निधि	01	0.02
सहकारी	01	2.66
निर्वाचन	04	1.43
व्यवहार न्यायालय	01	0.29
पशुपालन एवम् मतस्य	12	5.18
मानव संसाधन	30	11.50
नगर विकास एवं आवास	29	3.33
वन	02	0.39
जिला उप निबंधक	01	0.26
ग्रामीण कार्य	03	0.39
लघु सिचाई	01	नगण्य
कुल	**1021**	**407.97**